खण्ड-135, अंक-4
गुरूवार, 9 वैशाख, शक संवत् 1876
(29 अप्रैल, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 135 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफअली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी , डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री

बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मूहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
राम चरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूदयाल चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री

सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बार ऐसोसियेशन, जिला फतेहपुर का सबेरे कचेहरी करने का प्रस्ताव

**१--श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फ़तेहपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के उन जिलों में जहां तापक्रम अधिक रहता है और बिजली भी नहीं है वहां गर्मियों में सुबह की कचहरी करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

**२--अगर हां, तो कब तक आदेश जारी हो जायेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--सरकार ने आदेश दे दिये हैं कि जहां जहां पहले सबेरे काम होता था वहां जिलाधीश इस साल कचहरियों को सुबह के वक्त खोलने का आदेश जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट को भी लिखा गया है कि वे भी ऐसा ही हुक्म अपने मातहत अदालतों को भेज दें। सरकार ने यह भी आदेश जारी किया है कि कचहरियों और दफ्तरों के समय में परिवर्तन होने के कारण काम में किसी प्रकार की कमी न हो।

३--श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री के पास जिला फतेहपुर के बार ऐसोसियेशन का एक प्रस्ताव सुबह की कचहरी के सम्बन्ध में आया है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां ।

तारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जिले में उद्वासितों के लिए क्वार्टर्स

*१--**श्री धर्मसिंह** (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में पुरुषार्थियों के रहने के लिये कितने क्वार्टर्स बने हुये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--बुलन्दशहर में सरकार द्वारा उद्वासितों के लिए १७८ क्वार्टर्स बनवाये गये हैं।

*२--श्री धर्मसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो क्वार्टर्स बने हुये हैं उनमें से कितने खाली पड़े हुये हैं और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह--४३ क्वार्टर्स खाली हैं। ये क्वार्टर्स धर्मशाला, मन्दिर और अन्य सार्वजनिक स्थानों तथा बहुत घनी बस्तियों में रहने वाले उद्वासितों के लिए, जिनका वहां से हटाया जाना आवश्यक है, बनवाये गये हैं। ऐसे उद्वासितों मे से कुछ जो अभी नहीं हटे हैं अपने वर्तमान स्थानों के लिए नाममात्र का या थोड़ा सा किराया देते हैं और सरकारी क्वार्टर्स को लेकर नियत किराया देने की पाबन्दी से बचना चाहते हैं। जिलाधीश इन क्वार्टर्स को किराये पर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आशा है कि निकट भविष्य में खाली क्वार्टर्स भी आबाद हो जायंगे।

श्री धर्मसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन १७८ क्वार्टर्स को बनाने में कितना धन खर्च हुआ ?

श्री हुकुमसिंह--

		रु०
३८ दो कमरे वालों में	..	८३,१९८
ऐसे ही १२ में	..	३१,९६४
१०० सी टाइप में	..	४२,२५०
१० इसी टाइप के	..	२१,३५०
१६ ए टाइप	..	९६,९५०
३० दूकानों और ६ फ्लेट्स में	..	९०,०००

खर्च हुआ है।

श्री धर्मसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह ४३ क्वार्टर्स कब से खाली पड़े हुए हैं ?

श्री हुकुमसिंह--जब से बन गये हैं तब से खाली हैं।

श्री धर्मसिंह--क्या यह सही है कि यह क्वार्टर्स बरसात के दिनों में चूने हैं ?

श्री हुकुमसिंह--चूने का पता मुझको नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि इन क्वार्टर्स के अब तक न उठने का कारण अधिक किराया है ?

श्री हुकुमसिंह--अधिक किराया नहीं है, जो हिसाब से पड़ता है वही है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सही है कि शहर की स्थिति को देखते हुए यानी वैसे मकान शहर में उससे आधे किराये पर मिल जाते हैं, इसको देखते हुए उन क्वार्टर्स का किराया ज्यादा है ?

श्री हुकुमसिंह--मुमकिन है शहर में मिलते हों लेकिन इन क्वार्टर्स के जो ऐकोनोमिक रेट्स हैं वे बिलकुल ठीक हैं।

श्री धर्मसिंह--जो क्वार्टर्स खाली पड़े हैं उनके लिये अगर कोई शरणार्थियों को छोड़कर कोई दूसरा प्रार्थना-पत्र दे तो क्या सरकार उनको मकान अलाट करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह--बनाये तो वह उद्वासितों के लिये ही हैं।

*३-५--श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)--[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला गढ़वाल में पेपर मिल खोलने की योजना

*६--श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला गढ़वाल में पेपर मिल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह--जिला गढ़वाल में पेपर मिल खोलने की कोई निश्चित योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, यद्यपि राज्य में उपलब्ध साधनों पर निर्धारित एक पेपर मिल खोलने के प्रश्न पर सरकार सामान्य रूप से विचार कर रही है।

श्री चन्द्रसिंह रावत--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने रा-मेटिरिअल्स जो पेपर इंडस्ट्रीज के लिये जरूरी होते हैं उनके एक्सप्लोरेशन के लिये किसी को मुकर्रर किया है ?

श्री हुकुमसिंह--गवर्नमेंट आफ इंडिया के टेकनिकल ऐडवाइजर से करेस्पांडेंस हो रही है। उनकी राय ली जा रही है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह यह फैक्टरी कहां खोलने का विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह--यह कहना अभी कब्लअजवक्त है।

श्री चन्द्रसिंह रावत--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो एक्सपर्टस हैं उनको जिला गढ़वाल में एक्सप्लोरेशन के लिये भेजेगी ?

श्री हुकुमसिंह--गये भी हैं।

तहसील हाथरस और इगलास की सीमा पर वन लगाने की योजना

*७--श्री नन्द कुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील हाथरस और इगलास की उस सीमा पर जो आगरा और मथुरा से मिलती है, नवीन वन लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक चालू होगी ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--प्रश्न के पहले भाग का उत्तर "जी नहीं" है। दूसरा भाग नहीं उठता।

आगरा में शरणार्थियों के लिए नवीन बाजार

*८--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सरकार रावत पाड़े और हास्पिटल रोड (आगरा) पर शरणार्थियों की अस्थायी दूकानों को हटाने और उनके लिय एक बाजार बनाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह--जी हां।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उस योजना के लिये कोई स्थान नियत हुआ है और क्या उसके लिये कोई इस्टीमेट तैयार हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह--शाहगंज में ३७ दूकानें बन रही हैं, लोहामंडी में ६, मंडी चाबाचा में १८० और नौलखा बाजार में ७०।

श्री देवकी नन्दन विभव--ये दूकानें कब तक तैयार हो जायंगी ?

श्री हुकुमसिंह---कुछ की प्लिंथ तक तैयार हो गयी है, कुछ की १२ फीट तक ऊंची दीवारें बन चुकी हैं। बहुत जल्दी ये दूकानें तैयार हो जायंगी।

धामपुर शुगर मिल, जिला बिजनौर पर किसानों का बकाया

*९---श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि धामपुर शुगर मिल, जिला बिजनौर के किसानों के गन्ने का रुपया बकाया में पड़ा हुआ है?

श्री हुकुमसिंह---जी हां।

*१०---श्री शिव कुमार शर्मा---यदि हां, तो इस वर्ष किसानों का कितना रुपया बकाया में है?

श्री हुकुमसिंह--- १ अप्रैल, १९५४ को इस वर्ष के गन्ने के मूल्य के हेतु उक्त मिल के जिम्मे ३,७४,९७६ रु० ५ आने देना शेष था।

श्री शिव कुमार शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि धामपुर शुगर मिल के जिम्मे जो पौने ४ लाख रुपया किसानों का बकाया है वह उसकी नादेहन्दी की वजह से या मिल की फाइनेंशियल हालत खराब होने की वजह से बकाया रह गया है?

श्री हुकुमसिंह---कुछ कुछ दोनों वजहें हो सकती हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि धामपुर शुगर मिल के जिम्मे किसानों के गन्ने की कीमत गत सीजन की भी शेष है?

श्री हुकुम सिंह---गत सीजन की तो बहुत कम है।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का सेस और गन्ना सोसाइटी का कमीशन भी धामपुर शुगर मिल के जिम्मे बाकी है और उसकी तादाद क्या है?

श्री हुकुमसिंह--- जी हां, बाकी है।

श्री शिव कुमार शर्मा---धामपुर क्षेत्र में फ़सल ओले से बरबाद हो गई है और वहां के किसानों को रुपये की सख्त जरूरत है तो क्या सरकार तुरन्त आदेश देगी कि किसानों के रुपये की अदायगी फौरन कर दी जाय?

श्री हुकुमसिंह---केन कमिश्नर ने जिलाधीश के पास सर्टिफिकेट्स जारी किए हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---गत सीजन और इस सीजन की जो बकाया पड़ी है उसकी वसूलयाबी के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया है?

श्री हुकुमसिंह---अभी जवाब दिया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसानों ने अपनी बकाया मांगने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर साहब ने उनकी कोई मदद नहीं की?

श्री हुकुमसिंह--- यह बक़ाया नहीं है।

*११-१२--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

दाड़िम गांव, जिला नैनीताल में अवैध रूप से वृक्षों का काटा जाना

*१३--श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला नैनीताल के पट्टो पूर्वी आगर के दाड़िमगांव में कुछ लोगों ने जंगल काट काट कर आबादी कर दी है ? यदि हां, तो ऐसा किसकी आज्ञा से किया गया और ये लोग कौन हैं ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)--जिला नैनीताल के पट्टो पूर्वी आगर के दाड़िमगांव में सर्वश्री सूरसिंह, भीमसिंह और प्रेमसिंह ने बिना आज्ञा के पेड़ काट कर भूमि आबाद कर ली है। इन लोगों के ऊपर बेजा कटान के लिए कार्यवाही मंडलाधीश, नैनीताल के न्यायालय में हो रही है और अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री खुशीराम--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किसी न्यायालय में सबसे पेश्तर दरख्वात इस बेजा कार्य को रोकने के लिये कब पड़ी थी ?

श्री मंगला प्रसाद--इतनी तफ्तील की बात का जवाब तो इस समय नहीं दिया जा सकता और अगर जानना चाहते हैं तो सिर्फ उसके लिये नोटिस दीजिये ।

चरखारी, जिला हमीरपुर के बिजली घर का बन्द होना

*१४--श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चरखारी, जिला हमीरपुर में कोई बिजलीघर (Power House) है ? यदि हां, तो वह किसकी देखरेख में चल रहा है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हां, वह बिजलीघर बन्द है और फिलहाल जिलाधीश हमीरपुर के सुपुर्द है।

*१५--श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--इस बिजलीघर (Power House) की इन्स्टाल्ड (installed) केपेसिटी कितनी है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--बन्द होने से पहले बिजली घर की इंस्टाल्ड कैपैसिटी (Installed Capacity) ९५ किलोवाट्स थी।

*१६--श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--क्या यह सच है कई वर्षों से चरखारी, जिला हमीरपुर का बिजलीघर बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके चलाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यह बिजलीघर रैनपुर मंदिर की सम्पत्ति है। इस मंदिर तथा उसकी सम्पत्ति की देख-रेख के लिये संघीय सरकार के आदेशानुसार एक ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव है। बन जाने पर वह Trust ही Power House को फिर से चालू करने के बारे में निर्णय ले सकेगा ।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बिजलीघर कितने दिनों से बन्द है और किन कारणों से बन्द है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं समझता हूं कि करीब सवा या डेढ़ साल से बन्द है और इस कारण से कि उसमें कोई १८ हजार सालाना घाटा पड़ रहा था और उसकी मशीन भी खराब हो गई थी। बगैर एक लाख रुपया खर्च किये और फिर घाटा उठाने का इरादा किये हुये उसे चलाना मुश्किल है ।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी---यहां जो बिजली पैदा की जाती थी वह पावर से होती थी या हाईडेल से ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---यह बिजली मशीनों के जरिये से पैदा होती थी और यह भी सबसे ज्यादा जो वहां के राजा साहब का महल था उसके काम में आती थी और इसी के लिये खास तौर से लगाई गई, मगर बची खुची और कामों में भी आ जाती थी।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी---इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मंदिर की स्थापना तो बहुत दिन हुये हुई थी। किसने की, कोई धर्मात्मा आदमी होगा, उसने की होगी।

अलीगढ़ जिले में सहकारी विभाग द्वारा कोयले का वितरण तथा ईंटों का निर्धारित मूल्य

*१७---श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ५३ में अलीगढ़ co-operative विभाग ने किन किन को कितना कितना कोयला दिया है ?

श्री मंगला प्रसाद---सन् १९५३ में जिला अलीगढ़ में कोयला का वितरण सहकारी विभाग द्वारा निम्न प्रकार किया गया था---

१---सहकारी संघ-जवां	३० वैगन
२---सहकारी संघ-कलवारी	४६ ,,
३---सहकारी सघ बदेसरा	१३ ,,
४---सहकारी संघ सिकन्दराराव	२ ,,
५---सहकारी संघ जिरोली	३३ ,,
६---सहकारी संघ कोरियागंज	११ ,,
७---मेसर्स बसंत लाल एन्ड सन्स अलीगढ़	६ ,,
८---मेसर्स मथुरा प्रसाद महेश प्रसाद सासनी	६ ,,
९---मेसर्स मुरारी लाल एन्ड संस मुरसान	५ ,,
१०---मेसर्स महेश चन्द गुप्ता जटारी	८ ,,
११---मेसर्स जवाहर विद्यालय इगलास	८ ,,
१२---मेसर्स हायर सेकेंड्री स्कूल, गोंडा	११ ,,
१३---मेसर्स रामचन्द्र रामरतन, अलीगढ़	३ ,,
१४---मेसर्स सुरेशप्रसाद भार्गव वस्टोई	३ ,,
१५---मेसर्स ए० एस० ब्रिक वर्क्स दादों	२ ,,
१६---मेसर्स जय गांधी इन्टर कार्यालय, अलीगढ़	१ ,,
१७---मेसर्स शंकर लाल छरा टाउन एरिया	१ ,,
१८---मेसर्स विजयगढ़ स्कूल	१ ,,
१९---मेसर्स बाबूलाल मित्तल, अलीगढ़	१ ,,
२०---मेसर्स डी० एस० कालेज, अलीगढ़	१ ,,
२१--- मेसर्स इज्जतपुर स्कूल	१ ,,

*१८---श्री नेत्रपाल सिंह---क्या इस विभाग ने ईंटों की कोई शरह नियत की थी ? अगर हां, तो क्या थी ?

श्री मंगला प्रसाद---जी नहीं ।

श्री नेत्रपाल सिंह---क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके बतलायेंगे कि जवाहर विद्यालय इगलास और हायर सेकेंड्री स्कूल गोंडा को जो कोयला एलाट किया गया है उसमें से कितना पहुंच चुका है ?

श्री मंगला प्रसाद--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री नेत्रपाल सिंह--क्या सरकार बतलायेगी कि जय गांधी इंटर कालेज, अलीगढ़ क्या कार्य करता है जिसके लिये १ वैगन कोयला दिया गया है ?

श्री मंगला प्रसाद--यह बतलाना इस वक्त मुश्किल है।

श्री दीन दयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जितनी कोआपरेटिव सोसाइटियों को कोयला दिया गया उसमें से कितनों ने भट्ठे चालू किये ?

श्री मंगला प्रसाद---जहां तक मुझे मालूम है जिन्होंने लिया सबने चलाया।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार कोआपरेटिव सोसाइटीज के भट्ठों से जो ईंटें तैयार हुई हैं उनको भविष्य में कोई शरह नियत करने को सोच रही है ?

श्री मंगला प्रसाद---जहां तक शरह तै करने का सवाल है उसको हर जिले का जिलाधीश अपने यहां तै करता है वह चाहे कोआपरेटिव सोसाइटी का भट्ठा हो और चाहे कोई और हो। जहां तक कोआपरेटिव सोसाइटी का भट्ठा है इसकी शरह जिलाधीश ने तय की है और उसी हिसाब से ईंटें बेची जाती हैं।

श्री राम नरेश शुक्ल---क्या सरकार को पता है कि जिलाधीशों ने भिन्न-भिन्न भट्ठों में भिन्न-भिन्न शरहें तय की हैं ?

श्री मंगला प्रसाद---यह सही है।

श्री नेत्रपाल सिंह---क्या सरकार बतावेगी कि राधेलाल आर्य विद्या मंदिर को बावजूद सरकार के आदेश के कोयला क्यों नहीं दिया गया ?

श्री मंगला प्रसाद---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के भट्ठों की ईंटों के दाम और व्यक्तिगत भट्ठों की ईंटों के दाम अलग-अलग हैं ?

श्री मंगला प्रसाद---जहां तक मुझे मालूम है ऐसा नहीं है लेकिन जहां तक कोआपरेटिव का ईंटों का सवाल है, पूरे तौर से मुझे मालूम है कि जिलाधीश जो तय करते हैं उसी भाव से वह बिकती हैं।

इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी पर व्यय

*१९---श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)---क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक Instrument factory पर कितनी पूंजी व्यय हो चुकी है?

श्री हुकुमसिंह---३१ मार्च, १९५४ तक ३३,१९,००० रुपया व्यय हुआ है।

*२०---श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)---क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फैक्ट्री द्वारा अब तक कितना उत्पादन हुआ है ? इसकी खरीद सरकार द्वारा कितनी हुई और जनता द्वारा कितनी हुई ?

श्री हुकुमसिंह--३१ मार्च, १९५४ तक कुल उत्पादन इस प्रकार है---

१/२ इंच वाटर मीटर	१०,८५२	
माइक्रोसकोपस	१६६	
रेडियोज	४१२	यह विभाग अप्रैल, १९५३ में बन्द कर दिया गया था।

व्योरा	प्रांतीय अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा	जनता अथवा लोकल बाडीज द्वारा
१--१/२ इंच वाटर मीटर	†१,५८२	३,६१८
२--माइक्रोसकोप	२	३
३--रेडियोज	२	८८

†इसमें डी० जी० एस० न्यू देहली के भी संदेश पर भेजे हुये मीटर सम्मिलित हैं।

*२१-२२--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--[२६ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२३-२५--श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)---[२७, मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

खलीलाबाद तहसील की नई इमारत

*२६--श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खलीलाबाद तहसील की नई इमारत तैयार हो जाने पर हाकिम परगना, खलीलाबाद को खलीलाबाद ही में रह कर अदालत करने का आदेश देने का विचार कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--खलीलाबाद तहसील की नई इमारत में जो अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, इतनी जगह नहीं है कि हाकिम परगना, खलीलाबाद भी उसमें अपनी अदालत कर सकें। नई इमारत बन जाने पर पुरानी इमारत को भी हाकिम परगना, खलीलाबाद के लिये खाली करना संभव नहीं है क्योंकि मालगुजारी की वसूली और जमींदारी उन्मूलन के मुआवजे के नये काम के लिये तैनात कर्मचारियों के लिये पुरानी इमारत के अतिरिक्त और स्थान नहीं है। अतएव हाकिम परगना, खलीलाबाद को खलीलाबाद ही में रह कर अदालत करने का आदेश देने के संबंध में सरकार अभी विचार नहीं कर रही है।

श्री धनुषधारी पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारी उन्मूलन का कार्य समाप्त हो जाने के बाद सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हां, जब मौका मिलेगा तब विचार करेंगे।

*२७-२९--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०--श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

जुडीशियल आफिसर्स की नियुक्ति

*३१--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में कितने स्थायी और कितने अस्थायी जुडीशियल आफिसर्स हैं और प्रत्येक में कितने परिगणित जातियों के हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--इस समय प्रदेश में ५८ स्थायी और ११६ अस्थायी जुडीशियल अफसर हैं। इनमें परिगणित जाति का कोई नहीं है।

*३२--श्री जोरावर वर्मा--क्या यह सत्य है कि सरकार कुछ और जुडीशियल आफिसर्स को नियुक्त करने जा रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--चकबन्दी योजना को कार्यान्वित करने के लिये जो अफसर लगाये जायेंगे उनके रिक्त स्थानों में सरकार जुडीशियल अफसर नियुक्त करेगी।

*३३--श्री जोरावर वर्मा--क्या इन नियुक्तियों के संबंध में सरकार की ओर से विज्ञापन की व्यवस्था की गई है और क्या इन अफसरों का चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हो रहा है या सीधे (directly) विभाग द्वारा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--इन नियुक्तियों के लिये विज्ञापन दिसम्बर, १९५२ में किया गया था और पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा मार्च, १९५३ में ली गई प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से नियुक्तियां की जायेंगी।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि ५८ स्थायी और ११६ अस्थायी जुडिशल अफसरों की नियुक्ति किस प्रकार हुई थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--इस बारे में कई मर्तबा सवाल यहां हो चुके हैं और पूरे पूरे जवाब दे दिये गये हैं। कई सालों के दरमियान में यह नियुक्तियां हुईं। हमारे यहां पद ग्रहण करने के पीछे हमारी तरफ से जो रेकरूटमेंट हुआ वह पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया गया।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९५३ की प्रतियोगिता परीक्षा में कितने लोगों ने भाग लिया और उनमें राजनैतिक पीड़ितों और हरिजनों की कितनी संख्या थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--भाग लेने वालों की संख्या तो मैं समझता हूं कि करीब डेढ़ सौ के थी। लेकिन इम्तहान होने के आखिर में वहां से जो लिस्ट आई उसमें सिर्फ एक हरिजन है जिसका नम्बर ८१ वां है। उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। जहां तक उसका ताल्लुक है हम इरादा कर रहे हैं कि बहुत जल्द उसको मुकर्रर कर दिया जाय हालांकि उसका नम्बर बहुत नीचे है।

श्री रतन लाल जैन--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि अस्थायी जुडीशियल अफसरों को वह कब तक स्थायी बना देंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जमींदारी एबालीशन का असर हमारे इस वक्त के सब-डिवीजिनल आफिसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स और जुडीशियल आफिसर्स पर क्या पड़ेगा, उसका नतीजा जिस वक्त मालूम हो जाय तो फिर इस बारे में निश्चय किया जायगा।

*३४--श्री मन्नी लाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)--[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*३५—श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)—[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३६—श्री बाबूराम गुप्त—[११ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३७—३८—श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३९—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४०—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

फर्रुखाबाद जिले में गृह उद्योग कार्यों के लिये हरिजनों को सहायता न मिलना

*४१—श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले से हरिजन व्यक्तियों के कितने प्रार्थनापत्र इस वर्ष सरकार के पास आये और कितनों को सरकारी सहायता गृह उद्योग कार्यों के लिये दी गई ?

श्री हुकुमसिंह—वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में गृह उद्योग कार्यों के लिये फर्रुखाबाद जिले के किसी भी हरिजन व्यक्ति का ऋण तथा अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं आया। अतः सरकारी सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पातीराम—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किन्हीं और जिलों से ऐसे प्रार्थनापत्र आने पर कोई सहायता दी गई ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता मूल प्रश्न केवल फर्रुखाबाद का प्रश्न है ।

*४२—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३—श्री व्रज भूषण मिश्र—[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४४-४५—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—[वापस लिये गये ।]

राज्य के विभाजन की समस्या

*४६—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश को दो टुकड़ों में बांटने की समस्या पर उत्तर प्रदेशीय सरकार की राय केंद्रीय सरकार को भाषावार राज्य निर्माण समिति द्वारा मांगी गई है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कदाचित माननीय सदस्य का अभिप्राय उस कमीशन से है जिसे केन्द्रीय सरकार ने गत दिसम्बर में भारत के प्रदेशों के पुनः संगठन के विषय में जांच करने के लिये नियुक्त किया था। उस कमीशन ने इस सरकार से उत्तर प्रदेश को दो टुकड़ों में बांटने के विषय पर कोई राय नहीं मांगी है ।

*४७—श्री बद्री नारायण मिश्र—यदि हां, तो सरकार ने कौनसी राय प्रगट की है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह विदित है कि इस उत्तर प्रदेश के ९७ विधान सभा के सदस्यों ने मेरठ, कुमायूं और रुहेलखंड के कुछ जिलों को दिल्ली में मिलाने की मांग पेश की है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हां, मैंने अखबारों में भी देखा है और जहां तक मैंने सुना है कुछ ने की थी ऐसी मांग ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस मांग के संबंध में इन जिलों का जनमत कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं जनमत लेने के लिये कोई बात देखता नहीं और मेरा निश्चित मत है कि इस सूबे के टुकड़े नहीं होने चाहिये ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन्होंने दस्तखत करके मेमोरेंडम भेजा था उनमें से कुछ सदस्यों ने अपना नाम वापस लेने के लिये दस्तखत कर दिये हैं, यदि हां, तो वे कितने हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--दस्तखत वापस करने की बात तो एक ऐसी है जो मैं ठीक नहीं कह सकता । मगर मैं यह जानता हूं कि बहुत काफी तादाद में ऐसे लोगों की है जो कि सारी बातों को सुनने के बाद और मेरी और पार्लियामेंट के मेम्बरों की अपील को भी अपने सामने रखने के बाद अब यह समझते हैं कि इस सूबे को बिलकुल एक रहना चाहिये और कोई भी हिस्सा अलग नहीं होना चाहिये ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्योंकि इस प्रदेश की कुछ संस्थाओं ने और इस सदन के कई एक सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग की है, क्या सरकार माननीय मुख्य मंत्री के सभापतित्व में शीघ्रातिशीघ्र एक समिति बैठायेगी जो कि बंटवारे की मांग पर निष्पक्षतापूर्वक विचार करे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मेरे पास कोई ऐसा सुझाव पहुंचने की इत्तिला नहीं है ।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन विधान सभा के सदस्यों ने जो अपने मेमोरेंडम भेजे हैं उसके विरुद्ध जबरदस्ती उनसे माननीय मंत्री और अन्य सदस्य गण दबाव डालकर हस्ताक्षर करा रहे हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं समझता हूं कि विधान सभा के सदस्यों से ऐसा कोई ख़याल करे कि जबरदस्ती कोई कुछ करा सकता है यह ग़लत है और विधान सभा की शान के ख़िलाफ है । यह बात जरूर है कि कुछ लोगों ने पहले दस्तखत बहुत जल्दी में किये और उनको सोचने विचारने का अवसर नहीं मिला । बाद में जब सारी बातें उनके सामने आयीं तो उनको यह ख़याल हुआ कि वास्तव में हमारे प्रदेश का या देश का हित इसमें नहीं है कि इस तरीक़े पर बटवारा किया जाय । जो थोड़े चन्द घंटों के अन्दर दस्तखत कराये गये थे उनको उतना सोचने विचारने का समय नहीं मिला था जितना कि ऐसे संगीन विषय पर विचार करने के लिये मिलना चाहिये और अब मैं समझता हूं कि सिवाय इने गिने थोड़े से आदमियों के सब ने यह निश्चय कर लिया है कि हमारे प्रदेश में किसी तरह से कोई हिस्सा कशी हर्गिज नहीं होनी चाहिये ।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माननीय मुख्य मंत्री को पता है कि इन ९७ सदस्यों के जो दस्तखत कराये गये हैं उनमें से बहुतों को ग़लत सलत और भिन्न भिन्न बातें बतला कर दस्तखत हासिल किये गये थे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---इस बारे में मैंने जो कुछ सुना भी हो मैं उसे कहना नहीं चाहता हूं। चूंकि मेरी राय उसके साथ नहीं है जो कि ९७ लोगों की कही जाती है इसलिये मैंने जो कुछ बात सुनी भी हो उसको मैं यहां पर कहना उचित नहीं समझता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को मालूम है कि इन ९७ व्यक्तियों ने जो दस्तखत उस काग़ज पर किये हैं वह यह आरोप लगा कर किये हैं कि पश्चिमी जिलों की तरफ कुछ काम नहीं हो रहा है और पूर्वी जिलों में ही सारा रुपया लगाया जा रहा है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---वह तो उस याददाश्त में लिखा है। वह जिन्होंने देखा है उसके माने लगा सकते हैं।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस मूव के पीछे किसी माननीय मंत्री का भी हाथ है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मुझे यह मालूम है कि किसी मंत्री का हाथ नहीं है और सभी मंत्री इसके विरुद्ध हैं कि इस प्रदेश के कोई हिस्से हों। सभी मंत्रियों का एक मत है कि यह प्रदेश जैसा है वैसा बना रहे।

चीनी के मूल्य में वृद्धि

*४८---**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अव्यवस्थित चीनी मिलों ने केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार निर्धारित मूल्य से चार आना अधिक देना शुरू कर दिया है ? अगर हां, तो कौन-कौन मिलें ऐसा कर रही हैं और किस तारीख़ से ?

श्री हुकुमसिंह---केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था लेकिन उन्होंने यह सुझाव रखा था कि पश्चिमी जिलों की चीनी मिलें गन्ने के निर्धारित मूल्य से चार आना प्रति मन अधिक दें। यह धनराशि मिलों की चीनी बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त मुनाफ़े में किसानों को साझीदार बनाये जाने की योजना में किसानों के मुनाफे के हिस्से में मुजरा कर दिया जायगा। निम्नलिखित चीनी मिलों ने उनके सामने लिखी गई तारीख़ से चार आना प्रति मन अधिक गन्ने के दाम दिये हैं--

१---सिंभावली	.. ..	८-३-५४
२---मोहिउद्दीननपुर	.. ..	८-३-५४
३---मलियाना	.. ..	८-३-५४
४---मोदीनगर	.. ..	९-३-५४
५---मवाना	.. ..	११-३-५४
६---दौराला	.. ..	११-३-५४
७---सखौती टांडा	.. ..	१३-३-५४
८---सहारनपुर	.. ..	८-३-५४
९---देवबन्द	.. ..	११-३-५४
१०---लक्सर	.. ..	१४-३-५४
११---रोहाना	.. ..	११-३-५४
१२---शामली	.. ..	९-३-५४
१३---मन्सूरपुर	.. ..	१०-३-५४
१४---खतौली	.. ..	१०-३-५४
१५---बिलारी	.. ..	११-३-५४
१६---महोली	.. ..	८-३-५४

'गन्ना दाम बढ़ाओ' आन्दोलन

*४६—श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हिन्द किसान पंचायत, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये गये 'गन्ना दाम बढ़ाओ आन्दोलन' के सम्बन्ध में किन किन जिलों में कितने कार्यकर्त्ता या किसान गिरफ्तार किये गये ?

श्री हुकुमसिंह—इस सीजन में किसानों को गन्ना देने से रोकने के संबंध में निम्नलिखित गिरफ्तारियां हुईं, जिनके कारण शान्ति भंग होने का अन्देशा था:—

मुरादाबाद	५
शाहजहांपुर	५७
बिजनौर	३
बरेली	१२
नैनीताल	९७
देवरिया	१८
बाराबंकी	१९
रामपुर	२५
कुल ..	२३६

*५०-५२—श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)—[१८ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३७–३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५३–५५—श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—[स्थगित किये गये ।]

जिला गढ़वाल की रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटियां

*५६—श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल के देहातों में कितनी कोआपरेटिव सोसाइटियां रजिस्टर्ड हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—जिला गढ़वाल के देहातों में ५७६ कोआपरेटिव सोसाइटियां रजिस्टर्ड हैं ।

श्री रामप्रसाद नौटियाल—क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसी कितनी सोसाइटियां हैं जो अब रजिस्टर होने जा रही हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—इसका अभी पता नहीं है । अगर आप नोटिस दें तो बताया जा सकता है ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गढ़वाल की जितनी रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं ये क्या काम वहां कर रही हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—तरह तरह के काम कर रही हैं । ज्यादातर जो वहां पर गल्ले और कपड़े वगैरह की कमी है उसका वितरण करती है और बहुत सी बहुधंधी समितियां हैं, कुछ दवाइयों का भी काम करती हैं, काफी लम्बा चौड़ा काम है जिसका जिक्र यहां आसानी से हो सकता है ।

*५७—श्री शिवराज सिंह यादव—[१८ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जौनपुर जिले में सहकारी इन्सपेक्टरों की नियुक्ति

*५८—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जौनपुर जिले में कितने और कहां कहां सहकारी इंसपेक्टर रक्खे गये है ?

श्री मंगला प्रसाद—जौनपुर जिले में ३ सहकारी इन्सपेक्टर निम्नलिखित स्थानों पर नियुक्त हैं—

स्थान	संख्या
सदर	१
शाहगंज	१
मुंगराबादशाहपुर	१

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोराकत मड़ियाहूं में भी सोसाइटियां क़ायम हुई हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—क़ायम हुई होंगी लेकिन इस वक्त इसकी इत्तला नहीं है ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं में इंस्पेक्टर क्यों नहीं रखे गये ?

श्री मंगला प्रसाद—असल में जौनपुर में चार इंस्पेक्टर्स थे, अब तीन हो गये हैं । कुछ इंसपेक्टर्स बैंकिंग के काम में चले गये हैं और कुछ ट्रेनिंग में चले गये हैं । इसलिये कमी हो गयी है । आइन्दा काम बढ़ने पर और इंसपेक्टर्स बढ़ाये जायंगे ?

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि मड़ियाहूं की सोसायटी के अन्दर भट्टे का काम जारी है । यदि हां, तो इंसपैक्टर्स कब तक भेजे जायंगे ?

श्री मंगला प्रसाद—इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है । आपके सवाल से यह सब बातें निकलती नहीं हैं ।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में यह इंसपैक्टर्स कब से रखे गये हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—यह तो पहले से रखे हुये हैं । पहले चार थे लेकिन अब तीन ही रह गये हैं ।

राज्य में अमरीकी मिशनरी केन्द्र

*५९—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में अमरीकी मिशनरी केंद्र कितने और किन किन स्थानों पर हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल ११९ अमरीकी मिशनरी केन्द्र हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८८-२८९ पर ।)

*६०—श्री धर्मदत्त वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय सरकार द्वारा इनको किसी प्रकार की सहायता दी जाती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सरकार द्वारा इन केंद्रों को तो कोई सहायता दी नहीं जाती पर कहीं कहीं इनके द्वारा खोले हुये स्कूलों और अस्पतालों को और स्कूलों और अस्पतालों की तरह सहायता दी जाती है।

जिला मेरठ में नई सहकारी समितियां

*६१—श्री रामजी लाल सहायक (जिला मेरठ)—क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में जिला मेरठ में कितनी नई सहकारी समितियां स्थापित की गईं ?

श्री मंगला प्रसाद—सन् १९५२-५३ में जिला मेरठ में १०५ सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में इस समय तक कुल कितनी सहकारी समितियां हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामजी लाल सहायक—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन समितियों में से कितनी शहरी क्षेत्रों में हैं और कितनी देहाती क्षेत्रों में हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—यह समितियां ज्यादातर देहाती क्षेत्रों में हैं। इससे मालूम होता है कि वहां पर सिंचाई समिति ७३ हैं, बहुधंधी १८, खेती की चकबंदी की ७, कोआपरेटिव फार्मिंग की १, कोआपरेटिव हाउसिंग की ५ और कोआपरेटिव स्टोर की १। इससे ज्यादातर समितियां देहाती क्षेत्रों में ही मालूम होती हैं।

आजमगढ़ जिले में सीनियर डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति

*६२—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् ४९ से ५२ तक आजमगढ़ जिले में जिलाधीश की अदालत में पड़ी हुई अपीलों की सुनवाई करने के लिये कोई सीनियर डिप्टी मैजिस्ट्रेट नियुक्त था ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—आजमगढ़ जिले में ६ जुलाई, १९५० तक लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत अपीलें सुनने के अधिकार प्राप्त एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर तैनात थे। उक्त तारीख के बाद इस जिले में किसी भी डिप्टी कलेक्टर को यह अधिकार प्राप्त नहीं थे।

*६३—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अपीलों की सुनवाई करने के लिये ३ वर्ष से वहां कोई डिप्टी मैजिस्ट्रेट नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अपीलें सुनने के अधिकार प्राप्त डिप्टी कलेक्टरों की संख्या बहुत ही सीमित है। अतएव सरकार के लिये हर जिले में ऐसे अधिकार प्राप्त एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर की व्यवस्था करना कभी सम्भव नहीं हो सका। आजमगढ़ जिले में कोई ऐसा सीनियर डिप्टी कलेक्टर इसलिये तैनात नहीं किया गया क्योंकि यह आशा की जाती थी कि कलेक्टर स्वयं ही ऐसी अपीलें सुन कर समय पर फैसला देने में समर्थ होंगे।

*६४--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था थी और अब खत्म कर दी गयी है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--इस समय प्रदेश में कुल चार जिले ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक में एक एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर को यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट तथा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन अपीलें सुनने का अधिकार प्राप्त हैं। २४ जिलों में एडीशनल कलेक्टर हैं जो कलेक्टर की ओर से अपीलें सुनते हैं। इन चार जिलों में दो जिले ऐसे भी सम्मलित हैं जिनमें एक एडिशनल कलेक्टर तथा अपीलें सुनने के अधिकार प्राप्त एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं।

इस प्रकार २५ जिले ऐसे हैं जिनमें न तो अपीलें सुनने के अधिकार प्राप्त कोई सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं और न कोई एडिशनल कलेक्टर।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६ जुलाई, १९५० से पहले आजमगढ़ जिले में मुकदमों की अधिकता के कारण एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर मुक़र्रर किया गया था ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर वहां था। सब बातों का लिहाज करके डिप्टी कलेक्टर्स की तादाद का लिहाज करके सूबे की जरूरत को देखकर यह तैनाती मुनासिब समझी गयी थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या यह सही है कि आजमगढ़ में कार्याधिक्य के कारण अपीलों की सुनवाई तीन तीन साल तक होती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी नहीं, मुमकिन है कभी किसी अपील में देर हो जाय, मगर आम तौर पर तो तीन साल रुकती नहीं। तारीख जल्दी की लगती है और इस वक्त कुल अपीलें सारे जिले में तीन सौ के हैं जिनका कि फैसला होना बाकी है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या आजमगढ़ जिले में कार्याधिक्य को देखते हुए माननीय मुख्य मन्त्री पुनः सीनियर डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति पर विचार करेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अब दौरे बन्द हो गये हैं और कलेक्टर अब अपने हेडक्वार्टर में रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इन अपीलों का फैसला बहुत हद तक कर सकेंगे।

प्रदेश की सिविल सर्विस में महिलाओं का स्थान

*६५--श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की सिविल सर्विस में महिलाओं को भी स्थान दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि पिछली परीक्षा में कितनी महिलायें बैठीं और कितनी उत्तीर्ण हुईं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिविल सर्विस हैं :--

(१) सिविल सर्विस (अधिशासकीय शाखा)।

(२) सिविल सर्विस (न्यायिक शाखा)।

प्रथम सर्विस में नियुक्ति के लिए ५ मार्च, १९४८ से तथा द्वितीय सर्विस में नियुक्ति के लिए मार्च, १९४९ से महिलायें योग्य घोषित कर दी गयी हैं। अतः इन सर्विसों में नियुक्ति के लिए महिलाओं पर अब कोई प्रतिबन्ध नहीं है, और यदि वे उनके लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण होती हैं तो उन्हें योग्यता के क्रम से (in order of merit) नियुक्त किया जाता है।

मार्च, १९४८ तथा मार्च, १९४९ से अब तक जितनी परीक्षायें क्रमशः यू० पी० सिविल सर्विस (अधिशासकीय शाखा) तथा यू० पी० सिविल सर्विस (न्यायिक शाखा) में नियुक्ति के लिए हुई हैं, तथा जितनी महिलायें उन प्रत्येक परीक्षाओं में बैठीं तथा जितनी उत्तीर्ण हुईं, और नियुक्त हुईं, इत्यादि का विवरण संलग्न तालिकाओं में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९०–२९१ पर।)

श्रीमती चन्द्रवती––क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि छः स्थानों में इतनी कमसंख्या में स्त्रियों के नियुक्त होने का क्या कारण है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––स्त्रियों की तादाद की बाबत यह है कि ३ नियुक्तियां हुई हैं। मैं समझता हूं कि तीन की तादाद कम नहीं है। अगर स्त्रियां कोशिश करके और ज्यादा आना चाहें, तो ज्यादा आवें। इसके लिए जो रुकावट हुई थी, वह तो सरकार ने अलग कर दी, अब स्त्रियां आन्दोलन करें, स्कूल खोलें, कालिज खोलें, उनको पढ़ावें, इम्तहान पर और और तरीके पर शिक्षित करने के लिए कोशिश करें, जिस से ज्यादा तादाद में आवें और अगर इसे ज्यादा पसन्द करती हैं कि गृहस्थी बनें, तो वैसा करें।

श्री नेकराम शर्मा––क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्त्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए और अवसर देने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन में सर्विसेज में उनके लिए कोई सुरक्षित स्थान रखने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––कानून इजाजत नहीं देता और स्त्रियां पसन्द नहीं करेंगी कि वह दूसरों से कमजोर और अधूरी समझी जायं।

श्री श्रीचन्द––क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि प्रतियोगिता की परीक्षा में स्त्रियों को सुविधा दी जाय ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––पूरी सुविधा मिलती है। कोई असुविधा आप बतलायेंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा––क्या यह सही है कि जो स्त्रियां इसमें सिलेक्शन में आती हैं, तो उन पर यह प्रतिबन्ध होता है कि वह शादी नहीं कर सकतीं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––जी नहीं, आप कोई डर ऐसा न करें।

*६६-६८––**श्री बसन्तलाल शर्मा** (जिला बहराइच)––[२७ मार्च, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

कांधला में उद्वासितों के लिये मकानों का निर्माण

*६९––**श्री श्रीचन्द**––क्या उद्योग मन्त्री प्रश्न ३, दिनांक २६ मार्च, १९५३ के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि कांधला में क्या २४ मकान बनवाये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो कब बन जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह––सोलह मकान बन रहे हैं और शीघ्र ही तैयार हो जायेंगे।

*७०––**श्री श्रीचन्द**––क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि जो मकान सन् १९५२–५३ में बनने वाले थे, वे अब तक किन-किन कारणवश नहीं बनाये जा सके ?

श्री हुकुमसिंह--जुलाई, १९५३ के अन्त में ही मकान निर्माण करने के लिए भूमि मिल सकी। तदुपरान्त ईंट और सिमेंट न मिलने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ।

*७१--**श्री श्रीचन्द**--क्या उद्योग मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त मकानों से सम्बन्धित ६०० उद्वासितों में से कितने आदमियों को कहां कहां और कितनी कितनी जमीन जोतने के लिए दे दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह--आठ परिवारों को कुल ६५ १/२ एकड़ भूमि तराई तथा कान्धला में दी गयी है, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है, सात परिवारों को ५७ १/२ एकड़ भूमि तराई में, एक परिवार को ८ एकड़ भूमि कान्धला में।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मकानों के बनने का कितना काम अब तक हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह--४ में प्लिथ तक तैयार हो गया है और १२ में ७ फुट तक ऊंची दीवारें उठ चुकी हैं ?

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मन्त्री जी की नोटिस में यह बात आयी है कि अभी इस भूमि का निर्णय नहीं हुआ कि किस जगह पर मकान बनाये जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह--जी नहीं। यह बात गलत मालूम होती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कांधला बस्ती में पुरुषार्थियों के लिए कितने मकानों की आवश्यकता सरकार समझती है ?

श्री हुकुमसिंह--मकानों की ज्यादा जरूरत है, लेकिन जमीन ऐसी नहीं मिलती जहां पर कि मकान बनाये जाने से ये शरणार्थी लोग खुश हों। बीच शहर के अन्दर वह चाहते हैं और शहर के अन्दर जमीनें मिलने में कठिनाई पड़ती है। इस वजह से जितनी जमीन मिल सकी, उतने मकान बनाये गये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--६०० पुरुषार्थियों में से जो माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया १६ परिवारों को भूमि दी जा चुकी है, तो शेष परिवारों के लिए भूमि दिलाने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह--जिलाधीश ने सरकार को ८४ उद्वासियों की फेहरिस्त भेजी है, वह विचारणीय है। निर्णय होने पर जमीन यथाशीघ्र दी जायगी।

श्री गैंदासिंह--सीमेंट न मिलने की शिकायत माननीय मन्त्री जी को कब प्राप्त हुई ? उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह--अब जब प्रश्न हुआ तब पता चला कि इस वजह से कुछ मकान नहीं बन पाये।

कानपुर के चमड़ा उद्योग की उन्नति के लिये जांच कमेटी

*७२--**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)--क्या उद्योग मन्त्री कानपुर के चमड़ा उद्योग की उन्नति के लिए कोई जांच कमेटी बनाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह--जी नहीं।

*७३--श्री मुरलीधर कुरील--क्या उद्योग मन्त्री कानपुर के घरेलू चमड़ा व्यवसाय को क्वालिटी मार्किंग स्कीम के अन्तर्गत शामिल करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह--(अ) जी हां।

(ब) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्हें यह पता है कि कानपुर में चमड़ा उद्योग के व्यवसायियों की हालत दिन पर दिन चिन्ताजनक होती चली जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह--मुझे तो इसकी कोई इत्तला नहीं है ?

*७४--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--[२७ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया]।

*७५--श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)--[२७ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया]।

जिला जज, बुलन्दशहर का तबादला

*७६--श्री राजनारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि जिला जज, बुलन्दशहर का ट्रांस्फर सहारनपुर को किया गया था और वह फिर रोका गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जिला जज, बुलन्दशहर का तबादिला बुलन्दशहर से सहारनपुर किया गया है।

*७७--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--[२७ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया]।

*७८--श्री शिवराज सिंह यादव--[१८ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

पर्वतीय जिलों में रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं का निरीक्षण

*७९--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पर्वतीय जिले गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और टेहरी में कितनी रजिस्टर्ड सहकारी संस्थायें हैं और उनके निरीक्षण के लिए कितने निरीक्षक अंकेक्षक (auditors) और सुपरवाइजर प्रत्येक जिले में नियुक्त हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल व टेहरी, प्रत्येक पर्वतीय जिले में रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं और उनके निरीक्षण के लिए नियुक्त निरीक्षकों व सुपरवाइजरों की संख्या निम्नलिखित है :--

नाम जिला	रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं की संख्या	निरीक्षकों की संख्या	सुपरवाइजरों की संख्या
गढ़वाल ..	५९०	४	१६
अल्मोड़ा	७१२	५	३०
नैनीताल ..	५४२	१	२०
टेहरी ..	१०४	३	१६

*८०--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पर्वतीय जिलों के सहकारी कार्यालयों में कुल कितने लिपिक हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--१२।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सुपरवाइजर्स की तनख्वाह किस अनुदान से दी जाती है ?

श्री मंगला प्रसाद--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गंगाधर मैठाणी--अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। प्रश्न नम्बर ७९ में इन्स्पेक्टर और सुपरवाइजरों की तो संख्या मिली है लेकिन अंकेक्षकों की संख्या नहीं मिली है। इसलिए उसको अंग्रेजी में आडिटर भी लिख दिया था। क्या सरकार कृपा करके आडिटरों की संख्या बतायेगी ?

श्री मंगला प्रसाद--आपने सुना नहीं गालिबन। ८० के जवाब में १२ बता दिया गया था।

श्री अध्यक्ष--वह आडिटर्स के बारे में पूछना चाहते हैं। क्या इसका उत्तर बाद में दिया जायगा ?

श्री मंगला प्रसाद--इसका उत्तर बाद में दिया जायगा।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार कृपापूर्वक बतलायेगी कि यह जो लिपिक हैं, किस जिले में कितने नियुक्त किये गये हैं और क्या वह परमानेंट हैं या टेम्पोरेरी ?

श्री मंगला प्रसाद--इसके लिए भी नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन आडिटर्स और सुपरवाइजर्स को कहां से तनख्वाह दी जाती है ?

श्री मंगला प्रसाद--आडिटर्स को तनख्वाह दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से।

ईंटों के मूल्य का निर्धारण

*८१--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार सहकारी विभाग द्वारा चलाये गये भट्ठों के ईंटों का मूल्य स्वयं निर्धारित करती है ?

श्री मंगला प्रसाद--जी नहीं।

श्री उमाशंकर--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को मालूम है कि सहकारी भट्ठों की ईंटों का मूल्य कौन निर्धारित करता है और किस सिद्धांत पर ?

श्री मंगला प्रसाद--पहले एक सवाल के जवाब में कहा जा चुका है कि जिलाधीश मुकर्रर करते हैं। यहां गवर्नमेंट से अख्तियार दिया गया है जिलाधीश को कि वह जगह जगह पर हर जिलों में वहां के खर्च वगैरह के लिहाज से दाम मुकर्रर कर दें। चुनांचे ५१ जिलों में जिलाधीशों ने मुकर्रर किया है। कोआपरेटिव से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार को विदित है कि सहकारी भट्ठों के मुकाबिले में निजी भट्ठों की ईंटों की कीमत कम होती है ?

श्री मंगला प्रसाद--वाकया तो यह है कि कोआपरेटिव के भट्ठे खुलने से जो बहुत दाम निजी भट्ठे लिया करते थे, उसमें कमी हो गई है और यह कहना गलत है कि निजी भट्ठे वाले कम दाम में ईंटें बेचते हैं और सहकारी भट्ठे वाले ज्यादा दामों में।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार सहकारी समितियों द्वारा चलाये गये भट्ठों के मुनाफे का नियंत्रण करेगी ?

श्री मंगला प्रसाद--सरकार बराबर उनका नियंत्रण करती है और जहां पर खराबी होती है उसको दुरुस्त भी करती है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां सहकारी भट्ठे कायम किये गये हैं वहां दूसरे किसानों को कोयला नहीं मिलता ?

श्री मंगला प्रसाद--जहां तक कोयले का सवाल है वह तो सहकारी भट्ठों को अलग से मिलता है और दूसरों को देने का काम सहकारी समितियों का नहीं है। यह काम जिलाधीश या सप्लाई विभाग का है। इसलिये इसका कोआपरेटिव से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सहकारी भट्ठों में जो फर्स्ट क्लास ईंटें होती हैं उनके साथ सेकिंड क्लास ईंट लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है जिससे वहां की बिक्री कम हो गई ?

श्री मंगला प्रसाद--आम तौर से ऐसा नहीं है। बाराबंकी में ऐसा हो सकता है तो इसकी देखभाल की जायगी।

श्री शिवनारायण--क्या यह सही है कि अव्वल दर्जे की ईंटें सरकारी काम के लिये रक्खी जाती हैं और किसानों को अव्वल दर्जे की ईंटें नहीं दी जातीं ?

श्री मंगला प्रसाद--यह सही नहीं है। अक्सर यह होता है कि भट्ठा खुलने के पहले अगर कोई सरकारी आर्डर पहले हो जाता है कोई सरकारी काम करने के लिये तो पहले उसको ईंटें दे दी जाती हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि फर्स्ट क्लास सरकार को दी जायं और सेकिंड क्लास दूसरों को।

चीनी मिलों को गन्ना न मिलने से हानि

*८२--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष प्रदेश की शक्कर मिलों में गन्ना पहुंचना रोकने से कितने मिल कितने दिनों के लिये बन्द हुये, और शक्कर के उत्पादन में कितनी क्षति पहुंची ?

श्री हुकुम सिंह--प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में ६ मिल १ दिन, ३ मिल २ दिन, १ मिल ३ दिन, १ मिल ७ दिन तथा ३ मिल ८ दिन पूर्णतः बन्द रहीं। इसके अतिरिक्त १६ मिलें कुछ समय के लिये आंशिक रूप से बन्द रहीं। इन मिलों के बन्द रहने के कारण फरवरी के प्रथम पक्ष में लगभग २.२५ लाख मन शक्कर का उत्पादन कम हुआ। लेकिन कुल शक्कर उत्पादन को कितना नुकसान पहुंचा, यह अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है।

*८३--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले वर्षों में गन्ने का क्या मूल्य निश्चित किया गया और वह मूल्य किन कारणों से घटाया गया ?

श्री हुकुमसिंह—गत तीन वर्षों में गन्ने का न्यूनतम मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया :—

१९५१–५२	..	रु०	१	१२	० प्रतिमन
१९५२–५३	..	,,	१	३	० ,, रेल
			१	५	० ,, घाट
१९५३–५४	..	,,	१	५	० ,, रेल
	..	,,	१	७	० ,, घाट

प्रश्न का दूसरा भाग केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है।

*८४—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले दो वर्षों में इस प्रदेश के मिलों द्वारा कितनी शक्कर बनाई गई और इस वर्ष कितनी शक्कर बनने का अनुमान है ?

श्री हुकुमसिंह—पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश के मिलों ने निम्नलिखित मात्रा में शक्कर उत्पादन किया—

१९५१–५२	..	२२७.४४ लाख मन
१९५२–५३	..	१९०.६२ लाख मन

इस वर्ष अनुमान किया जाता है कि लगभग १५० लाख मन शक्कर का उत्पादन होगा।

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में उद्योग धन्धों के लिये सहायता

१—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में उद्योग धंधों के लिये कितना रुपया दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह—जौनपुर जिले में उद्योग धंधों के लिये वित्तीय वर्ष १९४८–४९ से वित्तीय वर्ष १९५३–५४ तक १०,४५० रु० ऋण तथा अनुदान के रूप में वितरित किया गया। इसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९२ पर।)

श्री वंशराज सिंह की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राम नारायण त्रिपाठी का आया है जो श्री वंशराज सिंह की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में है। कल ही इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। लिहाजा इतने महत्व का प्रश्न मैं इसे नहीं समझता जिस पर कि सदन विचार करे अपना काम रोक कर। लेकिन एक रास्ता नियमों में मौजूद है कि जब प्रश्न किया जाता है और कोई माननीय सदस्य उस पर विवाद चाहे तो आध घंटा वह उस पर विवाद कर सकता है जब कि प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऐसी व्यवस्था में इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि काम रोक कर अब इसके ऊपर विवाद किया जाय। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति की बैठकों की संक्षिप्त कार्यवाहियां

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति की बैठकों की संक्षिप्त कार्यवाहियों को सदन की मेज पर रख दिया जाय। आचार्य जुगुल किशोर, सभापति, प्राक्कलन समिति, इस समय उपस्थित नहीं हैं इसलिये मैंने ही सदन की मेज पर उनको रख दिया है। जो माननीय सदस्य उसको देखना चाहें तो वह वहां पर देख सकते हैं।

श्री वंशराज सिंह की भूख हड़ताल समाप्त होने के सम्बंध में सूचना

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मैं आप की इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि यह काम रोको प्रस्ताव जिन साहब के मुताल्लिक़ था उनकी भूख हड़ताल दो रोज हुये ख़त्म हो चुकी थी और उनको सुपीरियर क्लास देने का आर्डर भी यहां से जारी हो चुका है। पहले उनको कोर्ट ने वह आर्डिनरी क्लास दी थी।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं प्रस्तावक महोदय इस सूचना के मिलने पर खुश हो जायंगे।

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खण्ड ६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

‡श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय जयपाल सिंह ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह चाहता हूं कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं और उन पंचायतों के जो प्रधान हैं उनके लिये जो उमर का प्रतिबन्ध रखा जाय वह २१ तक का रखा जाय बजाय ३० साल के। इस पर विचार करने के लिये हमको यह भी देखना होगा कि जिस पद पर हम नियुक्ति करने जा रहे हैं उसका काम क्या होगा। हमारी जो पंचायतें हैं उनके जो प्रधान हैं या पंचायतें हैं उनका जो काम है वह रचनात्मक कार्य है। गांवों के विकास कार्य हैं और गांव के सफ़ाई करने वग़ैरह का काम है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम हमारी जो पंचायतें हैं उनके पास नहीं है। इसलिये हमको यह देखना है कि आया उस काम के लिये जिन लोगों की उमर ३० साल की हो जाती है वह ठीक होंगे या और लोग जिनकी कम उम्र है वह उस काम के लिये ठीक हो सकते हैं। इस बात पर हमको यहां पर विचार करना है।

अध्यक्ष महोदय, हम चाहते तो यह थे कि २५ साल की उमर उनके लिये रखी जाय और वह इसलिये रखी जाय कि हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि धारासभा का मेम्बर जो हो उसकी उमर २५ साल की होनी चाहिये लेकिन माननीय मंत्री जी ने हमारे उस संशोधन को स्वीकार नहीं किया है लेकिन उन्होंने यह इच्छा जाहिर की थी कि अगर २५ साल रखी जाय तो फिर २१ साल क्यों न रखी जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो अपनी इच्छा यहां पर जाहिर की थी वह क्यों न रखी जाय। मैं समझता हूं कि इसको मानने में उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, यह तो एक बहुत छोटा सा काम है। जब हमारी

---

*२२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†२८ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

पंचायतों के मेम्बरों की उमर २१ साल हो सकती है तो उनके प्रधान जो होते हैं उन प्रधानों के ऊपर कोई खास जिम्मेदारी तो होती नहीं है जो उससे ज्यादा हो जो कि मेम्बरों की होती है तो फिर क्यों न उनकी उमर २१ साल कर दी जाय। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कल कहा था कि बहुत सी शिकायतें उनके पास इस तरह की आयीं कि बहुत से प्रधान लोगों ने गांव पर टैक्स लगा दिये जिनके बारे में गांव सभा के मेम्बरों से उन लोगों ने नहीं पूछा। मेरे सामने भी खुद ऐसी बहुत सी मिसालें आयीं कि जहां पर ज्यादा उमर वाले सभापति थे उन लोगों ने बिना ग्राम सभा से पूछे हुये हमारे यहां पर टैक्स लगा दिये क्योंकि जो पंचायत राज के सेक्रेटरी थे, उनके कहने पर। पंचायत राज के सेक्रेटरी के लिये पहले यह था कि उनकी तनख्वाह पंचायत से दी जायगी और सरकार ने यह पहले व्यवस्था की थी लेकिन क्योंकि ग्राम सभा वालों ने अपने ऊपर कोई टैक्स न लगाये और टैक्स की कोई बात ग्राम सभा के पास न आयी, तो जो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी थे उनसे सभापति मिल गये और उन सभापतियों ने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरियों से मिल कर उन गांवों पर टैक्स लगा दिया जिनकी जानकारी गांव वालों को नहीं थी जब वह टैक्स पास हो कर गजट हो गया और वसूली के लिये लोग गये तब जा कर गांव वालों को पता लगा कि हमारी बिना अनुमति के यह टैक्स लग गया है। मैं समझता हूं कि २१ साल का नौजवान काफी समझदार होता है। पी० सी० एस०, आई० ए० एस० और जितने हमारे जुडिशल मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर्स नये रखे जाते हैं सब इसी उम्र के होते हैं जो जिले का या सब-डिवीजन का शासन करते हैं और लाठी चार्ज भी करा सकते हैं। यह बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, तो क्यों नहीं हमारी ग्राम पंचायतों के प्रधान २१ वर्ष के नौजवान हो सकते हैं? वे उमंग से रचनात्मक कार्य करते हैं। मुझे तजुर्बा है कि श्रमदान में और विकास के कार्य में हमारे यहां नौजवानों ने बहुत उत्साह से कार्य किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं। हमारे नौजवान जो जिलों में अफसर हो कर आते हैं काफी प्रभुत्व रखते हैं। वे जिला मैजिस्ट्रेट तक होते हैं। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का ३० साल की क़ैद हमारे नौजवानों पर लगाना उचित नहीं होगा। हमारे बहुत से हरिजन भाइयों में अभी भी इनफ़ीरियारिटी कम्प्लैक्स, जैसे हमारे माननीय शिवनारायण जी किसी की चारपाई पर बैठने के लिये तैयार नहीं हैं, तो हमारे नौजवान हरिजन विद्यार्थी जो कालेजों से निकल कर आवें उनके लिये तो कम से कम सुभीता होना चाहिये कि वह कम्प्लैक्स उनके अन्दर न हो, तब वह अपनी जाति की भलाई कर सकते हैं। उन्हें भी इस बात का मौक़ा मिलना चाहिये कि वह अपने ग्राम की सेवा कर सकें। मुझे दुख हुआ कि जब हम अपने हरिजन नौजवान भाइयों को मौक़ा देना चाहते थे कि वह ग्रामों में आ कर विकास के कार्यों में सहयोग दें और देश का कल्याण करने में सहायक हों तो ऐसे मौक़े पर माननीय शिवनारायण जी उस प्रस्ताव का विरोध करने लगे हैं इससे मुझे बड़ा भारी दुःख हुआ। उन्हें अपने ही भाइयों के साथ ऐसा करना उचित नहीं था। हम चाहते हैं कि सब को मौक़ा मिले कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रदेश की और ग्रामों की सेवा कर सकें। हमारा २ साल का तजुर्बा है कि जब कभी इस सदन में हरिजनों के उद्धार के लिये उन्हीं के किसी भाई ने या हम लोगों ने कोई प्रस्ताव रखा तो सरकार का फ़जूल का साथ देने के लिये शिवनारायण जी उसका विरोध करने लगते हैं। २ साल हो गये, यही हम बराबर देखते आ रहे हैं। इससे हरिजन भाइयों की उन्नति होने से रुक रही है। हम नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसा अन्याय होता ही रहे जो कि पिछले २ वर्षों से होता आया है। मैं माननीय शिवनारायण जी से कहूंगा कि वह ज़रा फिर से इस बात को यानी अपने विरोध को सोचें। परसीवियरैंस की भी, अध्यक्ष महोदय, कुछ हद होनी चाहिये। माननीय शिवनारायण जी को इन्तजार करते हुये बहुत दिन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह वापस ले लीजिये। अपना यह 'इशारा' आप वापस ले लीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—वह 'इशारा' अध्यक्ष महोदय ! वह अपना 'इशारा' मैं वापस लेता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिव नारायण जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं वह यह है कि उनकी उम्र तो ३० साल की हो गयी है, वे जानते हैं कि वे तो कहीं न कहीं हो ही जायेंगे लेकिन उन्हें अपने नौजवान भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिये, उन्हें भी मौक़ा देना चाहिये कि वे भी ग्राम सभाओं की और अपने इलाके की कुछ सेवा कर सकें। उन लोगों को ऐसा मौक़ा देने के लिये उन्हें तो हमारा और अपने भाइयों का साथ जरूर देना चाहिये था लेकिन दुख है कि उन्होंने साथ नहीं दिया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि व्यर्थ समय नष्ट न हो इसलिये मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस पर पुनः विचार करना चाहिये। २१ न सही तो २५, २४, २३ कुछ भी वे मान लें तो भी मुझे कोई एतराज न होगा। अगर २१ और २५ के बीच के लिये वे अपने अमेंडमेंट ले आयें तो मैं समझता हूं उनके लिये भी ठीक होगा और प्रदेश के लिये भी ठीक होगा और जिस उद्देश्य से माननीय जयपाल सिंह जी ने यह संशोधन रखा है वह भी पूरा हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय जयपाल सिंह जी के प्रस्ताव का कि उम्र ३० साल के बजाय २१ साल रक्खी जाय, समर्थन करता हूं।

*श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से जो संशोधन माननीय जयपाल सिंह जी ने रक्खा है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो ३० साल की अवस्था रक्खी गयी है मैं उसको बहुत ही मुनासिब समझता हूं। क्योंकि ३० साल तक गांव के ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन का एक रास्ता निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि उनको किधर जाना है, उनको क्या व्यवसाय करना है। ३० साल तक ही वे अपने जीवन का रास्ता निश्चित कर के आगे को कदम बढ़ाते हैं। इसलिये ग्राम सभाओं के प्रधानों के लिये जो इसमें ३० साल की उम्र रक्खी गयी है वह बहुत ही मुनासिब है। ऐसा भी नहीं है कि कोई २१ साल तक समझदार नहीं होता है। परन्तु जब वह हमारी ग्राम सभाओं का प्रधान बन कर मामलों को तय करता है, तो अकलमन्दी से काम करते हुये भी यह समझा जाता है कि अभी यह नौजवान है, अभी इसने तजुर्बा हासिल नहीं किया है। इस प्रकार उसकी बात इतनी नहीं मानी जाती जितनी कि बुजुर्ग की मानी जाती है। इन सब बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि ३० साल की अवस्था जो रक्खी गयी है वह बहुत ही मुनासिब है और २१ साल की अवस्था के लिये जो माननीय जयपाल सिंह जी ने प्रस्ताव रक्खा है वह उसे वापस लेने की कृपा करेंगे।

महाराज कुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बात दुहराने से विशेषकर ऐसी दृढ़ मूर्ति के सामने बात दुहराने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। क्योंकि २५ वर्ष के सम्बन्ध में जो संशोधन पेश किया गया था उसके संबंध में जवाब देते समय मंत्री महोदय ने मेरा नाम लिया था इसलिये मैं कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सब से पहले तो मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने जो बहस ३० वर्ष के सम्बन्ध में की उसमें कुछ हद तक वजन है। माननीय मंत्री ने कहा कि ३० वर्ष तक गांवों के सज्जन इधर-उधर नौकरियों की तलाश में रहते हैं। ३० वर्ष की उम्र तक जब नौकरी नहीं मिलती है तभी वे गांवों में आकर रहते हैं। उनकी इस दलील में कुछ वजन है। मैं समझता हूं कि यदि प्रधान ऐसे व्यक्ति हों जो वहां प्रधान बनने के बाद अपना पूरा समय और दिल लगाकर अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें तो उससे अधिक लाभ होगा। बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के प्रधान बनने के जो प्रधान के पद पर होते हुए भी इधर-उधर नौकरी की तलाश में लगा रहे। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से फिर वही पूछूंगा कि यदि मंत्री महोदय इस दुष्परिणाम को देख सकते हैं तो फिर वे यह क्यों समझते हैं कि जनता इस दुष्परिणाम को नहीं देख पायेगी, मंत्री महोदय, यह क्यों कहते हैं कि जनता इस नतीजे को नहीं देख पायेगी? और अगर इस उम्र को हटा दिया जाय तो जनता अवश्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

२१ वर्ष और २५ वर्ष के युवक को अपना प्रधान छांटेगी ? इसका जवाब मंत्री महोदय ने पिछले समय भी नहीं दिया और इस समय में खालो उसको दोहराऊंगा और इस बात को उम्मीद करूंगा कि मंत्री महोदय विशेष कर इसका उत्तर देंगे कि उनको क्या लाभ होता है इस प्रतिबन्ध को लगाने से जैसा कि मैंने पिछली बार कहा कि यदि उम्र घटा कर २१ वर्ष कर दी जाय तो उसका अर्थ यह तो नहीं होता कि केवल २१ वर्ष के युवक ही प्रधान छांटा जा सकेगा ? उसका मतलब यह होगा कि यदि जनता २१ वर्ष के युवक को अपना प्रधान बनाना चाहे तो बना सकती है। जब मंत्री महोदय को ऐसा विश्वास है कि जनता सावधानी के साथ अपना प्रधान छांटेगी तो २१ वर्ष या २५ वर्ष या कहीं ३० वर्ष से कम उम्र के युवक को प्रधान बनाने में मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय को कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी और जब कि मंत्री महोदय इसको समझते हैं तो फिर इस प्रतिबन्ध लगाने का केवल एक ही नतीजा होगा और वह यह कि जो युवक ३० वर्ष से कम के हैं उनको प्रधान के पद पर बनाने में जनता का हाथ रुकेगा।

मैं समझता हूं कि यह एक अनुचित कदम है और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर फिर ध्यान देंगे। २५ वर्ष की उम्र जो मैंने रखी थी वह कोई आरबिट्रेरी बेसिस पर नहीं रखी, किन्तु इसलिये कि कुछ हद तक मैचुरिटी आ जाय। इस सदन की सदस्यता के लिये भी २५ वर्ष की उम्र रखी गयी है और मेरे ख्याल में हाउस आफ दि पीपुल के लिये भी यही है। लेकिन जहां तक टाउन एरियाज का सम्बन्ध है जो माननीय मंत्री महोदय के विभाग से ही सम्बन्ध रखता है वहां की सदस्यता के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गयी है। इसलिये मैंने २५ वर्ष के उम्र की सिफारिश की थी। मंत्री महोदय ने अपनी बहस के सम्बन्ध में यह कहा कि २५ वर्ष की उम्र ठीक नहीं है। मैं बहस को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो बातें बहस में संशोधन के सम्बन्ध में कही गयी हैं उनको वे समझें और उन पर विचार करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इतना और कहना चाहूंगा कि इस सदन के कुछ सदस्यों ने यह बतलाया और इस ओर इशारा किया कि ३० वर्ष की उम्र रखने का छिपा हुआ गूढ़ अर्थ यह है कि हमारे हरिजन भाई इससे वंचित हो जायं। मेरा विश्वास है कि मंत्री महोदय की ऐसी कोई इच्छा न रही होगी मगर इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि यदि इस प्रकार का दुष्परिणाम हो जाय तो मैं समझता हूं कि हरिजन भाइयों को बचाने के लिये उनको कदम अवश्य उठाना पड़ेगा।

यह मानी हुई बात है कि अभी तक वर्तमान स्थिति को देखते हुए शिक्षा का प्रचार कम होने के कारण हरिजन भाइयों क्या गांव की ग्रामीण जनता के बहुत से लोगों में और खास कर अधिक उम्र वाले लोगों में शिक्षा का प्रचार कम है, जब कि आप शिक्षा को एक क्वालिफिकेशन बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस क्वालिफिकेशन का अवश्य ही एक दुष्परिणाम होगा कि बहुत से व्यक्ति जो और सूरतों से प्रधान बनने के योग्य हैं वे प्रधान बनने से वंचित रह जायेंगे। इस तरह स जनता के सेलेक्शन में यह एक प्रकार की व्यर्थ में बाधा पड़ जायगी जो कि बहुत ही अनुचित बात होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं अधिक न कह कर मंत्री महोदय से केवल यही प्रार्थना करूंगा कि इसके ऊपर कोई सिद्धान्त का प्रश्न नहीं उठता। जैसा कि उन्होंने स्वयं कल कहा कि उम्र के सम्बन्ध में उनको खालो एक ही बहस है और वह यह कि जो प्रधान बने वह एकाग्र चित से वहां काम करे। जब कि आप मानते हैं कि ३० वर्ष की उम्र तक नौकरी की तलाश में इधर-उधर रह सकता है तो साथ ही साथ कम उम्र वालों में ऐंथुजियाज्म भी बहुत हद तक होता है। दोनों के लिये बहुत कोशिश करते हैं क्योंकि इस उम्र के लिए बहुत भारी सिद्धान्त का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता और न उठाना

चाहिए। इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें और २१ वर्ष की उम्र स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन को पेश करने वाले श्री जयपाल सिंह के व्याख्यान को सुना और बड़े ध्यानपूर्वक मैंने उस चीज पर गौर किया। सबसे पहले मैं श्री जयपाल सिंह जी की हिम्मत अफ़जाई करना चाहता हूं, वह इसलिए नहीं कि उनका संशोधन बहुत अच्छा है बल्कि इसलिये कि इसी ढंग का एक संशोधन पहले पेश हो चुका था और वह फेल हो चुका था। माननीय लरनेड मंत्री जी के व्याख्यान को सुना और उस तर्क को सुनने के बाद जिस में उन्होंने २५ साल की उम्र को भी रद्द कर दिया, फिर भी उन्होंने इस संशोधन को लाने की हिम्मत की और दूसरे प्वाइंट भी उन्होंने सामने रखे। एक तो यह कि ज्यादा उम्र रखने से हरिजनों को नुकसान होगा और साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट की नियत पर भी हमला कर दिया। फरमाया कि सरकार एक तरफ हरिजनों को देती है और दूसरी तरफ छीन लेती है। इसी विषय पर मैंने श्री बालेन्दु शाह जी के व्याख्यान को भी गौर से सुना। मालूम होता है कि विरोधी दल की ओर से कुर्सियों पर बैठने से कुछ असर होता है। चाहे किसी बात में कोई तथ्य न हो लेकिन किसी तरह से कुछ न कुछ कहा जाता है मैं उन साहबान की तमाम बातों का जवाब चन्द शब्दों में देना चाहता हूं और वह यह है कि अगर हरिजन लोग थोड़ी उम्र में होशियार हो जाते हैं और दूसरी जातियों के लोग ज्यादा उम्र में होशियार बनते हैं तब तो आप की बात मानी जा सकती थी कि २१ साल की उम्र रक्खी जाती तो उससे हरिजनों को अधिक लाभ होता, लेकिन इस विधान में हरिजन और गैर हरिजन का सवाल नहीं लाया गया है इसमें तो सब के ही लिए उम्र ३० साल की रखी गई है। शेख सादी ने फरमाया है कि :—

"बुजुर्गी ब अक्ल अस्त न बसाल" यानी बुजुर्गी आती है अक्ल से उम्र से नहीं। दूसरे लोगों ने भी बताया है कि योग्यता का सम्बन्ध उम्र से नहीं है, बहुत से लोग थोड़ी उम्र में ही काबिल हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि यह हो सकता है और यह सही बात है लेकिन यह एक्सेपेशन होते हैं, अपवाद होते हैं कि बाज बच्चे थोड़ी उम्र में ही काबिल हो जाते हैं लेकिन ज्यादातर लोग ज्यादा उम्र में ही तजुर्बा हासिल करके ही क़ाबिलियत हासिल करते हैं। लेकिन अपवाद या एक्सेपेशन पर कानून नहीं बनाना चाहिए। बच्चों के बारे में तारीफ़ की है कि वह होशियार होते हैं। यही बच्चे यूनीवर्सिटी और कालिजों की यह मांग कर रहे थे अनिवार्य चन्दा वसूल किया जाये। परसाल बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ। तोड़-फोड़ किया गया किन्तु कुछ दिन के बाद उन्हें मालूम हुआ कि यह उनकी बचपन की कमअक्ल की बात थी और उनकी ग़लती थी। तो मैं पूछता हूं कि उन्हीं कम उम्र के लड़कों को जिम्मेदारी की जगहें दी जायें।

हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि :—

"न सा सभा सन्ति न यत्र वृद्धाः,
वृद्धाः न ते ये न वदन्ति धर्मम्।
धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति,
सत्य न तद् यच्छलमभ्युपैति॥"

अर्थात् वह सभा, सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हों, वह वृद्ध, वृद्ध नहीं जो धर्म की बात न कहें, वह धर्म, धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो और वह सत्य, सत्य नहीं है जिसमें छल के साथ बात कही जाय।

आप काबिल हो जाइये और बड़े शौक से कुर्सी लीजिये लेकिन अयोग्य आदमी को अगर आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम या मजहब के नाम पर लाना चाहेंगे तो नुकसान

[श्री सीताराम शुक्ल]

हो जायगा और आपका भी नुकसान हो जायगा। अयोग्य चाहे किसी जाति का हो सब का नुकसान करेगा। एक हरिजन यदि अयोग्य है तो वह केवल ऊंची जाति वाले का ही नुकसान नहीं करेगा सभी जातियों का, सब लोगों का नुकसान करेगा। और अगर एक ब्राह्मण अयोग्य है तो वह सबका नुकसान करेगा। अगर एक हरिजन योग्य है तो वह हरिजन नहीं देखेगा, मुसलमान नहीं देखेगा, ब्राह्मण नहीं देखेगा वह सब के साथ इन्साफ करेगा। योग्य नहीं है तो सबका नुकसान होगा और योग्य है तो सबका फायदा होगा इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस चीज को छोड़िये।

आप कहते हैं कि रियाअत मिलनी चाहिये, ठीक है रियाअत की जा सकती है पिछड़ी जातियों के लिये स्कालरशिप में, किताबों के लिये पढ़ने लिखने का मौका देने के लिये, लेकिन एक तरफ तो आप कहते हैं कि हरिजनों की ज्यादा उम्र भी हो जाय तब भी नौकरी दो और नौकरियों में हमारे साथ रियाअत बरतो और दूसरी तरफ पंचायतों के लिये कहते हैं कि जल्दी दे दो यह तो आप अपने ही तर्क के विरुद्ध बात कह रहे हैं। हुजूरवाला, यह हरिजन और ब्राह्मण का सवाल नहीं है, किसी जाति-पांति का सवाल नहीं है, धनी और गरीब का सवाल है। यह धनी और गरीब का झगड़ा है। अगर हमारा एक धनी हरिजन किसी धनी और प्रतिष्ठित ब्राह्मण या किसी ऊंची जाति के आदमी या किसी मुसलमान की दावत करता है तो उसकी दावत में तो सैकड़ों रुपया खर्च कर देता है और जब उन्हीं की बिरादरी का एक गरीब हरिजन अपनी लड़की की शादी के लिये १० रुपया का कर्ज चाहता है तो उसको देने के लिये पास में पैसा नहीं होता। ऐसे ही ऊंची जाति का ब्राह्मण किसी धनी और विद्वान हरिजन के लिये सैकड़ों रुपया उसके दावत पर खर्च करता है लेकिन किसी गरीब ब्राह्मण की लड़की की शादी में दस रुपया का कर्ज नहीं देता है। ब्राह्मण और ठाकुर ने अपने यहां के ब्राह्मण भंडारी को बरखास्त कर दिया है और कहार को रख लिया है इसलिये कि पंडित जी खाना जरूर अच्छा बनाते थे मगर बर्तन नहीं मांजते थे। आर्थिक कठिनाई के कारण आवश्यकता थी कि बर्तन भी मांजे और खाना भी बनावे इसलिये उसको निकाल दिया और ब्राह्मण का प्रेम खत्म हो गया। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि सिर्फ मेरिट्स पर जाइये। जो योग्यता रखता हो, इंसाफ करता हो उसको रखिये। ऐसे आदमी कम मिलते हैं जिनमें सारी खूबिया हों उनके लिये आप कहते हैं कि कम उम्र के ही लोगों को कर दो। योग्य आदमी बड़ी उम्र के लोगों में भी कम मिलेंगे। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि उम्र की शर्त कम करने से हमारा नुकसान होगा। हरिजन हरिजन की बात बहुत मत उठाइये, क्योंकि अभी तो हरिजन हरिजन होगा उसके बाद फिर हरिजनों के भी अनेक जातियों के सवाल पैदा हो जायंगे, जैसे भंगी, चमार शादि आदि और फिर चमारों में सैकड़ों जातियों की बात आयेगी।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—ब्राह्मण में भी तो हजारों जातियां हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—ब्राह्मणों में तो लोग कहते हैं कि सवा लाख जातियां हैं। यही तो बुरा है। क्षत्रियों में कितनी ही जातियां है। क्षत्रिय पृथ्वीराज भी थे और क्षत्रिय जयचन्द भी थे। लेकिन दोनों लड़ गये। इसलिये मैं कहता हूं कि यह जहर न बोइये, आपका नुकसान हो जायगा। अभी प्रधान के लिये और फिर मिनिस्टर के लिये झगड़ा होगा और फिर सवाल पैदा होगा कि प्रेसीडेन्ट कौन हो। रोटेशन होने लगेगा। फलस्वरूप अच्छे आदमी नहीं आ पायेंगे। इसलिये खिलवाड़ मत कीजिये। इसके साथ ही आपने शिकायत कर दी कि कांग्रेस सरकार की नीयत खराब है। जिन कांग्रेसमैनों ने हरिजनों के उत्थान के लिये अपने प्राणों तक की बाजी लगाई उनके लिये यह कहना कि नीयत खराब है।

एक सदस्य—माननीय शिवनारायण जी भी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—शिवनारायण जी तो हमारे सपोर्टर है, हमारे पड़ोसी हैं, मुझे अच्छी तरह जानते है, मैं उनसे कहना चाहता हूं जो मुझे कम जानते हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि कांग्रेसवालों ने उनके लिये, हरिजनों के लिये क्या क्या नहीं किया। सबसे पहले स्वामी दयानन्द जी ने अपनी आवाज उठाई थी। वे ब्राह्मण थे उन्होंने उपदेश दिया। यह भाई हमारे हैं, इनको ऊपर उठाया जाय। महात्मा गांधी जी ऊंची जाति के थे। उन्होंने आवाज उठाई, कांग्रेस मैनों ने साथ दिया, कानून बना और उसके बाद इन कुर्सियों पर आज हरिजन भाई बैठे हुये हैं। यही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बैठे हुये हैं। इसके बावजूद आप शिकायत करते हैं नीयत की कि एक तरफ हमें सरकार देती है और दूसरी तरफ सरकार छीनती है। यह प्रोसीडिंग में लिखा जायगा, इसको आगे चलकर बच्चे पढ़ेंगे तो वह क्या कहेंगे ? यही कि जिसने उनको ऊपर उठाया उसी पर दूसरी जाति के लोग हमला करते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि अगर हरिजन चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो तो हरिजन हरिजन का नारा लगाना छोड़ करके इन्साफ इन्साफ का नारा लगाइये तभी आपको इन्साफ मिल सकता है। हरिजन हरिजन कहकर अपने को अलग न कीजिये बल्कि सभी लोग मिलकर एक जाति के बन जायं। आज हवाई-जहाज और टेलीफून से सारी दुनिया एक हो गई है। आज अमेरिका के प्रेसीडेंट श्री आइसन हावर जानते हैं कि जब तक संसार में गरीबी रहेगी तब तक उनकी भी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिये दूसरे मुल्कों की आर्थिक सहायता करते हैं। हुजूरवाला, मेरी अर्ज यह है कि आज जब सारी दुनिया एक होने जा रही है, रूस भी दूसरे देशों से मित्रता करना चाहता है। तो आप अनेक होने जा रहे हैं। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

*श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)— माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जयपाल सिंह ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्री सीताराम जी शुक्ल का भाषण मैंने शुरू से आखिर तक सुना। उसे सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि जो बातें उन्होंने कही हैं उनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो सिद्धान्त की हो।

जहां तक २१ वर्ष के लोगों को मौका देने का सवाल है उसके विरोध में माननीय मंत्री जी ने दो बातें हमारे सामने रक्खी हैं। पहली तो यह कि जो ३० वर्ष के लोग होते हैं उनको तजुर्बा होता है और वह एजड होते हैं इसलिये वह इस काम को सावधानी के साथ कर सकेंगे। लेकिन हमारी पंचायतों में, हमारे गांवों में एक और समस्या है कि जो प्रधान का स्थान है उससे भी एक अच्छा स्थान हमारे यहां सरपंच का होता है। सरपंच के लिये अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि उसके लिये कोई ऐसी रुकावट नहीं रक्खी गई है जिसके ऊपर हम विचार कर सकें। सरपंच वह शख्स है जो किसी मुकदमे पर फैसला देता है और गम्भीरतापूर्वक विचार करता है। जहां तक न्याय का सवाल है हमें सोचना है कि हम जब किसी को परपंच बनाते हैं तो उसके लिये कोई उम्र का सवाल नहीं है जब कि वह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर रक्खा गया है तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी कदर प्रधान के पद के लिये उम्र की क्यों जरूरत होगी। साथ ही साथ एक चीज हमें और देखनी है कि जहां तक माननीय मंत्री जी ने तजुर्बे की बात कही, आज तक जहां कहीं तमाम सभापति, सरपंच और प्रधानों ने काम किया है पंचायतों में अगर उनके लिये माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में इक्जेम्शन का सवाल रखे होते तो मैं इस चीज को मानता कि माननीय मंत्री जी की जरूर इच्छा है कि तजुर्बेकार आदमियों को मौका दिया जाय लेकिन कहीं भी ऐसी बात नहीं मिलती है कि आज तक जो सभापति या प्रधान गांव पंचायतों में अच्छे से अच्छा कार्य किये हैं उनको किसी प्रकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला सिंह]

का प्रोत्साहन दिया गया हो। लेकिन यहां पर तो दूसरी नीति बरती जा रही है। हो सकता है कि इस बीच में कोई चीजें हो गई हों लेकिन जहां तक सिद्धान्त का सीधा सवाल है वहां मैं यह जानता हूं कि अगर कोई भी आज तक जितने प्रधान, सरपंच या सदस्य रहे हैं उनके लिये सिर्फ इतना ही रक्खा गया था कि जो बालिग हो, जो वोटर हो सके, उसको अधिकार था कि वह सभापति हो सके, प्रधान हो सके और सरपंच भी हो सके। इस तरह की जब चीजें थीं तो हमने देखा इधर ४, ५ साल के तजर्बे से, कि जो नौजवान २१ साल की उम्र के भी सभापति के पद पर रक्खे गये थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। आज हमारे माननीय मंत्री जी की यह हिम्मत नहीं है कि वे एक भी ऐसा दृष्टान्त सदन के सामने रखें कि कोई २१ साल का नौजवान जो प्रधान के पद पर रहा हो उसने खराब काम किया हो और उसके कारण निकाला गया हो। यदि माननीय मंत्री जी कोई ऐसा दृष्टान्त हमारे सामने रखें तो हम अवश्य उस पर विचार कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में इतना वादविवाद हुआ है लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी ने कोई भी संख्या ऐसे आदमियों की सदन के सामने नहीं पेश की है।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं। जहां तक हमारे प्रदेश का सवाल है, ९० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और उसमें ८० फीसदी ऐसे लोग हैं जो निरक्षर हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं। महात्मा गांधी मरने के पहले यह कह गये थे कि किसान सचिवालय वगैरा में जायं और पंडित नेहरू जैसे लोग उनके सलाहकार हों। इस भावना को यदि हम देखें तो हमको यह मालूम होता है कि बापू की यह भावना थी कि जितने भी ऐसे पद हों उन पर किसान रखे जायं। ऐसी भावना को सामने रख करके यदि हम ३० वर्ष की बात करें तो मैं समझता हूं कि गांवों में ३० वर्ष के बहुत कम ऐसे आदमी मिलेंगे जो कि पढ़े लिखे हों। हरिजन और बैकवर्ड ८० फीसदी किसान है और उनमें बहुत कम लोग ऐसे ३० वर्ष के मिलेंगे जो कि पढ़े लिखे हों और इस प्रकार बहुत कम लोगों को किसी पद पर या पब्लिक में काम करने का मौका मिलेगा। ऐसी हालत में यदि हम २१ से ३० वर्ष उमर बढ़ा देते हैं तो बहुत कम आदमियों को मौका मिलेगा जो कि प्रधान के कम्पेटीशन में आ सकें। नतीजा यह होगा कि अच्छे आदमियों को पब्लिक के सामने आ करके अपनी नुमाइन्दगी कराने का मौका कम मिलेगा और इस तरह से हमारे देश को नुकसान होगा।

अब एक सवाल यह उठता है कि कई लोगों ने यह कहा कि २१ वर्ष के जो आदमी हैं वे लड़के हैं। मैं यह समझता हूं कि जब आप उनको वोटर बनने का मौका दे रहे हैं वे वोट दे सकते हैं, वे प्रधान के पद पर किसी आदमी को बिठला सकते हैं, तो यह कहना कि वे लड़के हैं, अनुचित है। साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि २१ वर्ष का जो आदमी है जो प्रधान का कार्य करता है और जो ३० वर्ष का आदमी है और प्रधान का कार्य करता है इन दोनों की लायबिलिटी एक ही है क्योंकि दोनों बालिग हैं, कानून के अन्दर दोनों को वही सजा दी जा सकती है जिसके वे उपयुक्त हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर फिर से विचार करेंगे और २१ वर्ष के नौजवान अगर अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिये मौका पाना चाहें और गांव के लोग, जिनके ऊपर यह भार सौंपा गया है कि वे किस किसी आदमी को समझें उनको चुन सकते हैं तो हमें चाहिये कि उन्हें मौक़ा दें जिससे देश का भला हो और गांव पंचायतों का भी भला हो। इन शब्दों के साथ माननीय जयपाल सिंह जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--माननीय जयपाल सिंह।

श्री जयपाल सिंह--अगर माननीय मंत्री इस बारे में कुछ कह दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--वह तो ठीक है, लेकिन जब क्लोजर हो गया तो अब वे आखिर में कहेंगे। क्लोजर से पहले बोलना चाहिये था उनको, यदि उनकी इच्छा ऐसी होती।

*श्री जयपाल सिंह--- अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि २१ साल का व्यक्ति जो एडल्ट होगा वह संजीदा नहीं होगा, अक्लमन्द नहीं होगा, उसमें काम करने की हिम्मत और जोश नहीं होगा या जितने हमारे यहां रेफ़ार्म्स होते हैं उनको वह दिल से करने के लिये तैयार नहीं होगा। मैं तो यह देखता हूं कि जिन लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि जितनी ज्यादा उम्र होगी उतना ही वह अक्लमन्द होगा और बुद्धिमान होगा यह कुछ बहुत ठीक नहीं है। कम उम्र का व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि आज तक जितने भी रेफार्म्स हुये और अगर किसी भी नेता ने कोई अपील की है तो वह नवयुवकों से ही की और वे ही हमेशा हर काम को करने में आगे रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सी पालिसी के मसले जो सरकार तय करती है उनको उसी समाज से कराने की कोशिश करती है। गांव पंचायत ऐसे रेवोल्यूशनरी कानून को लाकर सरकार वहां की जनता को इतना बड़ा अधिकार देती है कि वह अपने गांव के बारे में सारी चीजों की व्यवस्था करे। तो ऐसी अवस्था में हम अगर यह कहें कि फलां-फलां कार्य गांव सभा को करने चाहिये तो सबसे पहले गांव सभा के प्रधान को यह कहा जायगा कि ऐसा करना चाहिये। लेकिन यह बात साफ है कि जो नवयुवक होंगे वह सब से पहले तैयार हो जायेंगे और जो जितनी ज्यादा उम्र वाले होंगे उनका उतनी ही कम तेजी से कदम उठेगा। ऐसी अवस्था में हमारा जो श्रमदान का सप्ताह चला, उसमें जितना काम डेवलपमेंट का हमारे नवयुवकों ने किया, उतना मैं समझता हूं कि बड़ी उम्र वालों ने नहीं किया है और न उतनी तत्परता से किया है। बड़ी उम्र वाले उतने जोश खरोश के साथ काम नहीं कर सकते हैं। नवयुवक समझते हैं कि अपने देश की उन्नति के लिये हमें डेवलपमेंट का काम करना है। ऐसी अवस्था में यह कह देना कि नवयुवक संजीदगी के साथ काम नहीं करेंगे और देश की उन्नति के साधनों को नहीं सोच सकेंगे, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है।

इसी तरह से आपके लेखपाल हैं, वे गांव सभा के सेक्रेटरी भी हैं और आगे यह भी व्यवस्था की जा सकती है कि वे गांव सभाओं के प्रधान भी हों वे रूल्स के तथा कानूनों के इंटर प्रिटीशन भी करते हैं। उनमें संजीदगी नहीं होगी क्या? आप उनके लिये भी ३० साल की उम्र कर देंगे और यह कर देंगे कि वही व्यक्ति उनका कर्मचारी रह सकेगा जो ३० साल का हो। जहां तक लीगल बात आती है तो ऐसे लोगों से भी परामर्श लिया जाय जो उनसे भी कम उम्र के लोग हों, उचित है। इसी तरह से इंसपेक्टरों का चुनाव होता है, इसी तरह से डिप्टी कलेक्टर्स का चुनाव होता है जो कानूनों के रिवीजन करने के अधिकारी होते हैं, उन्हीं को आप प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयपाल सिंह]
नियुक्त करने वाले हैं। वह तो कानूनों का इंटरप्रिटीशन कर सकते हैं लेकिन गांव सभा का प्रधान ३० साल का ही हो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो न मानी जाय।

एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं, शुक्ल जी यहां बैठे हैं। आज भी ऐसी अवस्था नहीं हो पाई है कि हमारे यहां से जाति-पांति खत्म हो गई हो, वर्गवाद खत्म हो गया हो। जिस तरह से लोग यहां बात करते हैं उस तरह से देहात में नहीं करते हैं। वह देहात में किस वर्गवाद के साथ काम करते हैं, इसी तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी कैसे जाति-पांति से काम होता है एक जाति वाला दूसरी जाति वाले को पसन्द नहीं करता है, जिस जाति का अफसर होता है उसी जाति के आदमी को पसन्द करता है, चाहे वह अयोग्य हो। मैं शुक्ल जी से कहूंगा कि उनको ऐसा कहना अनुचित है जब कि वह स्वयं इसमें गिरफ्त हैं। वह सरयूपारी ब्राह्मण सभा को छोड़ दें अगर वह इस तरह की बात करते हैं। वहां तो वह खुद ऐसा करें और हाउस के अन्दर आकर लोगों को इस तरह का सबक दें।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि "ढोल, गंवार, शूद्र, पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी" जिन्होंने यह मंत्र दिया है क्या वे कभी सोच सकते हैं कि हरिजन तबका जल्दी बढ़ जायगा। कितनी उम्र है यह देखने की बात है। यह तो आपने कह दिया है। सवाल यह है कि जहां योग्यता की बात कहते हैं संविधान ने आर्टीकल ३३५ में तस्लीम किया है। उसका आज समाज में आर्थिक शोषण हुआ है, सामाजिक शोषण हुआ है और राजनैतिक शोषण हुआ है, यही नहीं बल्कि गुलामी की जिन्दगी व्यतीत करते हैं उनकी उम्र क्या है। थोड़े से लोग ही किसी तरह से योग्य आ गये हैं। वे थोड़े ही जमाने में आये हैं। बड़ी जातियों के लिये तो बहुत जमाना है। कांग्रेस के लिये मैं कह देना चाहता हूं कि किस आधार पर इलेक्शन होते हैं। वहां भी हरिजनों को घुसने नहीं दिया जाता है। वहां भी जाति-पांति और योग्यता पर इलेक्शन हो गया है और हमें यह सबक देते हैं, यह कहां तक ठीक है। यह जाति-पांति का मसला भी आपका ही पैदा किया हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। ऐसी अवस्था में शुक्ल जी ने जो दलील दी है उसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक शेड्यूल कास्ट के लोगों का सम्बन्ध है, हरिजनों का सम्बन्ध है उनमें पढ़े लिखे लोग थोड़े हैं, लेकिन जहां पढ़ने लिखने और नौकरी का सम्बन्ध है वहां मैं यह देखता हूं कि १० फीसदी भी पूरे नहीं किये गये हैं किसी डिपार्टमेंट में। तो वह सवाल तो पैदा नहीं होता। वह तो अब भी गांव में जैसे तैसे मजदूरी करते हैं और जो काम बाप-दादा करते चले आये थे वही कर रहे हैं तो क्या यहां भी उनको वंचित कर दिया जाय? यह मुनासिब मालूम नहीं होता। उनके साथ में गुंजाइश करनी पड़ेगी। संविधान में भी उनके साथ गुंजाइश की कोशिश की गयी है। आर्टिकल १५ (४) और १६ (६) में साफ कर दिया गया है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट में लोग हैं उनके लिए कोई भी रास्ता तरक्की के लिए बन्द न किया जाय और उनको प्रिफेरेंस देना पड़ेगा और योग्यता अयोग्यता के पैमाने से उनको नापा नहीं जायगा। शेड्यूल कास्ट्स के बारे में इस तरह की चीजें न की जायं और शुक्ल जी इस तरह की बातें योग्यता अयोग्यता के आधार पर करें तो वह कहां तक उचित है। मैं देखता हूं कि अयोग्यता की बात कह कर हरिजनों को कितनों को नौकरियों के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, जबकि वह वास्तव में योग्य होते हैं? तो ऐसी अवस्था में इस तरह से उनके साथ खिलवाड़ न किया जाय और जो बेसिक के अधिकार होते हैं वे दिये जायं और कुछ न कुछ रियायत तो देनी चाहिये। हमारे पश्चिमी जिलों में मैं जानता हूं कि छोटे-छोटे नवयुवक हैं जो योग्य हैं सब तरह से, लेकिन

२६-२७ साल की उम्र बनते हो आज वह सब डिस्क्वालिफाई हो जायेंगे। आप जो कर्मचारी वर्ग, जो प्रेस्काइब्ड अथारिटी मुकर्रर करेंगे वह आप ने देखा है कि किस तरह से जाति-पांत के आधार पर है और किस तरह से काम कर रहो है। रोजमर्रा में अपने जिले में देख रहा हूं। ऐसी अवस्था में अगर आपने इसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग न दी कि उन लोगों को गुंजाइश दी जाय और रेलेक्सेशन किये जायं उम्र के सम्बन्ध में, तो कुछ नहीं हो सकता है और इस बहाने से वे उनकी अप्लीकेशंस रिजेक्ट करेंगे। इसलिए आप चाहे रूल में करें या इसमें गुंजाइश कर दें कि उनके साथ रिलेक्सेशन हो और ऐसे केसेज में रिलेक्सेशंस हों।

*स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जयपाल सिंह जी की जो आपत्ति है उस में मुझे कुछ वजन मालूम होता है और जो दिक्कतें उनकी उन्होंने बयान की, मैं नहीं जानता कि कहां तक ठीक हैं, लेकिन यह मान करके कि यह उनको दिक्कतें हैं, इस पर विचार करना जरूरी है।

यह सवाल २१ वर्ष का जो यहां उठाया जा रहा है उसको देखते हुए उसकी तह में एक बहुत बड़ी बात यह है कि कुछ जातियों में पढ़े लिखे लोग २१ वर्ष के तो मिल जायेंगे, लेकिन अगर ३० वर्ष से ज्यादा का रखा गया तो पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए पढ़ा लिखा होना और ३० वर्ष होना, यह दो सूरतें रखी जायं तो बहुत सी जातियों के लोग शायद प्रधान न बन सकेंगे, ऐसी उनकी आपत्ति है। इसका क्या इलाज किया जाय, इस पर अगर विचार करें तो मैं यह ज्यादा मुनासिब समझूंगा कि जब एजूकेशनल क्वालिफिकेशंस पर विचार किया जाय तब इस सवाल को लिया जाय और मेरा अपना खयाल यह है हालांकि दिक्कतें बहुत सी ह और प्रधान बनने के लिए पढ़ा-लिखा होना जरूरी है, क्योंकि वह अंगूठा लगाकर अदालत में जाकर यह न कहे कि जिस पर मैंने अंगूठा लगाया था वह चीज दूसरी है और यह दूसरी है। इस तरह के कुछ केसेज हैं और इस तरह के १०-१५ केसेज सूबे में हैं, जब कि साढ़े छत्तीस हजार प्रधान गांव सभाओं के हैं और १०-५ आदमी उनमें भले ही वंचित रह जायं, अगर इस प्रकार पढ़ने-लिखने और उम्र को नापतौल करना हो, तो मेरा तो खयाल यह है कि इन जातियों को जो यह समझती हैं कि हमको इसी बहाने से अलग किया जा रहा है, ज्यादा अच्छा यह होगा कि उनको वहां आने दिया जाय और प्रधान की हैसियत से काम करने दिया जाय, बजाय इसके कि उनके दिमाग में यह बात पैदा हो जाय कि पंचायत राज के अन्दर ऐसी चीजें हैं जिनसे उनका कुछ अहित हो रहा है, इसलिए मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि शिक्षा सम्बन्धी क्वालीफिकेशंस उसमें से निकाल दी जायं। लेकिन उसके साथ साथ मेरी यह प्रार्थना है कि यह ३० साल अवस्था रहे क्योंकि शिक्षा सम्बन्धी क्वालीफिकेशन अगर निकाल दी गयी तो ३० साल की उम्र के सब लोगों को मौका रहेगा, हर बिरादरी के लोग मिल सकेंगे और फिर भाई जयपाल सिंह को यह शिकायत नहीं होगी कि हमारी बिरादरी का आदमी नहीं हो पायेगा तो इस तरह से मैं इसका हल सोच रहा हूं कि इस समय तो २१ साल न रख कर ३०साल ही रहने दिया जाय ताकि जो आदमी आये वह मंच्योर हो और नौकरियों के लिए न घूम रहा हो। ऐसे लोगों को जो नौकरी चाहते हैं प्रधान बनाकर गांव सभाओं के काम में रुकावट न डाली जाय।

एक बहुत बड़ी दलील जो दी गयी और उस पर बहुत काफी जोर दिया गया, मैं भी उसमें उन जजबात में सबके साथ हूं कि नवजवानों से अपील की जाय और उनसे काम लिया जाय। सवाल यह है कि उप सभापति की जगह है, पंचों की जगह है, इन पर भी तो वे काम कर सकते हैं। सिर्फ सभापति ही बनकर नवजवान काम करना चाहते हैं और उप सभापति बनने के लिए तैयार नहीं हैं तो उस नवजवान में कुछ थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया है। फिर हमारे प्रधान को या सभापति को सिर्फ डेवलपमेंट का काम नहीं करना है बल्कि उसकी कुछ जिम्मेदारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन लाल गौतम]

भी है जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि एक खास शिकायत यह आयी है कि जो टैक्स गांव सभा द्वारा लगाये जाते हैं उनमें बहुत अन्याय होता है और यह गांव सभाओं के ऊपर जितने भी प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं जितनी भी रुकावटें इस वक्त आप देख रहे हैं, उसकी खास वजह यह है कि हमारी गांव सभाओं, गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों के खिलाफ एक बड़ा भारी आंदोलन खड़ा हो रहा है, बहुत से लोग हैं जो इनको खत्म करना चाहते हैं तरह तरह की विचारधाराएं हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि इनको अपने बचपन के काल में सारी शक्ति लगाकर और जितनी जरूरत हो उतनी शक्ति इनको देकर मजबूत बनाया जाय और ज्यों ज्यों वह मजबूत होंगी त्यों त्यों उनको ज्यादा अधिकार मिलेगा। कोई भी पोलिटिकल पार्टी गांव सभाओं के मजबूत होने के बाद इस बात को नहीं कह सकती कि उनको अधिकार न मिले। इसलिये आज जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाय और जो कमियां हैं उनको न रहने दिया जाय। तो मैं जयपाल सिंह जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें और बाद में जब शिक्षा के सम्बन्ध में आयेगा तो मैं यह मानने के लिए तैयार हूंगा कि वह अलग कर दी जाय, उसमें उनकी दिक्कतें हल हो जायेंगी।

श्री जयपाल सिंह—माननीय मंत्री जी ने जो रिलेक्सेशन के बारे में कहा है उसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बाद में उसमें आयेगा या नहीं आयेगा। यह उम्र के बारे में रिलेक्सेशन की बात जिसे आपने तसलीम किया है उसे मैं मानता हूं लेकिन वह क्या है और कहां आयेगा यह कुछ समझ में नहीं आया।

श्री मोहन लाल गौतम—मैंने इसके बारे में सलाह की जो अपने डिपार्टमेंट के कानूनदां हैं उनसे वे यह कहते हैं कि इस तरह का जो निगेटिव फार्म है "Unless he is not less than 30 years of age" जब तक कि उसकी उम्र ३० साल से कम न हो उसमें यह फिट इन नहीं करता। इसलिए यह इसमें नहीं आ सकता वरना मुझे मानने में कोई आपत्ति नहीं होती।

श्री जयपाल सिंह—मैं वापस ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्या सदन माननीय सदस्य को संशोधन वापस लेने की अनुमति देता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ।

पक्ष में—१३३
विपक्ष में—१७)

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 5—B की पंक्ति ३ के शब्द "age" के पश्चात् आये हुए शब्द "and" से लगाकर प्रस्तावित नयी धारा "5—B" का पूरा शब्द समूह निकाल दिया जाय।

श्रीमान् जी, जो प्रस्तावित बिल में धारा है उसका तात्पर्य यह है कि ग्राम सभा का जो प्रधान होगा उसकी उम्र कम से कम ३० साल होनी चाहिये और उसको हिन्दी भाषा जानना अनिवार्य होना चाहिये। उस हालत में जबकि उसको नियत अथारिटी उससे बरी न कर दे। श्रीमान् जी, मैं इस संशोधन को पेश करते हुए सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि जो इस तरह की कैद लगायी जा रही है उसे वह अब नहीं लगा रहे हैं। तो इस अश्वासन के बाद वैसे भी इस विषय पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रहती लेकिन मैं यह आपकी आज्ञा से बतला देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को बनाते समय हमारे यहां के नेताओं ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया क्योंकि हमारा

देश अधिकांश अशिक्षित है और यहां की ९० फीसदी से अधिक जनसंख्या ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं है । इसलिये यहां की विधान सभाओं और संसद के सदस्यों के लिये कोई भी एजूकेशनल क्वालिफिकेशन नियत नहीं की गयी । इस कारण कोई भी शख्स बिना पढ़े लिखे हमारे यहां संसद का या विधान सभाओं का सदस्य हो सकता है और संसद या विधान सभाओं का सदस्य हो जाने पर वह मंत्री बन सकता है । उसके लिये कोई भी एजूकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं नियत की गयी है । यहां तक कि इतने बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपति भी बिना पढ़ा लिखा हो सकता है । मैं नहीं समझता कि जहां राष्ट्रपति बिना पढ़ा लिखा हो सकता है या मुख्य मंत्री बिना पढ़ा लिखा हो सकता है और जहां संसद या विधान सभाओं के सदस्य बिना पढ़े लिखे हो सकते हैं वहां पर एक छोटी से ग्राम सभा के प्रधान के लिये यह कैद लगाना कि वह पढ़ा लिखा हो, यह कोई मानी नहीं रखता ।

दूसरी बात यह है कि जिसको कि इस विधेयक को आम बहस के समय बतलाया गया था कि अधिकांश पिछड़ा वर्ग हमारे यहां ऐसा है जिसमें अधिक उम्र के आदमी बिना पढ़े लिखे ही होते हैं और छोटी ही उम्र के आदमी पढ़े लिखे मिलते हैं । तो उन लोगों के लिये भी यह आसानी हो जायगी कि वे भी इसमें अच्छी तरह से भाग ले सकेंगे । वैसे भी हमारे यहां इतिहास बतलाता है कि कुछ कुछ ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने बिना पढ़े लिखे हो कर भी अच्छा शासन चलाया है जैसे हमारे सामने अकबर महान् का उदाहरण मौजूद है । ऐसी हालत में मैं यह नहीं समझता कि गांव सभा के प्रधान के लिये इस तरह की एजूकेशनल क्वालिफिकेशन मुकर्रर करना कहां तक उचित है ।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहां बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, इस कारण जो अधिकारी चुने जायंगे वे अल्पमत में होने के कारण अधिक योग्य नहीं मिल सकेंगे । बगैर पढ़े लिखे लोगों में भी अच्छे आदमी मिल सकते हैं । हमारा अनुभव यह है कि कोई-कोई ऐसे भी आदमी होते हैं जो बिना पढ़े लिखे होने पर भी अच्छा कार्य कर सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपना यह संशोधन उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी सदन का समय बचाने के लिये और जनता के सामने अच्छा उदाहरण पेश करने के लिये इस संशोधन को स्वीकर कर लेंगे ।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय जो दलीलें इसको हटाने के लिए दी गयी हैं उनका उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूं । यह ठीक है कि कायदे के मुताबिक प्रेसीडेंट रिपब्लिक का और प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और मंत्री सब बिना पढ़े लिखे हो सकते हैं । कानून में ऐसी कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसी मिसाल सामने नहीं आयी जिसमें किसी मंत्री ने फाइल पर दस्तखत तो कर दिये हों और कहा हो कि वह समझा नहीं लेकिन दस्तखत कर दिये । लेकिन गांव सभाओं में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि जो सभापति बने उन्होंने कागजात पर अंगूठा लगा दिया और जब अदालत में पूछा गया तो कह दिया कि जिन पर मैंने अंगूठा लगाया था ये वे नहीं हैं । यह दिक्कत हमारे सामने है । लेकिन इससे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जब हरिजन भाइयों को यह बहम हो कि इस शर्त के लगाने से उनके साथ कुछ अन्याय किया जा रहा है और उनमें बहुत से प्रधान नहीं बन सकेंगे तो मैं उनके इस बहम और इस गलतफहमी को दूर करने के लिये इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ताकि उनका यह बहम दूर हो जाय कि यह शर्त इसी लिये रक्खी जा रही है कि उनको अलग किया जा सके ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे साथी श्री विष्णु दयाल वर्मा ने रखा है वह इस मायने में स्वीकार करने की बात उठती है कि उसके आ जाने से बहुत से लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वह इस सेवा कार्य से वंचित रह जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं ।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं इसका समर्थन कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---माननीय मंत्री उसको स्वीकार कर चुके हैं तो फिर समय नष्ट करने से क्या लाभ ?

महाराजकुमार बालेन्दु शाह---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनकर मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। यदि माननीय मंत्री महोदय जनता का और उन सदस्यों का इस भवन में आश्वासन देना चाहते हैं कि इसका कोई दुष्परिणाम होगा, इसकी बारने से किसी वर्ग के व्यक्ति वंचित हो सकते हैं तो मैं यह उम्मीद करता कि वह प्रोग्रेसिव स्टेप लेकर उनके भय को दूर करते और उनको सही रूप में आश्वासन देते किन्तु वह इसको करने के बजाय इस बात को ध्यान में रख रहे हैं और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने यहां पर कई बार यह शिकायत की कि कई बार कचहरियों में ऐसे मामले आये कि प्रधान के अशिक्षित होने के कारण एक अजीब अनामाली पैदा हो गयी। उसने प्रधान ने यहां जाकर कहा कि मेरा अंगूठा किसी और चीज के सम्बन्ध में था लेकिन यहां पर गलत तरीके से अंगूठा लगवाया गया। यह बार-बार कहने के बावजूद मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय मंत्री महोदय ने किस बुनियाद पर इस संशोधन को स्वीकार किया। यह बहुत ही गलत और बहुत ही गैरजिम्मेदारी की बात है। मैं फिर यह कहूंगा कि मुझे आश्चर्य होता है कि माननीय मंत्री अपनी पापुलरिटी को बढ़ाने के लिये इस प्रकार के एक अनुचित संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं। मैं फिर उन शब्दों को कहूंगा कि श्री जयपाल सिंह का संशोधन बहुत स्पष्ट और साफ तरीके का था किन्तु आप उसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हुये। हो सकता है कि बहुत से हरिजन भाई प्रधान न बन पायें किन्तु शिक्षा की अपेक्षा आयु का संशोधन कुछ वजन रखता था। मैं फिर कहूंगा कि आयु के सम्बन्ध में कुछ संशोधन करके परिवर्तन करें, भले ही वह कम हो जाय, लेकिन जब शिक्षा का प्रचार चारों तरफ किया जाता है और हम सब की चेष्टा इस प्रकार की रहती है कि शिक्षा बढ़े और जो शिक्षित हैं उनको प्रोत्साहन मिले तो फिर अशिक्षित व्यक्तियों को एक पद के ग्रहण करने के लिये इस प्रकार से सुविधा देना एक सिद्धांत के विपरीत बात प्रतीत है। मैं इस पर अधिक नहीं कहता हुआ माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह आयु के सम्बन्ध में संशोधन को स्वीकार करने की चेष्टा करें और इसके साथ ही ईमानदारी के साथ यह राय उनको दूंगा और यह सिफारिश करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार न करें और किसी और रीति से तीसरे वाचन के समय इस संख्या को कम करने का प्रयत्न करें और इस चीज को स्वीकार न करें कि जिससे इस प्रकार अशिक्षित व्यक्तियों को प्रधान बनने का मौका मिले।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---श्री विष्णुदयाल जी वर्मा ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं विरोध करता हूं इसलिये कि आज हमारा भारत जो है उसमें पिछड़ा हुआ समाज ८५ फीसदी है और वह पढ़ा लिखा नहीं है। आज जो हमारे देश की सरकार है वह यह चाहती है कि हमारा देश ऊंचा उठे और हमारा शिक्षित समाज हो। इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए चाहे वह हरिजन हो या हिन्दू हो या मुसलमान हो सब का कर्तव्य है कि वह शिक्षा का उत्थान करे। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का संशोधन किया जाय जिससे शिक्षा हरएक के लिये अनिवार्य हो जाय। मैं यह चाहता हूं कि केवल हिन्दी ही न रखी जाय बल्कि चाहे वह उर्दू जानता हो या फारसी जानता हो, या संस्कृत जानता हो या जो भी भाषा पढ़ा लिखा हो उसको अवसर मिलना चाहिये। सिर्फ शर्त इस बात की रहे कि वह पढ़ा लिखा हो और यह शर्त जरूर रखी जाय, अगर आज हम इस अमेंडमेंट को मान लेते हैं तो आज बाहर क्षेत्र में जाकर यह कहा जाता है कि गंवारों की सरकार बन गयी है। बे पढ़े लिखे और अंगूठा लगाने वाले लोग एम०एल०ए० या एम०पी० हो जाते हैं, यह छींटाकशी आये दिन हम लोगों को सुननी पड़ती है। तो मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष---अभी आप कुछ और समय लेंगे ?

श्री शिवनारायण---जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो अब हम उठते हैं, सवा दो बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री शिव नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लंच के पहले, जो अमेंडमेंट सदन में पेश था उसका मैं विरोध कर रहा था । मैं इस राय का हूं कि हमारे गांवों में जो पंच सरपंच या प्रधान बनाये जायं वे शिक्षित हों, वह अयोग्य न हों, उनको अक्षर-ज्ञान जरूर हो । चाहे वे हिन्दी के ज्ञाता हों, उर्दू के हों, संस्कृत के हों और चाहे फारसी के हों इसमें ये शब्द जरूर हों कि वे विद्वान हों । देश में आज यह पुकार है कि निरक्षरता का नाश किया जाय । गवर्नमेंट इस पर लाखों रुपया खर्च कर रही है । आज हमारे देश में एक एजीटेशन है कि लोगों को शिक्षित बनाया जाय । जिनको पंच बनना होगा वे लोग १०-१५ दिन में इतनी हिन्दी सीख लेंगे कि दो चार किताबें पढ़ सकें । गवर्नमेंट ने ऐसी कोई कैद नहीं रखी कि कोई ग्रेजुएट हो, इंटरमिडियेट हो, हाईस्कूल हो या दर्जा चारपास हो, उसमें तो केवल यह लिखा हुआ है कि उसको अक्षर ज्ञान होना चाहिये । लोग पढ़े लिखे होने चाहिये । मैं इससे सहमत हूं ।

हमारे हरिजन भाइयों को परेशानी है कि हरिजन लोग पढ़े-लिखे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि वे पढ़े-लिखे मिलेंगे । हरिजन लोग वे लोग हैं जो इस समाज को कमाकर खिलाते हैं । मैं माननीय सीताराम शुक्ल को बता देना चाहता हूं कि हरिजन आज वह हस्ती हैं जो इस सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब को कंधे पर बिठा कर कमाई खिला रहे हैं । जब वह कमाई खिला सकता है तो वह विद्वान भी बन सकता है । महाभारत का मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं कि महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य एक हमारे भाई ने बनों में जाकर तप किया और उसने वह कुशलता दिखाई कि अर्जुन भी मात हो गया । हरिजन ने समाज को आगे बढ़ाया है, वह भी आगे बढ़ सकता है । फिर इस धारा में कोई ऐसा प्रतिबंध भी नहीं है कि वह एम० ए० ही होना चाहिये या बी० ए० ही होना चाहियें । मैं यह कहना चाहता हूं कि उसका विद्वान होना अत्यावश्यक है । विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है और राजा अपने राज्य में ही पूजा जाता है । यह विद्वान और राजा में अंतर है । अगर किसी गांव का सरपंच विद्वान है तो वह अपने गांव को भी देखेगा और अन्यत्र जाकर भी सलाह देगा । हमारे क्षेत्र में अभी हाल ही में एक पढ़ा लिखा योग्य सरपंच था, उसकी बड़ी धाक थी क्योंकि वह विद्वान था । विद्वान आदमी की पूछ हर जगह होती है । चाणक्य ने लिखा है कि भ्रातृवत् परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः मानवाः । ऐसे पंडित कहां मिलेंगे ? मैं कहूंगा कि इस किस्म के पंडित नहीं मिल सकते हैं जब तक कि लोग विद्वान नहीं होंगे ।

मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने विचारों पर अडिग रहें । किसी के जरा सी बात कह देने से , चाहे जयपाल सिंह कहें या कोई और कहे, सरकार को अपनी पालिसी बदलनी न चाहिये बल्कि उस पर फर्म रहना चाहिये । जो पालिसी उसने अड़ाप्ट की है वह सुन्दर है । उस पर अडिग रहना चाहिये । हमने देखा है कि जहां पर जाहिल लोग सरपंच बना दिये गये वहां अनेक प्रकार के अत्याचार हुए हैं क्योंकि विद्वान नहीं थे । सिर्फ हरिजन ही नहीं बल्कि बहुत सी जगह पंडित, ठाकुर, अहीर आदि जो मूर्खाधिराज हैं सरपंच हो गये हैं । तो मैं चाहता हूं कि एक नियम हो कि पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो जिससे हर आदमी में यह जागृति हो, यह एजिटेशन हो कि वे पढ़ने-लिखने की तरफ झुकें । इसी से देश का उत्थान होगा क्योंकि गांव पंचायतों से ही समाज की नींव पड़ती है । जब गांव पंचायतों में लोग पंडित होंगे, विद्वान होंगे तो वे असेम्बली व पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को पढ़ेंगे कि देश में क्या कार्यवाही हो रही है और फिर उसी लेविल पर अपने यहां भी कार्य को करने की कोशिश करेंगे । और तब जाकर इंडिया में डेमोक्रेसी फलीभूत होगी । इंडिया में भी डेमोक्रेसी है जैसे इंगलैंड में है । इंगलैंड में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लेकिन वहां की गवर्नमेंट वीक है, पब्लिक स्ट्रांग है । उसके बरअक्स

[श्री शिवनारायण]

इंडिया में है । गवर्नमेंट को चाहिये कि यहां के लोगों को शिक्षित करें । जब तक लोग शिक्षित न होंगे तब तक डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो सकती है । इसके लिये यह नियम होना चाहिये कि हर आदमी जो पढ़ा लिखा होगा, जो योग्य होगा वही सरपंच होगा । एक तो पहले से हिन्दुस्तान ऐसे ही बदनाम है कि यहां के ८५ फीसदी लोग जाहिल हैं । आज यूनिवर्सिटी से जो हमारे नौनिहाल निकलते हैं वे भी शिक्षित वर्ग के हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिये फिरते रहते हैं, अगर उनमें से शिक्षित लोगों को लिया जाय तो मैं समझता हूं कि स्थिति बहुत हद तक सुधर सकती है । अगर गवर्नमेंट इस कलंक को मिटाने के लिये कटिबद्ध हो जाय तो मुमकिन है कि यह कलंक मिट जाय ।

हमारे सोशलिस्ट भाइयों का यह केवल प्रोपैगंडा मात्र है जो वे मिल मालिकों और गंवारों के बीच में करना चाहते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि वे अपने अमेंडमेंट को वापस ले लें। यह एक थोथी सी चीज है। चीज वह होनी चाहिये जो ठोस हो । "पक्षापक्षी का रोग सब जग गया भुलाय" तो हमें तो इस पक्षपात को मिटाना है, इसको क्वीट करना है । माननीय सीताराम शुक्ल जी ने जयचन्द और पृथ्वीराज का कोटेशन दिया था, लेकिन हमें तो जयचन्द की तरह से कोई कार्य नहीं करना है, बल्कि हमें एक आवाज से देश के नाम पर मर मिटना जानते हैं और उसके लिये तैयार हैं । हम उस गुरु और पिता के रहनुमा हैं जिसने सन् ४२ में कहा था "क्विट इंडिया", 'डू आर डाइ"। तो हम हर तरह से अपने देश का उत्थान चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर आदमी जो शिक्षित हो वही पंच और सरपंच बनाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं पुनः सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी पालिसी पर अटल और कटिबद्ध रहना चाहिये । उसे सोशलिस्ट या किसी मेम्बर पर भी अपनी जगह पर अटल रहना चाहिये कि समाज को शिक्षित बनाने की कोशिश की जाय । क्योंकि भारत हमेशा संसार का गुरु रहा है, है और रहेगा । हम चाहते हैं कि हमारे समाज का हर बच्चा पढ़ा लिखा और योग्य बने । चाहे चमार हो, चाहे पंडित हो चाहे मुसलमान हो, जाति के हिसाब से किसी के ऊपर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है । हां, यह जरूर है कि हिन्दी देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि चाहे वह हिन्दी जानता हो, या पंजाबी, जानता हो, या मद्रासी जानता हो, या इंगलिश जानता हो लेकिन पढ़ा लिखा जरूर हो । अगर वह फारसी जानता होगा तो चन्द दिनों में हिन्दी सीख जायगा । अगर पंजाबी जानता होगा तो भी हिन्दी बहुत जल्दी सीख जायगा क्योंकि हिन्दी तो ऐसी सरल भाषा है जो सब भाषाओं की मूल है संस्कृत साहित्य से ही सारी भाषाएं निकली हैं और उसी से हिन्दी भी निकली है और वही अब हमारी राष्ट्र भाषा होने जा रही है । इसलिए जो भी इस सूबे के बाशिन्दे हैं उनको हिन्दी और देवनागरी लिपि को जानना चाहिए और उसका उत्थान करना चाहिये । इसलिए यह अमेंडमेंट बिलकुल फ़जूल है, इस को स्वीकार नहीं करना चाहिए और सरकार को अपनी पालिसी पर दृढ़ रहना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का विरोध करता हूं ।

*श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री विष्णु दयाल वर्मा ने पेश किया है उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं बड़े गौर से डेमोक्रेसी पर, जयचन्द और महात्मा गांधी पर माननीय शिवनारायण के भाषण को समझने की कोशिश कर रहा था पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया । उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का सवाल है मैं समझता हूं कि उस दिन कुछ विरोध हमारे मुसलमान भाई शाहिद फ़खरी ने भी किया था और अपनी राय जाहिर की थी और कहा था कि ऐसा हो सकता है और बहुत सी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं कि कुछ भाई ऐसे हों जो उर्दू जानते हों और हिन्दी न जानते हों और न लिख पढ़ सकते हों, तो ऐसे केसेज में दिक्कत हो सकती है और अड़चनें पैदा हो जायंगी और ऐसे लोग ग्राम-पंचायतों के सभापति न बन सकेंगे । अभी हमारा देश प्रजातन्त्र में नया एक्सपेरीमेंट कर रहा है और इसलिए हम लोगों को मौका देना चाहते हैं कि वह समाज की रचना में और देश के विकास में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरा सहयोग दे सकें । बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन गुणे नहीं होते हैं और वह कभी कभी पढ़े लिखों से भी ज्यादा होशियार साबित होते हैं । अगर यही मंशा रखा जाता तो अ.ज माननीय शिवनारायण जी इस असेम्बली के मेम्बर न हुए होते । वह क्वालिफिकेशन रखना चाहते हैं और इसीलिए वह बी० ए० पास करने की पिछले साल से खुद भी कोशिश में हैं । पारसाल भी उन्होंने इम्तहान दिया था लेकिन बेचारे फेल हो गये और इस साल भी उन्होंने इम्तहान दिया है और शायद उनको लोगों ने सलाह दी है कि वगैर बी० ए० पास किए हुए कुछ होने वाला नहीं है । शायद इसीलिए वह चाहते हैं कि क्वालिफ़िकेशन इस में रखी जाय और इसीलिए बेचारे बी०ए० पास करने की फिक्र में हैं । लेकिन उन्होंने यह रास्ता नहीं अख्तयार किया, हालांकि वह फ़ेल हो गये कि वह एग्जामिनर के पास जा कर नम्बर बढ़वा लें .....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अब संशोधन पर ही बोलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं इसी पर कह रहा हूं कि क्वालिफ़िकेशन रखने की जरूरत है या नहीं । अगर यही बात है तो वह अभी यह रख रहे हैं । आगे जब वह बी० ए० पास कर लेंगे तो कहेंगे कि बी० ए० पास की क्वालिफ़िकेशन रखी जाय, क्योंकि वह अभी बी० ए० पास नहीं कर पाये हैं और इस साल उन्होंने फिर इम्तहान दे रखा है । वह अगले साल जरूर कहने लगेंगे कि बी० ए० पास होना चाहिये ।

मुझे संशोधन के विषय में कहना है कि प्रजातंत्र का सबसे छोटा हिस्सा हमारे ग्राम हैं । हमें वहां हर व्यक्ति को कार्य करने और ग्रामों का विकास करने का बराबर अवसर देना चाहिए । हमारे यहां करोड़ों आदमी ऐसे हैं कि जिनको शिक्षा आदि प्राप्त करने का पूरा अवसर मिला है, लेकिन वह बहुत सी बातों में भाग लेते हैं और ठीक ठीक काम करते हैं । तो ऐसे लोगों को जो दिलचस्पी लेते हैं और ठीक काम करते हैं और देश के विकास में भाग लेना चाहते हैं उनको क्वालिफिकेशन के कारण हमें वंचित न करना चाहिए और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने देश को उठाने की कोशिश नहीं करते । हो सकता है कि हमारे देश का हर आदमी संविधान के मुताबिक़ पढ़ा लिखा हो जाय, उस समय हम कह सकते हैं कि हमने सहूलियत दी, लेकिन आप ने नहीं पढ़ा, या हिन्दी का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, लेकिन जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं है, जब तक हमारे देश में प्राइमरी एजूकेशन कम्पलसरी न हो और काफी लोगों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं होता तब तक उन लोगों को रचनात्मक कार्यों में सहायता करने से ऐसे पदों पर पहुंच कर वंचित करना उचित नहीं होगा ।

मुझे दुख है और मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि माननीय शिवनारायण जी जिनके प्रतिनिधि होकर यहां आये हैं उनमें से ९० फीसदी ऐसे गरीब लोग हैं जिनको आजतक पढ़ने का मौका नहीं मिला । माननीय शिवनारायण जी इस तरह का विरोध करके उनको मौका नहीं देना चाहते कि वे अपने देश की, अपनी जाति की, अपने इलाके की सेवा कर सकें और कोई इसका विरोध करता तो समझ में आ सकता था लेकिन उनके मुखसे इसका विरोध हुआ यह मुझे कुछ अच्छा नहीं मालूम हुआ । मुझे तो आशा है कि माननीय मन्त्री जी जो डिमोक्रेसी को माननेवाले हैं और खुद एक डिमोक्रेट हैं, यद्यपि उन्होंने परसों कहा था कि एरिस्टोक्रेसी में पलने वाले लोग डिमोक्रेसी की बातें करते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूं कि माननीय मन्त्री डिमोक्रेसी में रहते हुये ही ऐरिस्टोक्रेसी की बातें किया करते हैं। लेकिन इस मामले में तो कम से कम माननीय शिवनारायण जी के डिमोक्रेसी, जयचन्द, गांधी जी और चाणक्य की बातों का इतना लम्बा चौड़ा भाषण सुनकर जो प्रस्ताव विष्णु दयाल जी ने रखा है स्वीकार करेंगे । (एक आवाज- उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है ।) अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और बावजूद उनके स्वीकार करने के माननीय शिवनारायण जी इसका विरोध करते हैं तो फिर अधिक कहना व्यर्थ है । जब माननीय मन्त्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया है तो ज्यादा समय नष्ट करना व्यर्थ है और मैं माननीय मन्त्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि कम से कम उन लोगों को मौका मिला जिनको हमारी ही वजह से पढ़ने का मौका नहीं मिला है । हम अपने कसूर के लिये अगर उन्हें वंचित कर देते हैं कि वे किसी स्थान पर बैठकर सेवा न कर सकें तो मैं समझता हूं कि यह इंसाफ नहीं होता । इन शब्दों के साथ मैं विष्णु दयाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सीताराम शुक्ल---उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर इस पहलू से बोलने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षित होना जरूरी है या नहीं । प्रवर समिति की रिपोर्ट तो है ही कि शिक्षित होना चाहिये । इस पर विचार भी हुआ और तय यही हुआ था कि शिक्षित रहना चाहिये । प्रश्न तो यह है कि हमारे मन्त्री महोदय ने संशोधन स्वीकार भी कर लिया है लेकिन न्याय की बात क्या है वह नहीं देखी गई ।

"निन्दन्तु नीति निपुणाः, यदि वास्तुवन्तु,
लक्ष्मी ; समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ।"

लोग निन्दा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी रहे या जाय आज ही मर जायं या हमेशा ही जिन्दा रहे लेकिन भले लोग न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ते । इसमें कोई शुबह नहीं है और मैं इसको मानता हूं कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे लोग कम हैं तो इस शर्त को लगा देने से कुछ लोगों का नुकसान हो सकता है, लेकिन एक तरमीम ऐसी लाई जा सकती है बहुत आसानी से कि जहां गवर्नमेंट चाहे वहां अशिक्षित को भी मौका दे दे ऐसा ऐक्सेप्शन रहे । (एक आवाज-मौजूद है ।) जब यह चीज मौजूद है तो फिर उसको मानने में क्या दिक्कत है । मैं आज पूछना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है ? क्या इस पर डिस्कशन करने का मौका मिला ? हुजूरवाला, क्या इसपर विचार करने का मौका मिला ? अगर बहुमत की यही राय है कि इसको चेन्ज न किया जाय तो फिर आपने एकायक क्यों मंजूर कर लिया ? हुजूरवाला, जितनी ही कि आप खुश करने की कोशिश करेंगे कि सब खुश रहें, हमसे सब राजी रहें उतना ही विरोध होगा । याद रखिये सबको खुश करने की कोशिश करने वाले सबको नाखुश कर देते हैं और यह हो ही नहीं सकता कि आपसे सब खुश हो जायं । क्या सब हरिजनों ने इसको अपोज किया ? क्या सब मुसलमान भाइयों ने इसको अपोज किया ? अगर नहीं किया और कुछ ही साथियों ने इसको अपोज किया और उन्हीं को आप खुश करना चाहेंगे तो फिर काम नहीं होने वाला है । अगर वह खुश भी हो जायंगे तो बाहरी नाराज हो जायंगे । इसलिये कहीं शिक्षित-वृन्द नाराज हो गये तो फिर बड़ी मुसीबत हो जायगी, क्यों कि शिक्षित और सच्चरित्र वृन्द यदि असन्तुष्ट हुआ तब अधिक घाटा होगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य भाषण करते वक्त ऐक्टिंग भी कर सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---यह एक योग्यता की बात है ।

श्री सीताराम शुक्ल---जिसको ऐक्टिंग आती है वही कर सकता है किन्तु क्या जिसको आती ही नहीं उसको सिखलाया नहीं जा सकता ? हां, तो मैं आप से अर्ज कर रहा था कि देखना है कि यह काम ठीक है या नहीं ? अगर ठीक है तो उसे जरूर करना चाहिये । कुछ लोगों की मुखालिफत की परवाह नहीं करनी चाहिये । कुछ लोग तो सिर्फ इस गरज से मुखालिफत किया करते हैं कि उनका नाम अखबार में निकल जाय । इसलिये मेरी गुजारिश है कि पहले तौलिये और सच्चाई की कसौटी पर इसे परखिये । अगर ठीक है तो जरूर कीजिये तब विरोधी भी मित्र बन जायेंगे । कुछ लोग उर्दू जानते हैं, हिन्दी नहीं जानते हैं । मैं आपको बतलाऊं कि मैं बहुत से अफ़सरों को जानता हूं जोकि पहले हिन्दी जानते थे लेकिन और भाषाओं में माहिर थे, तो उन्होंने छः महीने के अन्दर हिन्दी सीख ली । वह हिन्दी में काबिल हो गये । यही नहीं कि अच्छी हिन्दी लिख ही लेते हों बल्कि बोल भी लेते हैं । लेकिन जिसको हिन्दी सीखने का शौक ही नहीं है वह इसलिये कयामत तक हिन्दी नहीं सीख सकते । जिनको नफ़रत है उसको आप नहीं सिखला सकते हैं ।

इसलिये मेरी अदब के साथ गुजारिश है कि इसपर संजीदगी के साथ और गम्भीरता-पूर्वक विचार कीजिये और फिर इसपर फैसला दीजिये वर्ना कल बच्चे हसेंगे ।

श्री अब्दुल मुईज़ खां—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विष्णुदयाल वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसपर काफी बहस हो चुकी है इसलिये मैं समझता हूं कि अब इस पर और कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । कुछ माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि इस क्लाज में व्यवस्था की गई है कि यदि कोई आदमी पढ़ा-लिखा न मिले, किसी क्षेत्र में तो पढ़ाई-लिखाई से छूट दी जा सकती है । लेकिन मैं उचित नहीं समझता कि कहीं पर छूट दी जाय और कहीं पर पढ़े-लिखे आदमी को रक्खा जाय, यह असमानता ठीक नहीं है । मैं समझता हूं कि उसके लिए एक ही नियम होना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि हमारे माननीय शिवनारायण जी ने यह बतलाया है कि हम अपने देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं । मैं तो यह समझता हूं कि जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकलेगा कि जो अपने देश को महान न बनाना चाहता हो । हर एक यही चाहता है, लेकिन उसके लिए जो माननीय शिवनारायण जी ने रास्ता अख्तियार किया है, वह मैं समझता हूं, उचित नहीं है । वह इस तरह की कैद लगाना चाहते हैं लेकिन उसके लगाने के पहिले उनके लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सबसे पहले उन आदमियों को, जिनके ऊपर वह कैद लगा रहे हैं, इस योग्य बनायें और तब उन पर यह कैद लगायें । मैं समझता हूं कि माननीय शिवनारायण जी देहाती क्षेत्र के रहने वाले हैं और देहात के रहने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, परन्तु जिनका वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको अपने अधिकारों से वंचित करके उनके साथ अन्याय कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों से कोई काम नहीं चल सकता है । आप पहले उनके लिए एजुकेशन कम्पलसरी कीजिये, प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी कीजिये, और फिर उसके बाद यदि ऐसा कैद लगाइये तो ठीक है ।

एक बात मुझे यह भी कहनी है कि जब माननीय मन्त्री जी ने इस तरह का आश्वासन दे दिया है और अधिकांश सदस्यों की यह राय है तो इस पर अधिक वाद-विवाद करना उचित नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है, उसे स्वीकार करें, और देश का कल्याण करें । मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

*श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ बहुत नहीं कहना है । एक तो मेरा ख्याल यह है कि इसके हटाने के बाद, "एज" के बाद फुलस्टाप दी जायगा जो कि कांसिक्वेंशल है, और यह आप स्वयं अपने अधिकार से कर लेंगे । मैं सब माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके हटाने के बाद यह कहना कि कोई विद्या के खिलाफ है या कोई विद्या की उन्नति नहीं चाहता है, यह बात नहीं है । लेकिन जो परिस्थिति है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहानुभूति ले करके इस पंचायत राज को चलाया जाय, इस इच्छा से मैंने यह संशोधन स्वीकार किया है और मैं समझता हूं कि सदन भी स्वीकार कर लेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछली मिसालों में उन्होंने यह पेश किया था कि कचेहरियों में अक्सर ऐसा पाया गया है कि प्रजानों ने अशिक्षित होने के कारण अंगूठा लगाया, तो उसके लिए उन्होंने क्या उपाय निकाला है, इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री मोहनलाल गौतम---सब दिक्कतों का हल इस समय यहां बयान करना कठिन है। जैसे-जैसे परिस्थिति आती जायगी, ऐडमिनिस्ट्रेशन उसका उपाय निकालता जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 5-B की पंक्ति ३ के शब्द "age" के पश्चात् आये हुए शब्द "and" से लगाकर प्रस्तावित नयी धारा 5-B का पूरा शब्द-समूह निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६ का संशोधन।

७---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

Cessation of membership.

6--(1) A member of a Gaon Sabha shall cease to be a member if—

(*a*) he is disqualified under section '5'

(*b*) the area where he resides has been excluded from the jurisdiction of the Gaon Sabha, or

(*c*) he has ceased to be ordinarily resident within the jurisdiction of the Gaon Sabha.

(2) Where any person ceases to be a member of a Gaon-Sabha under sub-section (1) he shall also cease to hold any office to which he may have been elected, nominated or appointed by reason of his being a member thereof.

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की पंक्ति १ में आये हुए शब्द "वर्तमान" को हटा दिया जाय। मैं इस शब्द को अनावश्यक समझता हूं। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है। इस से अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री कृपाशंकर)---स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति १ में आये हुए शब्द "वर्तमान" को हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धारा 6-A का रखा जाना ।

८--मूल अधिनियम की धारा ६ के बाद निम्नलिखित नई धारा 6-A के रूप में रख दिया जाय :—

"6-A. If any question arises as to whether a person has become subject to any disqualification mentioned in section 5 or 5-A or in sub-section (1) of section 6, the question shall be referred for the decision of the prescribed authority and his decision shall, subject to the result of any appeal as may be prescribed, be final, and the name of the person shall, if necessary, be struck off from the register of members.",

Decision on question as to disqualification.

श्री कृपा शंकर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के अधीन प्रस्तावित धारा 6-A की तीसरी पंक्ति में अंक ५ के नीचे की रेखा हटा दी जाय और तदुपरान्त कोष्ठक के पश्चात् आये शब्द "or" तथा "5-A" के उपरान्त आने वाले शब्द "in" को रेखांकित किया जाय ।

श्री मोहन लाल गौतम—यह तो प्रिंटिंग का सवाल है । रेखांकित वह लफ्ज हैं जो ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में आये । इसमें कोई हर्ज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के अधीन प्रस्तावित धारा 6-A,, की तीसरी पंक्ति में अंक ५ के नीचे की रेखा हटा दी जाय और तदुपरान्त कोष्ठक के पश्चात् आये शब्द "or" तथा "5-A" के उपरान्त आने वाले शब्द "in" को रेखांकित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

महाराजकुमार बालेन्दशाह—उपाध्यक्ष महोदय, खंड ८ के बारे में प्रश्न रखने से पहले मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था कि इसमें ५—बी का भी जिक्र होना आवश्यक है । चूंकि यह पूरा क्लाज डिस्क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में है, तो यदि आपु के सम्बन्ध में कोई डिस्क्वालिफिकेशन और डिस्प्यूट हो तो उसका निर्णय भी इसी के मातहत होना पड़ेगा इस लिए 5-B का भी मेरे विचार से जिक्र होना आवश्यक है ।

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के लिए हैं, वह भी इसमें कवर हो जाय तो अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष—इस सम्बन्ध में एक उनका संशोधन आया है श्री कुंवरकृष्ण वर्मा का, यदि उस से कुछ सहायता हो सके, तो उसे पेश कर दिया जाय ।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन इसमें उपस्थित करता हूं कि खंड ८ की प्रस्तावित धारा 6-A की पंक्ति ५ में शब्द "for the decision of" के बजाय शब्द "to" रख दिया जाय और शब्द "authority" के बाद शब्द "for decision" बढ़ा दिये जायं ।

श्री मोहनलाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ड्राफ्टिंग का सवाल है, और इसमें भाषा अच्छी मालूम होती है । " shall be referred for the decision of the prescribed authority है । जो सवाल शाह साहब ने किया था, उसको देखने की बात है कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन एराइज हो और डिस्प्यूट हो, और प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी का डिसीशन फाइनल है, तो इसमें यदि ५-बी आ जाय तो ज्यादा अच्छा है, वह सारा डिलीट हो जायगा और ५—ए के बाद " " or 5-B" आ जायगा और इसके बाद "or sub-section (1) of section 6," । मैं इसके लिए माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---(स्वशासन मन्त्री जी से) क्या आप को यह स्वीकार है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां, स्वीकार है। ५ और ५-ए के बीच में "or" डिलीट हो जायगा और "or 5-B" जुड़ जायगा। इस के बाद "or sub-section (1) of section 6"।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन को माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार कर लिया है, उसमें सिर्फ शाब्दिक हेर फेर था और शब्दावली ज्यादा अच्छी हो जाती है। इस लिए मैं चाहता हूं कि सदन इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम---इसका रूप यह हो जायगा कि "shall be referred to prescribed authority for decision" इसके होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह रीड अच्छा करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हालां कि अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनको मंजूर है। अच्छा भी मालूम पड़ता है। इसलिए मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ की प्रस्तावित धारा 6—A की पंक्ति ५ में शब्द "for the decision of" के बजाय शब्द "to" रख दिया जाय और शब्द "authority" के बाद शब्द "for decision" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा 6—A की पंक्ति ३ में शब्द "or" निकाल दिया जाय और "5—A" के बाद "or 5—B" जोड़ दिया जाय।

श्री मोहन लाल गौतम---इसको इस तरह से किया जाय कि पंक्ति तीन में ५ और ५-ए के बीच में जो "और" है वह निकाल दिया जाय "और ५-ए के बाद "और ५-बी" जोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---क्या श्री बालेन्दुशाह जी को यह स्वीकार है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---जी हां, स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा 6—A की पंक्ति ३ में शब्द "5—A" के पहले का शब्द "or" निकाल दिया जाय और "5—A" के उपरान्त "or 5—B" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ विधेयक का अंग माना जाय।

श्री मोहनलाल गौतम---उपाध्यक्ष महोदय, जरा इसमें मुझे, यदि आप आज्ञा दें, तो इसको पुट-अप करने के पहले मैं चाहता हूं कि जरा इस पर और विचार कर लूं। क्योंकि आगे चल कर इसमें एलेक्शन पेटीशन का भी जिक्र है, और एलेक्शन पेटीशन का अगर ईश्यू बनने वाला है, तो शायद यहां पर इसके जोड़ने से दिक्कत हो जाय। तो मैं इसको देख लूं, अभी देख रहा हूं।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)---आपकी इजाजत से मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां पर "6—A" में डिस्क्वालिफिकेशन रखी गयी है, वहां पर तो "5" और "5—A" का ही रहना मुनासिब है। जहां तक "5—B" का ताल्लुक है, तो यदि एक किसी व्यक्ति ने, जो कि ३० साल से कम उम्र का है, प्रधान पद के लिए दरखास्त दी। अगर उसका नामिनेशन रिजेक्ट या मंजूर किया गया तो उसके लिए एक पिटीशन गलत या

सही नामजदगी को मंजूर किये जाने पर या रिजेक्ट किये जाने पर दिया हुआ है, कि वह उस तरीके पर एलेक्शन पिटीशन कर सकेगा और उसका फैसला वहां पर होगा, न कि यहां पर "6—A" में दिया हुआ है। तो जो बालेन्दुशाह जी ने "5—B" बढ़ाने को कहा है, वह सही नहीं मालूम होता और एलेक्शन पिटीशन की बात से वहां कवर हो जाता है और "5—B" की जरूरत यहां पर मालूम नहीं होती।

*श्री मोहनलाल गौतम—इसका अर्थ यह हो जायगा कि अगर यहां पर स्वीकृत हो जाय तब जहां तक कि ३० साल की अवस्था का सम्बन्ध है, उसमें तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का डिसीजन फाइनल होगा, और एलेक्शन पिटीशन में और बाकी बातों पर डिसीजन हो सकेगा। हरीश जी का कहना यह है कि ३० वर्ष से कम अवस्था का व्यक्ति प्रधान अगर चुना जाय, उसके सम्बन्ध में अगर झगड़ा हो तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उसको निश्चित कर दे और उसका फैसला फाइनल हो। अब यह सदन के देखने की बात है कि अगर ३० से कम का कोई व्यक्ति चुना गया है तो उसके खिलाफ दो प्रकार से गलती दुरुस्त की जा सकती है। या तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह इसके बारे में कोई निर्णय कर दे और वह निर्णय फाइनल होगा, जैसा कि बालेन्दु शाह जी के संशोधन में है। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर बालेन्दु शाह जी का संशोधन स्वीकार हो जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि एलेक्शन पिटीशन की और चीजें तो एलेक्शन पिटीशन के सामने जायंगी, लेकिन जहां तक आयु का सम्बन्ध है, वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटीके सामने जायगी। तो अगर वह झगड़ा प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी तय कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब यह सदन के सोचने की बात है कि वह इसको एलेक्शन पिटीशन के लिए वहां रख दे या यहां रख दे। मुझे तो दोनों में कोई आपत्ति नहीं मालूम पड़ती।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में अगर "फाइव—बी" भी जोड़ा जाता है, तो इस धारा की जितनी शब्दावली है, जितना उसका मजमून और मंशा है, वह सभी असंगत हो जाता है। इसके आखिर में . . .

श्री उपाध्यक्ष—मैं एक बात कह देना मुनासिब समझता हूं कि यह प्रश्न तो सदन के सामने पेश हो चुका है और सदन ने स्वीकार भी कर लिया है। अब वाद-विवाद आवश्यक नहीं है।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अब्दुल मुईज खां—क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह खंड ८ किस रूप में स्वीकृत हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष—यह इस रूप में स्वीकृत हुआ है:—मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद निम्नलिखित नई धारा 6-A के रूप में रख दिया जाय:—

"6-A. If any question arises as to whether a person has become subject to any disqualification mentioned in section 5, 5-A or 5-B or in sub-section (1) of section 6, the question shall be referred to the prescribed authority for decision and his decision shall, subject to the result of any appeal as may be prescribed, be final and the name of the person shall, if necessary, be struck off from the register of members."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड ९

य० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७ का निकाला जाना।

९—मूल अधिनियम की धारा ७ निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ में शब्द "permanently" के स्थान पर शब्द "ordinarily" रख दिया जाय।

श्री केशभान राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यक्रम में मुद्रित सशोधन के स्थान पर दूसरा संशोधन मैं उपस्थित करना चाहता हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं पेश कर दूं। वह यह है.....

खंड १० में शब्द "जाय" और "पूर्ण विराम" के बीच शब्दावली "और शब्द adult हटा दिया जाय" रख दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य लिख कर इसे मेरे पास भेज दें तो अच्छा होगा।

श्री केशभान राय—मूल अधिनियम में इस प्रकार है.....

(कई सदस्य—जरा संशोधन को फिर से पढ़ दीजिये।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं, उनके पास हो या न हो, इसलिये मैं ही पढ़े देता हूं। यह इस प्रकार है:—

खंड १० में शब्द "जाय" और "पूर्ण विराम" के बीच शब्दावली "और शब्द adult हटा दिया जाय" रख दी जाय।

श्री केशभान राय—मूल अधिनियम में इस प्रकार है—

"On the establishment of a Gaon Sabha the prescribed authority shall cause to be prepared a register, in the prescribed form, of all adult persons permanently residing within the jurisdiction of such Gaon Sabha and such register shall, among other things, contain the names of every person entitled under section 5 to be a member of the Gaon Sabhas on the date of its establishment. The register so prepared shall be revised at least once a year in the manner prescribed."

इसमें दो बातें दर्ज करने के लिये कही गई हैं। एक तो आल एडल्ट परसन्स रिजाइडिंग विदिन दी जुरिस्डिक्शन आफ सच गांव सभा और दूसरे परसन्स इन्टाइटिल्ड अंडर सेक्शन फाइव टू बी ए मेम्बर आफ दी गांव सभा।

किन्तु अब तक जो होता है उसमें दो प्रकार के रजिस्टर रखे जाते हैं। एक रजिस्टर में तमाम जो बालिग़ और नाबालिग़ गांव के रहने वाले हैं सब का नाम दर्ज होता है। दूसरे में जो गांव-सभा के सदस्य होते हैं उन का नाम दर्ज होता है। मालूम पड़ता है कि इसका भी उद्देश्य वैसा ही

था किन्तु 'अडल्ट' शब्द रख देने से तीन प्रकार के रजिस्टर हो जाते हैं। एक साधारण रजिस्टर जो पार्ट ए कहलायेगा यानी जो मेम्बर होने के हक़दार हैं और जो नहीं हैं सब का नाम होगा। दूसरा एक रजिस्टर होगा, जिसमें सदस्यों का नाम दर्ज होगा। परन्तु सदस्यों के अलावा जो सदस्य नहीं हो सकते, बालिग हैं, किन्तु दूसरी जगह का रहने वाला हो या पागल हो, ऐसे लोगों का भी नाम दर्ज हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिये 'अडल्ट' शब्द हटा दिया जाना चाहिये। इस प्रकार से दो रजिस्टर होंगे एक तो आर्डिनरी पर्सन्स का और दूसरे उन लोगों का जिन को सदस्य होने का अधिकार रहता है, वह हो जाता है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। तीन के बजाय दो ही रजिस्टर होने मुनासिब हैं। इसलिये यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० की पंक्ति २ में शब्द "जाय" और "पूर्ण-विराम" के बीच शब्दावली "और शब्द adult" हटा दिया जाय", रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

११—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखि
दिया जाय—

"11. (1) Every Gaon Sabha shall hold two general
Meetings of Gaon Sabha. ings in each year, one soon after har of the *kharif* crop (hereinafter called *kharif* meeting), and the other soon harvesting of the *rabi* crop (hereinafter called the *rabi* meeting):

Provided that the Pradhan at any time may, or upon a requisition in writing by the prescribed authoity or by not less than one-fifth of the members shall, within 30 days from the receipt of such-requisition, call an extra-ordinary general meeting. The time and place of all the meetings of the Gaon Sabha shall be published in the prescribed manner :

Provided further that where the Pradhan fails to call a meeting as aforesaid the prescribed authority may do so within a period to be prescribed.

(2) For any meeting of the Gaon Sabha one-fifth of the total number of members of the Gaon Sabha shall form the quorum; provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum."

श्री केशभान राय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ में प्रस्तावित नयी धारा 11 की उपधारा (1) की पंक्ति ८ में शब्द "of" और शब्द "the" के बीच में शब्द "the number of" रख दिये जायं।

जो संशोधन छपा है उसमें मैंने शब्द "total" निकाल दिया है।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शाब्दिक दो तीन चीजें हैं जो इसमें अगर आप मुनासिब समझें तो देख लीजिये। अर्थ का कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ

[श्री मोहनलाल गौतम]

भाषा सुन्दर हो जाती है। ११ (१) के प्राविजो में यह शब्द है, "Provided that the President may at any time or upon a requisition in writing of not less than one fifth of the members"

आप चाहते हैं कि "one fifth of the members" के बजाय "one fifth of the number of the members" कर दिया जाय।

यह साफ हो जाता है, भाषा सुन्दर हो जाती है, अगर आप मुनासिब समझें तो उसे अपने अधिकार से ही कर दीजिये।

दूसरा जो "टोटल" निकाल दिया है यह भी ठीक है, क्योंकि टोटल ऊपर नहीं है। केवल " One fifth of the members " है। इसलिये दो जगह दो भाषायें न रखी जाय। दो जगह दो भाषाओं का प्रयोग करने के दो अर्थ होंगे। इसको और सुन्दर बनाने के लिये यह भी हो सकता है "For any meeting of the Gaon Sabha one fifth of the members thereto shall form the quorum". इससे भाषा सुन्दर हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय मंत्री जी कुछ और संशोधन कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह वर्बल संशोधन है। आगे आता है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री केशभान राय जी का जो संशोधन है वह आपको स्वीकार है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, वह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित नई धारा 11 की उपधारा (1) की पंक्ति ८ में शब्द 'of' और शब्द "the" के बीच में शब्द "the number of" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (१) के पहले 'proviso' की पंक्ति (१) में शब्द 'upon' के स्थान पर 'within 30 days from the receipt of' रख दिये जायं और पक्ति ३ व ४ के शब्द "within 30 days from the receipt of such requisition" निकाल दिये जायं तथा ५ व ६ के शब्द 'The time..... manner, अपने स्थान से हटा कर दूसरे Proviso के बाद clause (2) कायम किये जायं और मौजूदा clause (2) clause (3) कर दिया जाय।

मेरा संशोधन अगर स्वीकृत हो जाता है तो यह प्राविजो इस तरह से पढ़ा जायगा :

Provided that the president at any time may, or within thirty days from the receipt of a requisition in writing of the prescribed authority or by not less than one fifth of the members, shall call an extraordinary general meeting.

यह तो पहला अंग मेरे सशोधन का है जो कि महज शब्दावली को ठीक करने के लिये है। क्योंकि इसमें " requisition in correct writing " ये शब्द यहां एक मर्तबा आते हैं।

और उसके बाद "from the receipt of such requisition" जो ये शब्द हैं इनके रिपेटिशन की जरूरत नहीं है। कम शब्दों से यह चीज हल हो जाती है और मैं समझता हूं कि जो दूसरा भाग संशोधन का है.....

श्री अब्दुल मुईज खां—प्वाइंट आफ आर्डर सर, इसके पहले जब एक संशोधन स्वीकार हो चुका है, तो यह उसके बाद में पड़ता है। तो उसके स्वीकार हो जाने के बाद का हिस्सा पड़ता है, तो वह संशोधित नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष—यह संशोधन जो इस समय सदन के सामने है उस पर सदन का डिसीजन होने पर ही बाद का लिया जा सकता है।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—जो मेरा संशोधन है उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि जो "The time and place of all the meetings of the Gaon Sabha" आये हैं इनको यहां से हटा कर, जो दूसरा प्राविजो है उसके बाद क्लाज २ के रूप में रख दिये जांय।

महाराजकुमार बालेन्दूशाह—मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमारे सदन के सदस्य होने के नाते यह प्रिविलेज है कि जब यहां पर गर्मी के मौसम में सदन बैठे तो हमको यहां पर पंखे वगैरा मिले तो क्या यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होगा कि हमको यहां पर पंखा नहीं मिल रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—पूरा प्रयत्न करने पर भी अगर आपको पंखा और रोशनी न मिले तो यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हो सकता।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे सहमत हूं कि यहां पर लाइट होनी चाहिये और पंखे का भी प्रबंध होना चाहिये ताकि हम पढ़ सकें और देख सकें और दूसरों के भाषण सुन सकें। मेरे संशोधन को जो दूसरा भाग है वह केवल इतना है कि "The time and place of all the meetings of the Gaon sabha" यह चीज जो दूसरा प्राविजो है उसके बाद क्लाज २ जो मौजूद है उसके बीच में रख दिया जाय और वह क्लाज २ जो है उसको ३ कर दिया जाय। मैं इसको वहां से इसलिये हटाना चाहता हूं कि प्राविजो के आखिर में यह शब्द रखना कुछ नहीं मालूम होता है ये शब्द—

'The time and place of all the meetings of the Gaon Sabha shall be published in the prescribed manner'

वहां पर कुछ मालूम होते हैं क्योंकि शुरू में इस तरह से Provided that the Pradhan at any time may or upon a requisition in writing by the prescribed authority or by not less than one fifth of the memberss hall within 20 days from the receipt of such requisition, call and extra-ordinary genera meeting.

यह लिखा जाय और उसके बाद जो यह शब्द आये हैं वह बिलकुल असंगत हैं। इसलिये यह सेपरेट क्लाज रखने की जरूरत है जो क्लाज २ रखा जाय और जहां पर २ नम्बर का क्लाज आया है उसको ३ कर दिया जाय। इसलिये मैं यह गुजारिश करूंगा कि यह दोनों अंगों के लिये मेरा जो यह संशोधन उसकी आवश्यकता है। यह दोनों अंग मेरे संशोधन के हैं। महज थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का फर्क है। इससे अल्फाज में ज्यादा बल आ जायगा। अगर इसको इस प्रकार से कर दिया जाय तो अधिक सुन्दर हो जायगा। इसलिये मैं निवेदन करता हू कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री कृपाशंकर—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय कुंवर कृष्ण वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है उसमें सिर्फ शब्दों का हेर फेर ही है और मेरे विचार में उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। इसलिये इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अब्दुल मुईज खां—मैं इस संशोधन के पहले हिस्से का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, क्योंकि सदन इसकी स्पिरिट की स्वीकृति दे चुका है, इसलिये यह संशोधन उसके खिलाफ जाता है। मैं आपका ध्यान रूल्स आफ प्रोसीजर के सेक्शन १७७ (३) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वह इस तरह से है—

"177 (3) After a decision has been given on an amendment to any part of a motion an earlier part shall not be amended".

सदन ने जो अपना मत प्रकट किया है उसके लिहाज से माननीय वर्मा जी के मोशन का अर्लियर पार्ट अनियमित है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय स्वशासन मंत्री जी शायद इसको स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं ?

श्री कृपाशंकर---जी हां।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सारा क्लाज अभी नहीं रक्खा गया है इसलिये अभी इस पर विचार करने का मौक़ा है। लेकिन चूंकि यह पेश हो गया है, इसलिये इस पर राय लेना ठीक होगा।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा---मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री केशभान राय---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :---

"खंड ११ में प्रस्तावित धारा की उपधारा (२) की पंक्ति १ में शब्द "Gaon Sabha" से पूर्व शब्द " the" के स्थान पर शब्द " a " रख दिया जाय।

यह केवल एक शाब्दिक संशोधन है। इसके दूसरे लाइन में जो 'मेम्बर आफ दि गांव सभा" है, वह ठीक है लेकिन पहला पंक्ति में 'एनी मीटिंग आफ दि गांव सभा" नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं समझता हूं यहां पहली पंक्ति में 'ए" रखना ठीक नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि अगर "टोटल" हटा दिया जाय और "आफ दि गांव सभा" की की जगह "देअर आफ" कर दिया जाय जो ठीक होगा, लेकिन अभी वह बाद को आयेगा। अभी आप इसको वापस ले लें।

श्री केशभान राय---मैं यह संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री केशभान राय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 11 की उपधारा (२) की पंक्ति २ में शब्द "total" हटा दिया जाय और उसी पंक्ति की शब्दावली "of the Gaon Sabha" की जगह शब्द "thereof" रख दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा 11 की उपधारा (२) की पंक्ति २ में शब्द "total" हटा दिया जाय और उसी पंक्ति की शब्दावली" of the Gaon sabha" की जगह शब्द "thereof" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा ११ की उपधारा (२) के अन्त में "पूर्ण विराम" के बजाय "कोलन" रख कर निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय :---

"Provided further that for the meetings of the Gaon Sabha in which resolutions regarding taxation will be considered, onehalf of the total number or numbers of the Gaon Sabha shall form the quorum"

जो उपधारा २ है वह इस प्रकार है :---

"(2) For any meeting of the Gaon Sabha one fifth of the total number of members of the Gaon Sabha shall form the quorum, provided that on quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum."

इसके आगे हम इस संशोधन को जोड़ना चाहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का मतलब यह है कि धारा ११ में गांव सभा की किसी कार्यवाही के लिये सिर्फ गांव सभा के सदस्यों का १/५ हिस्सा ही काफी समझा गया है । तो बहुत सी कार्यवाहियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें ज्यादा एतराज की बात न हो लेकिन टेक्सेशन के बारे में विभिन्न राय रहती है और बहुत सी आपत्तियां प्रदेश में इस किस्म में हैं और राजस्व मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि इस तरह की शिकायतें हैं कि जहां सेक्रेटरी ने प्रस्ताव रखा उस पर प्रधान ने दस्तखत कर दिया या वह भी न किये और उसका नतीजा यह हुआ है कि टेक्सेशन लग गया और हजारों की संख्या में केसेज क़ुर्की और वसूली के पड़े हुये हैं । प्रवर समितियों में भी सर्वसम्मति से तय हुआ था कि इस तरह से बक़ाया और टेक्सेशन को कनडोन कर दिया जाय और हमने भी और सब ने इसको तय किया था । लेकिन आगे के लिये हम चाहते हैं कि टैक्स का सवाल तय करते वक्त कम से कम आधे का कोरम होना चाहिये । अगर आधा कोरम हो जायगा तो प्रधान और सेक्रेटरी का कर्त्तव्य हो जायगा कि वह आमतौर पर सूचना दें और इस तरह से कुछ लोगों को भी सूचना मिल जायगी । जो पांचवें हिस्से की तादाद रखी गई है उसमें काफी तिकड़मबाजी हो सकती है । मैंने तो आधे की ही कोरम रखा है, हालांकि मैं चाहता तो और ज्यादा था, लेकिन मैंने माननीय मंत्री जी की दिक्क़तों को सामने रखा और तीन-चौथाई या दो-तिहाई की बात नहीं रखी, इसलिये कि कहीं ऐसा न हो कि कभी इतनी हाजिरी ही न हो और सब काम ही ख़त्म हो जाय । इसलिये मैंने जानबूझ कर ही आधे को संख्या कोरम के लिये रखी है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्राविजन भी बहुत आवश्यक है । और इसे अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन पेश किया है उसके सिद्धांत का तो मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । लेकिन इस आधे कोरम के प्रेक्टिकल आस्पेक्ट में कुछ दिक्क़तें हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है । लेकिन जब मंत्री जी ने अशिक्षित लोगों को प्रधान बनने का मौका दिया है और संशोधन को मान लिया है तो जब ऐसे लोग प्रधान बन जायेंगे तो यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम उनके अधिकार भी सीमित रखें । जब हम इसके प्रेक्टिकल आसपेक्ट को देखते हैं तो शायद इतने लोग हाजिर न हो सकें तो या तो वह इसको स्वीकार कर लें क्योंकि जहां तक टैक्सेशन का विषय है गांवों में आज की हालत में अन्धाधुन्धी टैक्स लगाना मुनासिब नहीं है । वर्ना बहुत से विषय में उन्होंने रखा है इतना और जोड़ दें कि एजन्र्ड मीटिंग में भी कोरम आवश्यक है । अब तक जैसी यह क्लाज है उसके मुताबिक़ एजन्र्ड मीटिंग में कोरम की आवश्यकता नहीं है । तो यह हो सकता है कि एक मीटिंग में कोरम न हो और उसके बाद दूसरी मीटिंग में कोरम न होने पर भी कोई टैक्सेशन पास कराया जा सकता है । इसलिये या तो माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें वर्ना यह कर दें कि एजन्र्ड मीटिंग में भी अगर टैक्सेशन का मामला हो तो कोरम पूरा होना चाहिए ।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने रखा है, उसको जब देखता हूं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है । ताज्जुब इस बात का होता है कि कभी-कभी तो सहारा इस बात का लेते हैं कि विधान सभा में नियम है कि २५ वर्ष का हो और उसके पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्यों विधान सभा के नियमों को छोड़ देते हैं । विधान सभा का जो कोरम है वह तो इससे भी कम है । जो माननीय मंत्री जी ने रखा है, वह तो १/५ है और जो विधान सभा का कोरम है वह तो १/८ है । इसके बाद भी यह कहना कि १/२ रखा जाय, उचित नहीं है और माननीय बालेन्दुशाह जी तो उनके आगे भी जाते हैं और इतनी दूर तक जाते हैं कि एजन्र्ड मीटिंग के लिये भी १/५ ही रखा जाय । उनकी शिकायत माननीय उपाध्यक्ष जी इसलिये और भी ज्यादा है कि उनके ख्याल से गांव सभाओं के सभापति मूढ़ चुने जायंगे ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मेरा ख्याल नहीं है, बल्कि आपका ख्याल है ।

श्री रामनरेश शुक्ल—वे अशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन मूढ़ नहीं। बहुत से शिक्षित भी तो मूढ़ होते हैं। उनका ख्याल है कि गांव सभाओं के प्रतिनिधि मूढ़ चुने जायेंगे और उनके चुने जाने के बाद फिर जरूरत यह पड़ती है कि उसमें ज्यादा कोरम कर दिया जाय ताकि कोई ग़लती न हो। यह बात कोई साइकालोजिकल कसौटी पर भी नहीं कसती। टैक्सेशन एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कि हर व्यक्ति का सम्बन्ध गांव में होगा और उसके लिये ज्यादा से ज्यादा आदमी जानने के लिये इच्छुक रहेंगे। फिर क्या शंका है कि बढ़ा दिया जाय और अगर इच्छुक नहीं रहते तो वही दूसरी ऐजन्डं मीटिंग में टैक्सेशन चिपक गया जैसा एकाधबार चिपक गया है तो फिर उनको ज्ञान होगा, क्योंकि अब तो उनको प्रजातंत्र का सबक मिल भी गया है कि उनको अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों का पालन करने के लिये इकट्ठा होना चाहिये और अगर वे इस पर भी इकट्ठा नहीं होते और एजन्डं मीटिंग में टैक्स लगा गया तो इस अनुभव के बाद एक प्रैक्टिकल चीज वह स्वयं बन जायगी। कहा जाता है कि जब प्रैक्टिकल चीज हो जायगी तो उससे लोग चैतन्य भी हो जायंगे। तो १/२ का कोरम न तो आज तक हमने कहीं पढ़ा, न देखा और न सुना। आज पहली मर्तबा माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी से सुनने को मिला है। तो मैं इसका जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं क्योंकि यह सब बातें अगर कर दी जायं तो गांव सभा का कोई काम भी करना बड़ा कठिन हो जायगा। आज तक तमाम चीजें प्रयोगात्मक ढंग से की जा रही हैं। ऐसे महान प्रयोग के समय में ऐसी चीजों को लाकर के रख देना जिसका कोई मतलब न हो और अगर कुछ मतलब भी हो, तो वह घोड़े के आगे गाड़ी खड़ा कर देना हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी से यह प्रार्थना करता हूं कि जैसे वह और प्रचार करते हैं अपने प्रचार की सूची में इसको भी शामिल कर लें कि गांव के लोगों को बतलायेंगे कि वे हर गांव सभा की मीटिंग में आयें और आकर गांव सभा के जरिये से अपने कर्त्तव्यों को करें। जब उनमें यह चेतना आ जायगी, पंचायतराज की भावना उनके दिमागों के अन्दर घुस जायगी तो फिर १/२ या १/५ किसी भी कोरम की जरूरत नहीं रह जायगी। हमारी सरकार इस कार्य को इस दृष्टिकोण से कर रही है कि गांव में सब कोई अपने काम को स्वयं करें, सोच विचार कर करें, किसी दूसरों की जरूरत न पड़े। आज सेक्रेटरी की शिकायतें की जा रही हैं। हम चाहते हैं कि एक समय ऐसा आवे जब सेक्रेटरी की जरूरत न रहे। गांव सभा के लोग आपस में चुन कर सेक्रेटरी अपना बना लें, सेक्रेटरी भी उन्हीं का रहे और सारे उनके कामों को चलाता रहे। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो लोग इस कन्सेप्शन से स्टार्ट ले रहे हैं, जिनकी शुरुआत ही इससे हो रही है कि गांव में तो अब गूढ़ों का राज्य होगा, उनकी समझ मे यह बात नहीं आ सकती। लेकिन इस विचार से इस प्रयोग को कर रहे हैं कि गांव में अब गांव वालों का राज्य होगा, चाहे जो भी हों, चाहे मूढ़ हों, चाहे शिक्षित हों। जिस प्रकार के भी लोग गांव में रहेंगे उन्हीं का वहां शासन होगा। जो तर्क पेश किये गये हैं वे ऐसे ही हैं जैसे कि घोड़े के आगे गाडी खड़ी कर दी जाय। उनकी समझ में यह बात नहीं आती है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)— माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आया है उसमें काफी सेन्स है और उस पर गौर करना चाहिये। इसकी वजह यह है कि जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि असेम्बली में उतना कोरम नहीं है, पर असेम्बली के जो रूल्स हैं वह जो गांव-सभा के रूल्स हैं उन पर लागू नहीं हो सकते। हमें यह देखना चाहिये कि किन परिस्थितियों में कौन से रूल्स अच्छे होंगे और किन परिस्थितियों में कौन से रूल्स खराब होंगे। हमें यह देखना पड़ेगा कि गांवों की परिस्थितियां कैसी हैं। अगर वहां की परिस्थितियां जैसी हैं तो वहां के रूल्स कैसे बनाये चाहिए। इसलिये कोई भी मिसाल असेम्बली की कार्यवाही की गांव सभाओं पर आयत नहीं हो सकती है। मैं माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन से बिल्कुल ऐग्री करता हूं। इस संशोधन का उद्देश्य यह था कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रधान मीटिंग नहीं बुलाते हैं और १०—१५ आदमियों को बुला कर के मनमाने टैक्स लगा देते हैं। लेकिन

जनता जो टैक्स लगायेगी वह जनरल पालिसी के मातहत होगा और वह हरएक शख्स पर लगेगा। जब आप देश में डेमोक्रेसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो जिस शख्श पर टैक्स लगता है उसका होना लाजिमी है। यही सेन्स उन्होंने इसमें रक्खा है जिससे कम से कम साल में एक मर्तबा लोग जमा हो जायं, क्योंकि साल में एक ही मर्तबा ऐसी मीटिंग होगी और वह उस पर गौर कर लें। इससे फ़र्ज़ी कार्यवाहियां भी बन्द हो जायंगी।

उन ग़लत कार्यवाहियों के खिलाफ़ आवाज उठाने के लिये सह संशोधन यहां आया है। कोई वजह नहीं मालूम होती कि चन्द आदमी मिल कर टैक्स लगादें और पब्लिक को पता भी न चले। लेकिन इससे प्रधान १०–१५ आदमियों को बुला कर कोई टैक्स नहीं लगा सकेगा और अभी तक जो फर्जी कार्यवाहियां होती रही हैं वह बन्द हो जायंगी। उसके खिलाफ जो रेमेडी है वह यही है कि हम एक मर्तबा गांव वाले साल में जमा हो जायं और अपनी बात तय कर लें।

जो यह कहा गया है कि यह बड़ा मुश्किल है और नामुमकिन है कि आधे आदमी भी कलेक्ट हो सकें तो मैं यह कहता हूं कि अगर किसी गांव में वहां के आधे आदमी भी जमा नहीं हो सकते तो मैं कह सकता हूं कि वहां आप का यह ऐक्ट भी फेल हो जायगा। अगर वह आधे की तादाद में भी जमा नहीं हो सकते तो वह पंचायत क्या चलायेंगे, क्या पार्लियामेंट चलायेंगे। यहां पर सारे लोगों का मामला नहीं है सिर्फ आधे लोगों को रक्खा गया है कि वह साल में एक मर्तबा जरूर जमा हो जायं। इसलिये मैं इसे बहुत ही मुनासिब समझता हूं और मेरा विचार है कि इस पर बहुत ही सीरियसली विचार किया जाय। यह संशोधन बड़ा इन्नोसेन्ट है। यह बात नहीं होनी चाहिये कि अपोजीशन जिस बात की भी मुख़ालिफत करे उसे हम मान लें। टैक्सेशन तो साल में सिर्फ एक मर्तबा होता है। इसलिये अपोजीशन अगर कोई मुनासिब बात कहे तो उसे मान लेना चाहिये। कम से कम आधे मेम्बर जरूर आ जायं। देयर शैल बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बाद में यह न कहा जाय कि चन्द लोगों ने मिल कर टैक्सेशन कर लिया। इस तरह से जो संशोधन आपके सामने है, मैं सदन से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि इसको योंही लाइटली न ट्रीट कर लिया जाय बल्कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय क्योंकि इससे कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं होती है। जब तक वहां आधे आदमी नहीं होंगे तब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह से वहां एक सब लोगों की मीटिंग हो जायगी और उनमें एक स्प्रिट पैदा होगी। आज गांव के लोग समझते ही नहीं हैं कि हमारे भी कुछ आदर्श हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हम खुद टैक्स लगा सकते हैं। वह यह समझते हैं कि जो प्रधान बन गया और उसने अगर यह कह दिया कि इतना टैक्स होगा, तो उतना टैक्स हो गया और अगर उसने कह दिया कि इतना जुर्माना होगा तो उतना जुर्माना हो गया। अब अगर आप ऐसा कर दें तो वहां के लोग यह समझ जायेंगे कि हमारे क्या अधिकार हैं और हमारे अधिकारों के बग़ैर प्रधान कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें कई बातें हैं जिनको हमें सीरियली कंसीडर करना चाहिये। मैं फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस संशोधन पर सीरियली गौर करें और जहां तक हो सके इसे मंजूर करें।

*श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। प्रश्न बहुत सीधा सा है कि गांव सभा की जब मीटिंग हो तो उसके अन्दर पांचवां हिस्सा कोरम रहे। इसमें यह संशोधन रखा गया है कि बजाय पांचवें हिस्से के जब टैक्स का मसला गांव सभा के सामने आये तो आधा कोरम रख दिया जाय। अगर आप इस अधिनियम को देखेंगे तो आप को यह प्रतीत होगा कि गांव सभा की बैठक आमतौर से दो दफा होती है खरीफ और रबी के बाद। उसके लिये इस अधिनियम में यह स्वीकार कर लिया गया है कि कोरम १/५ रहेगा लेकिन संशोधन में उधर से कहा गया है कि यदि गांव सभा के सामने कोई टैक्सेशन का मसला आये तो उसमें कोरम आधा होना चाहिये। आमतौर से जो गांव सभा की मीटिंग होगी उसके सामने बजट आता है, बजट में क्या टैक्स रखा जाय, कितना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनाथ काटजू]

गांव सभा के पास रुपया है, कितना सर्फ होगा, कितनी आमदनी है, यह सब चीजें आती हैं। अगर यह स्वीकार कर लिया जाता है कि उसके लिये १/५ कोरम काफी है तो फिर यह कहना कि कि जब कोई टैक्स का मसला आये तो आधा कोरम रखा जाय यह कोई खास महत्व नहीं रखता। मैं निवेदन करूंगा कि कोरम का अर्थ ही यही होता है कि एक सीमा बांध दी जाती है। कोरम का मतलब यह नहीं है कि वहाँ आधे से कम ही लोग हों। बहुत मुमकिन है और अक्सर ऐसा होता है कि कोरम से कहीं ज्यादा लोग होते हैं और आम तौर से हम चाहते हैं कि आधे से ज्यादा, तीन चौथाई या पूरे लोग आयें। कोरम तो एक खास सीमा के तौर पर रखा जाता है कि अगर किसी विशेष कारणवश सदस्य न पहुंचें तो कितने कम सदस्य वहां जायं जब कि मीटिंग वहां शुरू हो। तो उसमें कोई आदर्श रखना या यह समझना कि जब तक आधे न हो जायंगे तब तक मीटिंग नहीं चलेगी, मेरा निवेदन है कि यह उचित नहीं है।

अभी मेरे एक माननीय मित्र ने यह कहा कि आमतौर से गांव सभाओं की मीटिंगस में लोग जाते नहीं हैं और उनको उससे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं इस प्रश्न पर अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन मेरा अपना विचार है कि इस प्रश्न पर काफी मतभेद है और मैं यह भी जानता हूं कि माननीय सदस्यों में ही मतभेद नहीं है बल्कि मंत्रिमंडल में भी कुछ सदस्यों में मतभेद है क्योंकि अभी कुछ पहले प्रयाग में एक माननीय मंत्री महोदय ने जो जा कर के भाषण दिया और उसमें उन्होंने यह कहा कि गांव सभाएं एक प्रकार से निकम्मी सी हो गयी हैं, कुछ काम नहीं करती हैं। और गांव अदालतें भी कुछ काम नहीं कर रही हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, ज्वाइंट स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने भी दस्तखत किये थे। हमारे सब के सामने प्रश्न आया था और माननीय मंत्री जी पब्लिकली कह चुके हैं कि जनता काफी उत्साह के साथ काम कर रही है और काफी दिलचस्पी लेती है और माननीय मंत्री जी ही नहीं बल्कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी यह स्वीकार किया है कि गांव सभाओं और गांव पंचायतों का काम जितनी कि आशा करते थे उससे भी अच्छा चल रहा है। इसके अर्थ यह नहीं है कि आगे तरक्की करने की गुंजायश नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था कि यह कहना उचित नहीं है कि गांव वालों की दिलचस्पी नहीं है। जब तक बंधन नहीं लगायेंगे कि नियंत्रण न कर दिया जाय कि जब तक आधे न पहुंचें तब तक उसका कार्य न हो। मेरे ख्याल में यह ज्यादा मुनासिब बात नहीं है। कोरम का अर्थ यह होता है कि एक सीमा का बंधन होना चाहिये कि यदि इतने आदमी न पहुंचें तो कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन अगर १०० आदमियों में से १५ पहुंच जायं तो कार्य चल सकता है। यह बात दूसरी है कि वह उस समय निर्णय न लें और सोचें कि दो चार रोज बाद फिर सभा बुलायें और बाद में अंतिम निर्णय किया जाय। लेकिन यह बंधन लगा देने से, रोक लगा देने से गांव सभाओं का काम नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल में यह मुनासिब नहीं है।

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि गांव सभा एक जनरल बॉडी है। टैक्स के संबंध में विचार करें और सोचें कि गांव-पंचायत की जिम्मेदारी है। गांव पंचायत मसौदा बना कर गांव सभा के सामने लाती है और लोग काफी सोच-समझ कर उस पर फैसला लेते हैं। इस वक्त जो यह संशोधन रखा गया है मेरे विचार से असंगत है और मैं निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार न किया जाय।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किया गया है, यदि इसको अच्छी तरह से सोचें, तो ऐसा मालूम होता है कि टैक्सेशन का मसला कभी भी पास नहीं हो सकता है। गांव सभा में हरएक बालिग स्त्री और पुरुष दोनों मेम्बर्स हैं। जहां सभायें होंगी, वहां औरतें करीब-करीब आधी के बराबर होंगी और वह तो आयेंगी नहीं। इसके माने हैं कि आमतौर से आधे आदमी गांव सभा में आ सकते हैं। उनमें से भी बहुत से इधर-उधर चले जायेंगे। इसके माने यह हो जाते हैं कि अगर इसको मान लिया जाय तो टैक्स वाला कोई भी मसला पास ही नहीं हो सकेगा। इस लिए अगर टैक्स को चलाना चाहते हैं, तो बिलकुल जरूरी है कि कोरम १/५ से ज्यादा न बढ़ाया जाय।

एक बात यह है कि जब कोई मसला आयेगा तो उसको गांव पंचायत तय करेगी और सोच-समझ कर गांव सभा के सामने रखेगी। टैक्स का मसला ऐसा होता है कि कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि टैक्स लिया जाय। वह जो टैक्स लगायेगी तो वह जनता पर ही तो लगेगा, वहां के स्त्री-पुरुषों पर ही लगेगा और दिल से कोई टैक्स देना नहीं चाहता है। इसलिए आमतौर से इसके प्रति भावना अच्छी नहीं होगी। गांव पंचायतों के सदस्य हैं, मेम्बर्स हैं, वे तो अवश्य कोशिश करेंगे कि जो सोच समझकर निर्णय किया है, वह गांव सभा में पास हो जाना चाहिए, परन्तु अधिक जनता का इकट्ठा होना करीब-करीब असम्भव है। इसके माने यह हो जाते हैं कि अगर संशोधन स्वीकार कर लिया जाय, तो कभी भी टैक्स लग ही नहीं सकेगा। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि यह प्रयोग में आने के बिलकुल अयोग्य है और आ ही नहीं सकता है, इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी-अभी माननीय रतनलाल जी जैन ने बतलाया कि अगर हाफ कोरम कर दिया जायगा तो टैक्स ही गांव सभा में नहीं लग पायेगा, क्योंकि गांव सभा के जितने वोटर हैं उनमें आधे के करीब तो औरतें हो जायंगी, और वह नहीं आ पायेंगी और टैक्स नहीं लग पायेगा। लिहाजा गांव सभा का काम ही सब रद्द हो जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा श्री रतनलाल जी जैन से यह कहना चाहता हूं कि गांव सभा के लोग स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वह जिम्मेदार हो सकते हैं कि हमें टैक्स लगाना चाहिए या नहीं। अगर वह अपना निर्माण करना चाहेंगे, गांव को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो वह जरूर ही टैक्स लगायेंगे, और जरूर ही आयेंगे और अगर वह अपने ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं, तो क्या इसकी मजबूरी भी है कि उनके ऊपर टैक्स लगाया जाय? हमको इसके लिए क्यों चिन्ता हो। यह तो उनके लिए डिसाइड करने की चीज है। इससे तो यही मालूम पड़ेगा कि माननीय रतनलाल जी परेशान हैं उन पर टैक्स लगाने के लिए। यहां तो वैसे भी सरकार ने काफी टैक्स लगा रखे हैं, जिस से सारा प्रदेश परेशान है और चारों तरफ से इसके खिलाफ आन्दोलन और एजिटेशन हो रहे हैं। फिर भी गांव सभाओं को भी बदनाम करवाने के लिए यह चीज रख दी गयी है। गांव सभा तो वैसे ही इन टैक्सो के लिए बदनाम है।

कल अपनी स्पीच में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जब कि २५ साल की उम्र का सशोधन था, कि हमारे पास कुछ ऐसी शिकायतें आयी हैं कि जिसमें प्रधानों ने अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं किया है और खासतौर से टैक्सों के मामले में, और इससे बहुत सी शिकायतें पैदा हुई। तो टैक्सों के बारे में भी माननीय मन्त्री जी को परेशानी थी। तो जब हाफ कोरम होगा, तो जहां तक टैक्सों का प्रश्न है, लोग स्वयं महसूस करेंगे। अगर लगाना चाहेंगे, तो लगायेंगे और नहीं चाहेंगे, तो नहीं लगायेंगे।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स का मसला दूसरा मसला है। देखना यह है कि इस से पहले जब कि सेक्रेटरियों को गांव सभाओं से रुपया मिलता था तो वह लोग मीटिंगे नहीं बुलाया करते थे, कोरम भी नहीं पूरा होता था, तो अगर वह टैक्स नहीं लगाना चाहेंगे तो नहीं लगायेंगे। अगर यह संशोधन स्वीकार नहीं होता है, तो यही होगा कि मन्त्री भी नहीं होते और ४-५ आदमी बुला लिये और टैक्स लगा दिया। तो यह बहुत ही अच्छा हो अगर हाफ कोरम हो। यह बहुत ही अहम मसला है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिन भावनाओं और अनुभव के आधार पर त्रिपाठीजी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महीलाल]

ने संशोधन रखा है, किसी हद तक मैं उससे सहमत हूं, परन्तु गांव सभाओं के कार्य-संचालन के लिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस संशोधन का मानना गांव सभाओं के कार्यों में अड़चने डालना हो जायगा जिसका मुख्य आधार यह है कि गांव सभा को बहुत बड़ी आय टैक्स से होती है। यदि टैक्स निर्धारण करने में ही हमने इतनी बड़ी अड़चन अगर संचालन में डाल दी, तो मुझे गांव सभा की सफलताओं में सन्देह उत्पन्न होता है। जब मैं माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन पर और गांव सभा के कार्य-संचालन पर विचार करता हूं तो मुझे यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मूल प्रस्ताव ही स्वीकार करना चाहिए। यह ठीक है और हमारे पिछले अनुभव ने भी यह बताया है कि गांव सभाओं में कुछ गलत आदमियों पर भी टैक्स लगे हैं और मेरा यह स्वयं का अनुभव भी है कि बहुत से लोगों ने जो ग्राम सभा के सदस्य भी हैं, यह शिकायतें की हैं कि हमें पता भी नहीं लगा कि टैक्स किस वक्त अथवा किस मीटिंग में लगाया गया। इन वास्तविकताओं के विचारों को लेते हुए त्रिपाठी जी ने इस संशोधन के पक्ष में कुछ बातें कहीं। लेकिन जब हम तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं और गांव सभाओं की सफलता चाहते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम मूल प्रस्ताव को ही मानें, यदि हम त्रिपाठी जी के संशोधन को स्वीकार करते हैं, तो नहीं कहा जा सकता है कि वर्ष में कदाचित् ही कोरम पूरा हो पायेगा, और जब कोरम पूरा नहीं हो सकेगा, तो आगे गांव सभाओं की स्थापना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यदि हम सच्चे अर्थ में पंचायती राज को सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिस से कि हम उन गांवों में रहने वाले लोगों के, जिन पर कि गांव के उद्धार का उत्तरदायित्व होगा, अधिकारों को बढ़ायें। साथ ही मैं यह समझता हूं कि त्रिपाठी जी भी इस बात से सहमत होंगे, कि ग्रामवासी भाई जिन्होंने पंचायतों के पहले एलेक्शन में विशेष सावधानी से काम नहीं लिया, वे अब ऐसी भूल नहीं करेंगे और अभी जो पिछला समय पंचायती राज का चल रहा है, उस से ग्रामवासियों में काफी चेतना आयी है। वह अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों पर विचार करने लगे हैं और कर्त्तव्य की बात जहां मैं कहता हूं वहां मैं माननीय त्रिपाठी जी से यह निवेदन करना भी आवश्यक समझता हूं कि अधिकार की बात तो साधारणतया सभी मनुष्य जल्दी समझ ही लेते हैं, लेकिन जहां कर्त्तव्य का प्रश्न होता है, वहां अनेक शिकायतें रहती हैं।

श्रमदान का कार्य हमारे पास एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि हमारे ग्रामीण भाई अपने कर्तव्य पालन में भी अब आगे आ रहे हैं। जब हम यह देख रहे हैं कि दिन प्रति दिन गांव पंचायतों में पंचायती राज के प्रति एक सजगता बढ़ती जा रही है तो फिर मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है। मैं माननीय त्रिपाठी जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि केवल वही नहीं, बल्कि और दूसरे लोग भी ग्रामवासियों से सहानुभूति रखते हैं, उनकी उन्नति चाहते हैं, और उनकी समस्याओं को भली प्रकार समझते हैं। इन तमाम बातों को सोचते हुए मैं आशा करता हूं कि वह मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे और संशोधन को वापस लेंगे। भाई गजेन्द्र सिंह जी ने टैक्स की नीति की बात कही है। विषय तो टैक्स लगाने का नहीं था, लेकिन वह इस संशोधन के पक्ष में बोलते हुए टैक्स की नीति की भी आलोचना कर गये। मैं भाई गजेन्द्र सिंह जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी अपने को उनकी अपेक्षा किसी प्रकार भी कम प्रगतिशील नहीं समझता और मैं किसी प्रकार अपने को उनके मुकाबिले में ग्रामवासियों का कम हमदर्द नहीं मानता। लेकिन साथ ही मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय गजेन्द्र सिंह जी से कि जितने टैक्स हैं सब खत्म कर दिये जायं और टैक्स न लगाये जायं, तो क्या वह मुझे बतायेंगे कि फिर यह शासन और अन्य उन्नति के कार्यों को किस तरह आगे बढ़ायेंगे। साथ ही उन्हें अपने व्याख्यान में यह भी बता देना चाहिए था कि जिस समय हमारे साथ में शक्ति होगी, या हम शासन में होंगे, तो टैक्सेशन के अलावा और कहां से वह धन की प्राप्ति करेंगे। हर जगह पर, जहां पर अवसर मिले, टैक्सेशन नीति की आलोचना की जाय, जहां मौका पायें सरकार पर कीचड़ उछालें, यह कुछ अच्छा नहीं मालूम होता।

मैं इन शब्दों के साथ माननीय त्रिपाठी जी से आशा करता हूं कि वह आज गांवों की समस्याओं को देखते हुए और ग्रामवासियों के शुभचिन्तकों की हैसियत से, पंचायती राज्य को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक समझेंगे कि सदस्यों की उपस्थिति की संख्या न बढ़ायें, नहीं तो पंचायत राज की सफलता में सन्देह होगा। इस आधार पर मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री ब्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ, जब मैंने इस संशोधन को पढ़ा जो माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत किया है। मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे शुबहा हो रहा था कि इस संशोधन का अभिप्राय क्या है। लेकिन जब मैंने श्री गजेन्द्र सिंह का भाषण सुना तो मेरी शंका का समाधान हो गया। आप का अभिप्राय यह है कि कोई टैक्स किसी प्रकार का न लगाना चाहिए न वसूल होना चाहिए। अगर सदन की यह इच्छा है तो इस संशोधन को अवश्य पास होना चाहिए। परन्तु अगर सदन यह चाहता है कि कुछ सीमा तक टैक्स का लगाना आवश्यक है, किसी भी व्यवस्था को कायम करने के लिए, तब तो मैं समझता हूं कि यह संशोधन पास नहीं होना चाहिए। इस संशोधन का मतलब सीधा सादा यह है कि गांव सभा की आधी जनसंख्या जब तक न आये तब तक टैक्स का प्रस्ताव पास न किया जाय। अगर यह संशोधन पास हो जाता है तो इसका क्या अर्थ हुआ? गांवों की क्या दशा है, क्या जन संख्या है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हमारे सूबे में खास कर के आधे से ज्यादा औरतों की संख्या है। ५१ फीसदी औरतें हैं, और ४९ फीसदी मर्द। गांवों की हालत इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मालूम है। मैं भी गांव सभा में दिलचस्पी लेता हूं। हम अपनी तरफ की हालत जानते हैं कि एक भी औरत किसी गांव सभा की मीटिंग में नहीं आती। अगर यह संशोधन पास किया जाता है, तो इसका नतीजा यह होगा कि आधी से ज्यादा जन संख्या कभी मीटिंग में आयेगी ही नहीं, न औरतें कभी मीटिंग में आयेंगी, न कोरम कभी पूरा होगा और न टैक्सेशन का प्रस्ताव कभी पास होगा। तो आप की जो मंशा है, उसके लिए सीधासादा यह संशोधन लाना चाहिए था कि टैक्सेशन को खत्म कर दिया जाये। बजाय इसके कि "प्लेसिंग दि कार्ट बिफोर दि हार्स" वाली कहावत चरितार्थ करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह संशोधन अव्यावहारिक है। अगर हम चाहते हैं कि गांव सभायें सुचारु रूप से चलें, अगर हम चाहते हैं कि कुछ भलाई का काम उन गांव सभायों के जरिये हो, तो यह आवश्यक है कि यह संशोधन स्वीकार न किया जाये। माननीय त्रिपाठी जी ने ज्यादा पढ़ा होगा, मैंने भी कुछ पढ़ा है, कहीं के विधान में आधे से ज्यादा कोरम नहीं है। हां यह जरूर है कि जैसे वन फिफ्थ का या वन टेन्थ का कोरम हो, जैसे कि वन फिफ्थ इसमें रखा भी गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं। शब्द "घोर" का मैं जान बूझ कर प्रयोग कर रहा हूं। इसको कदापि पास नहीं करना चाहिए।

श्री द्वारका प्रसाद मित्तल (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस तरमीम की मुखालिफत करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। वाकया यह है कि अगर इतना जबरदस्त कोरम आधे का रख दिया जाय तो उस मीटिंग का कुशलता के साथ होना असम्भव हो जायगा। जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझ से पहले कहा कि तादाद स्त्रियों की ५१ फीसदी है। उनमें से ज्यादातर आ नहीं सकेंगी और कुछ पुरुष भी ऐसे होंगे, जो नहीं आ सकेंगे। नतीजा यह होगा कि जो रिजोल्यूशन टैक्स के बारे में होगा, वह पास नहीं हो सकेगा और अगर टैक्स मंजूर नहीं हुआ तो फिर सभा का काम कैसे चलेगा। मैं एक बात यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें आगे सेक्शन ३७, ३७-बी और ३७-डी आती हैं। आगे ३७ में यह लिखा है "Subject to the rules made or directions given or restrictions imposed by the State Governmen a Gaon Sabha may levy."

[श्री द्वारका प्रसाद मित्तल]

अभी इसके मुताल्लिक कवायद बनने हैं। कवायद के अन्दर काफी प्रतिबन्ध रक्खे जायेंगे और टैक्स की फेहरिस्त खास बनेगी और जब फेहरिस्त बन चुकेगी, तो रिजोल्यूशन के रूप में वह कमेटी के सामने आयेगी। ३७-बी में यह लिखा हुआ है "An appeal against the levy of tax or fee by the Gaon Sabha shall lie to the prescribed authority." और ३७-डी में यह लिखा हुआ है "The State Government may remit the whole or part of any tax or fee levied by a Gaon Sabha in respect of a period whether before or after the commencement of the U. P. Panchayat Raj (Amendment) Act 1951. तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिन साहबान को यह अन्देशा है कि पता नहीं टैक्सेज किस तरह से जायेंगे, इन बातों का कोई अहतमाल नहीं है। जब सभा टैक्सेज के रिजोल्यूशन को पास कर दे तो उसके लिए अपील की भी गुंजाइश है। निहायत यह प्रतिबन्ध लगाना कि ५० फीसदी कोरम हो इसके मानी यह हैं कि सभा का काम टैक्स लगाने के मुताल्लिक चल नहीं सकेगा और सभा टैक्स नहीं लगा सकेगी। नतीजा यह होगा कि सभायें काम नहीं कर सकेंगी। इन शब्दों के साथ मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

*श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)--जनाब वाला, मुझे अफसोस है कि जिस समय त्रिपाठी जी ने इस प्रस्ताव को पेश किया उस समय मैं यहां मौजूद नहीं था। मैंने इसको बहुत गौर से पढ़ा और समझने की कोशिश की, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि वह किस वास्ते इस ऐक्ट में यह प्राविजो रखना चाहते हैं। अगर यह प्राविजो रहे तो इसका मतलब यह होगा कि वह यह चाहते हैं कि गांव सभा कभी टैक्सेशन न लगा सके और गांव सभा गांव वालों से कभी कोई टैक्सेशन वसूल न कर सके। अगर यही उनका मतलब था तो वह साफ तौर से कह देते। आप यह देखें कि अन्य धाराओं में तो आपने लिखा है कि वन फिफथ कोरम होना चाहिये और एजन्र्ड मीटिंग के बाद तो उस वन-फिफथ कोरम की भी जरूरत नहीं रहती, लेकिन जहां यह टैक्सेशन का सवाल आता है तो कहा जाता है कि आधे आदमी हों, यह बिलकुल नामुमकिन चीज है। मैं समझता हूं कि यह चीज बजाय गांव सभा के गांव पंचायतों में आती, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस्, म्युनिसिपल बोर्डस् में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होते हैं। वहां बहुत थोड़े से मेम्बर्स होते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड में १५ के करीब मेम्बर्स होते हैं और टैक्सेशन मेजर के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होती है अगर गांव सभा के बजाय गांव पंचायत के लिए टैक्सेशन का मेजर आता तो मैं समझ सकता था कि यह चीज ऐसी है कि जिसके बारे में त्रिपाठी जी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अब जो सूरत पेश है, उसका मतलब यह है कि बहुत से गांव ऐसे हैं कि जहां पर २,००० या २,१०० वोटर हैं तो वहां पर आपको उनमें से ६०० आदमी भी मिलना मुश्किल हो जायगा। इसका मतलब यह होगा कि टैक्स गांव पर न लगे। इसके मायने यह हुए कि हमारे सोशलिस्ट भाई शहरों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जब शहरों पर टैक्स लगेगा, तो वहां पर बिजली होगी, सड़कें होंगी, लेकिन वह देहात के लिए नहीं चाहते हैं कि वहां पर वह आराम मिले जो शहर को मिलता है। मैं नहीं चाहता हूं कि वह इस तरह से टैक्सेशन मेजर को अपोज करें। यह इस तरह की बात है कि जिसको उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर वह गौर करें और इस अमेन्डमेंट को वापस लेने पर गौर करें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--- उपाध्यक्ष महोदय, रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करते हुए अपने उन माननीय सदस्यों के साथ अपनी हमदर्दी जाहिर करना चाहता हूं कि जो टैक्स वसूल करने के फिकर में दुबले हुए जा रहे हैं। उनको इस बात की फिकर कम दिखायी देती है कि गांव का भला किस तरह से होगा, और गांव का उत्थान किस तरह से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा। डंडे से टैक्स वसूल करने का काम उनका बन्द हो जायगा, इसी की चिन्ता अधिक है। रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन से उनको यह शंका है कि अगर वह संशोधन स्वीकार हो गया तो डंडे से उनका टैक्स वसूल करना बन्द हो जायगा। मैं यह समझता हूं, कि उनको भरोसा डंडे पर नहीं करना चाहिए बल्कि सद्भावना पर करना चाहिए और उस से भी अधिक भरोसा उनको अपनी सेवा पर होना चाहिए। आज तक तो मैं ऐसा समझता था कि उनको अपनी सेवा पर भरोसा है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि माननीय मही लाल जी जैसे आदमी भी डंडे के ऊपर भरोसा करने लगे हैं। टैक्स लगाने में यह जरूर गड़बड़ करता है कि अगर एक-बटा-दो आदमी इकट्ठा हो जायं, तब टैक्स लगाया जाय। परन्तु मैं समझता हूं कि यह जरूरी चीज है कि यदि वह सारे गांव पर टैक्स लगाते हैं तो जो जी में आवे उसको न कर सकें इसलिए जरूरी है कि जब वह घोड़े पर, बैल पर, बकरी पर या किसी भी चीज पर टैक्स लगावें, तो उसके लिए आधे आदमियों को रहना जरूरी है। अगर सब गांव वालों पर टैक्स लगे और एक-बटा-पांच वहां पर बैठ कर तय कर लें, तो यह कैसे हो सकता है कि उस रकम की वसूली आसानी से हो जाय। हम बैठ जायं, और महीलाल जी बैठ जायं और सब पर टैक्स आयद कर दें कि यह तुमको जरूर देना पड़ेगा तो यह अच्छी बात नहीं। मैं यह देख रहा हूं कि माननीय सदस्यों को परेशानी यह है कि टैक्स लगाने वाली जो बीमारी है, टैक्स लगाने का जो एक शौक है वह उनके हाथ से न निकल जाय इसकी चिन्ता है। मैं आप से यह कहता हूं कि माननीय व्रजबिहारी मिश्र जी जैसे आदमी ऐब लगाते हैं कि राम नारायण जी का संशोधन टैक्स वसूल कराने वाला नहीं है, बल्कि बन्द करने वाला है मैं दरख्वास्त करूंगा कि माननीय राम नारायण जी का संशोधन टैक्स वसूल कराने वाला है और वह इसलिये टैक्स वसूल कराने वाला है कि अगर आधे आदमी तक भी वहां आ गये और उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा टैक्स लगाना चाहिये तो फिर टैक्स वसूल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर केवल १/५ आदमी जो जी में आता है टैक्स लगा कर चले जाते हैं तो बाक़ी आदमी जो एक बड़े बहुमत में रह जाते हैं, उनका एक बहुत भारी समूह है और वह समूह यह कहे कि वह चीज ठीक नहीं है तो बड़ी कठिनाई होगी। और उस १/५ आदमियों में गांव पंचायतों के सदस्य और उनके नजदीक रहने वाले भी हो सकते हैं और वे उस बजट को पास कर लें तो वे समूह वाले लोग यह कह सकते हैं कि हम उसको जानते भी नहीं इसलिये हम उसको नहीं देंगे। मैं आप से क्या कहूं माननीय सदस्यों को याद होगा कि इन दो चार वर्षों में टैक्स वसूली की क्या हालत रही है। अगर उसको सामने रक्खा जाता तो शायद वह ऐसी बात न कहते। गांव में जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स के लगाने वाले यह समझते हैं कि हम खानापूरी कर रहे हैं चाहे वह वसूल हो या न हो अगर टैक्स वसूल न होगा तो कागजात मालगुजारी विभाग को दे देंगे और वह उस टैक्स को वसूल करेगा ऐसा भी समझते हैं। इस विधेयक में इस बात की गुंजाइश की गयी है कि टैक्स लगाना सभा का काम होगा और वसूली मालगुजारी के तरीक़े से होगी। पहले कानून में ऐसी बात न थी। अगर आरजू और मिन्नत से उनकी वसूली न हो पायी तो मालगुजारी की तरह से उसकी वसूली होगी। मालगुजारी की जैसी वसूली होती है उसका ज्ञान हम लोगों को है। राय बरेली वालों को तो भी उसका ज्ञान अच्छा है। राय बरेली वालों की शिकायत पर जो ऐक्शन लिया गया वह सब को मालूम है। जो सख्ती और ज्यादती इस मामलों में हो रही है वह मैं नहीं कह सकता। उसके कहने का यह उपयुक्त अवसर भी नहीं है। आप उस टैक्स को मालगुजारी की तरह से वसूल करना चाहते हैं जो कि आप उन लोगों पर लगाना चाहते हैं जो कि दैनिक मजदूरी करके गुजारा करते हैं। अगर आप उनसे टैक्स लेना चाहते हैं तो उनकी सम्मिति लेने की भी अत्यन्त आवश्यकता है। कुछ माननीय सदस्यों का यह भी कहना है कि कोरम पूरा होता है तो असेम्बली में हम बजट को पास कर लेते हैं तो फिर गांवों में भी ऐसा ही क्यों न रखा जाय। इंगलैंड की पार्लियामेंट में इस बात की गुंजाइश की गयी है और इसको सब से बड़ा महत्व दिया गया है कि बजट अधिवेशन में सब लोग शरीक हों। कम से कम असेम्बली के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि जब वह नियमित रूप से पारिश्रमिक पाते हैं तो कम से कम बजट सेशन को न छोड़ेंगे। जब तक कि कोई ऐसा उत्साही न

[श्री गेंदा सिंह]

मिल जाय जैसा कि नैनीताल का मैजिस्ट्रेट या देवरिया और कानपुर का मैजिस्ट्रेट जिनके कारण माननीय सदस्यों को मौका ही न मिले कि वह असेम्बली में हाजिर हो सकें। हां अगर किसी तरह से उन्हें हाजिर रहने से न रोका जाय तो वह जरूर हाजिर रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों को मीटिंग में हाजिर होने पर कितना एलाउंस मिलेगा, कितना भत्ता उनको मिलेगा जिससे वे इन मीटिंग्स में जरूर हाजिर हों। जब विधान सभा के सदस्यों की यह हालत है कि अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये उनको सारी सुविधायें प्राप्त हैं तो भी जब कभी गिनती होती है और और डिवीजन का प्रश्न आता है तब मालूम होता है कि हम लोगों में कितने हाजिर रहते हैं। फिर मैं तो आप से कहना चाहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी सब से अधिक है कि ज्यादा लोग हाजिर हों क्योंकि किसी वक्त सरकार हार सकती है। क्या सरकार समझती है कि किसी प्रश्न पर उसकी हार नहीं हो सकती? किसी भी क्षण सरकार की हार का खतरा हो सकता है इसलिये सरकार को ज्यादा सचेत रहना चाहिये और खास कर सचेतकों को और सचेत रहना चाहिये।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक टैक्स लगाने का मामला है गांव सभाओं को चाहिये कि वे अगले साल का प्लान करें, योजना बनावें कि अगले साल हमें क्या काम करने हैं। ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें कुछ लोगों के परिश्रम की अधिक आवश्यकता हो और बजट बनाते समय गांव सभा के सामने यह रूप रेखा भी दे देनी चाहिये कि हमको अगले वर्ष गांव सभा के लिये निम्नलिखित इतने-इतने कार्य करने हैं। आधे लोग इकट्ठे होंगे इस लिये उस काम के लिये लोगों की राय जानी जा सकती है और अगर उस काम के लिये लोगों ने अपना फैसला दे दिया तो मैं समझता हूं कि फिर आगे लोगों की उसमें रुचि रहेगी और वह काम भी आगे बढ़ सकता है। तो योजना के लिये यह आवश्यक है कि लोग अधिक से अधिक सभा में इकट्ठा हों तथा योजना को पूरी करने के लिये और धन संग्रह करने के लिये जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हों। माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन स्वीकार कर लेने के बाद मजबूरी हो कि अधिक से अधिक एकत्र हो सकें तो मैं समझता हूं कि इस पंचायत राज कानून में जो आप संशोधन करने जा रहे हैं उसमें काफी सफलता की गुंजायश हो सकती है।

हमारे माननीय मिश्र जी ने कहा कि भाई हमारे सूबें में ५१ प्रतिशत स्त्रियां हैं और ४९ प्रतिशत पुरुष हैं और स्त्रियां जो हैं वे सभा में आने से कुछ गुरेज करती हैं या शरमाती हैं या और कोई बात है। मैं तो माननीय मिश्र जी की नकल करना चाहता हूं और जब मैं देखता हूं कि माननीय मिश्र जी जिनका कमरा मेरे कमरे के ही सामने है और वहां से दिखलाई देता है कि जब वे एक ब्लाक से उनके साथ निकलते हैं, वे हमारे बुजुर्ग हैं और साथ ही साथ रिश्ते में जो हमारी चाची होती हैं तो जब दोनों को मैं एक साथ चलते हुए देखता हूं तो मेरा उत्साह बढ़ता है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह पर्दे की बीमारी हम लोगों से दूर हो जाय। मैं सोचता हूं कि अब मैं घर जाऊंगा तो अपनी देवी जी को भी बुला लाऊंगा, फिर मिश्र जी घर वालों से भी मिलने जुलने का मौका होगा और उनसे कहूंगा कि तुम्हें भी सभा सोसाइटी में जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आने वाले जमाने में कहीं बिहार और यू० पी० वालों की इस बीमारी से नाराज हो कर ही इधर वाले न चले जाने की सोच रहे हों। मुमकिन है कि उनकी नाराजी का कारण यही हो। मैं आप से कहना चाहता हूं कि मेरठ तक की तो बात नहीं है लेकिन इधर माननीय शुक्ल जी से बाराबंकी में मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि इसके लिये एक कांफ्रेंस की जाय। एक कांफ्रेंस बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया आदि की हो और उसके कन्वीनर होंगे माननीय श्री कृपा शंकर जी और उनके कन्वीनरशिप में इसबात के लिये प्रचार किया जायगा कि जो स्त्रियां पर्दे में बहुत रहती हैं उनको बाहर निकाला जाय। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा समझता हूं कि कोई इस बात का खतरा नहीं है कि स्त्रियां बाहर न निकलें इसलिये हम लोग लखनऊ से पूर्व वाले तुरन्त कृपा शंकर जी को कहेंगे कि वह तो कांस्ट्रक्टिव आदमी हैं और यह रचना का कार्य है। वह हमारे लीडर बनेंगे और

मीटिंग जल्द बुलावेंगे और स्त्रियों के पर्दे के झंझट को दूर करने में सफल होंगे। मैं श्री राम नरेश जी और श्री महीलाल जी से कहना चाहता हूं कि अब उनकी कठिनाई दूर हो गई होगी और आशा है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। पहले मुमकिन है कि किसी कारण से यह बात मंत्री जी के ध्यान में न आई हो, अब अगर आ गई हो तो वह उसे स्वीकार कर लें।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, देहात में कहावत है कि "चतुर मुद्दई उपाय नासे" यानी जो चतुर दुश्मन होता है वह उपाय कर के किसी चीज का विनाश करता है या बिगाड़ता है। मैं यह इलजाम श्री राम नारायण जी पर नहीं लगाता क्योंकि वह जनतंत्र के हिमायती हैं और मैं यह ख़याल नहीं करता कि वह गांव सभाओं को विफल बनना चाहेंगे। लेकिन जब मैं इस संशोधन पर विचार करता हूं तो वही कहावत चरितार्थ होती है आप ने तो एक ऐसा शगूफ़ा छेड़ दिया कि "न नौ मन काजल होगा न राधा नाचेंगी" यानी न आधा कोरम हो पावेगा और न टैक्सेशन पास होगा और इस तरह से ग्राम सभाओं का काम नहीं चल सकेगा और वह विफल हो जायंगी। तब फिर आप कह सकेंगे कि सरकार का पंचायतों का काम भी विफल हो गया जो ग्रामों की उन्नति का सरकार का आयोजन था उस में सरकार नाकामयाब रही। तो यह तो वही हुआ कि जैसे एक बन्दर ने अपने मालिक की नाक की बर्र उड़ाने के लिये सोचा कि मालिक को कष्ट न हो और उसने एक पत्थर उठा कर बर्र को मार दिया नतीजा यह हुआ कि बर्र तो उड़ गयी लेकिन नाक मालिक की कुचल गई। इसी तरह से श्री रामनारायण जी सरकार को नाकामयाब बनाने के जोश में ऐसा संशोधन ला कर गांव सभाओं को ही विफल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री गेंदा सिंह जी के एक लेक्चर झाड़ देने से औरतें बाहर न निकल आवेंगी। मैं समझता हूं कि श्री गेंदा सिंह औरतों को बाहर निकालने की इजाजत देने के लिये शायद आख़री आदमी होंगे। हां, माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी को इस मामले में मैं अवश्य उदार मानता हूं। इसलिये यह कहना कि सब लोगों की बीबियां ग्राम सभाओं की बैठकों में वहां पहुंच जायंगी या सब मर्द ही पहुंच जायंगे कहां तक उचित है। हम तो देखते हैं कि समाज में जो बड़े लोग हैं अभी तक वे उनको पर्दे की बूबू बना कर रख रहे हैं और जो छोटे लोग हैं उनकी बीबियां खेतों में या काम काज में फंसी रहती हैं। वे काम काज से फुर्सत पा कर यह सिद्ध है कि वे वहां पहुंच नहीं सकतीं।

ग्राम सभाओं के सदस्यों की संख्या १,००० मानी गई है, जिनमें ५०० मर्द और ५०० औरतें प्रायः होती हैं। यह सिद्ध है कि आधी संख्या अर्थात् औरतें बैठकों में तो नहीं आयेंगी। तो मैं समझता हूं कि यह संशोधन जो आधे कोरम को रखा गया है वह ग्राम सभाओं को विफल करने का प्रयास है और वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। हां, चहल पहल के लिये यदि श्री राम नारायण ने संशोधन उपस्थित किया हो, तो अब चहल पहल इस पर काफी हो गयी। अब आप इसे वापस ले लें। मेरी तो यही प्रार्थना है। यह बिलकुल असम्भव और बिलकुल अमल में आने वाली चीज नहीं है। इस वास्ते इस तरह की चीजों को ला कर ग्राम सभाओं को विफल न करें।

श्री रामनरेश शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं इसका विरोध करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर वादविवाद अभी जारी रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१०३

विपक्ष में—२०।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि मेरे एक नन्हें से संशोधन पर सदन इतनी दिलचस्पी लेगा। मैं वाकई अनुग्रहीत हूं उन सदस्योंका जिन्होंने विरोध में या पक्ष में हिस्सा लिया लेकिन मैं विशेष कर नौरंगलाल जी के भाषण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन्होंने वाकई गांव की समस्या को समझने की कोशिश की और पंचायतों के लिये इस संशोधन को वाकई एक टेस्ट समझा जो कि मेरी मंशा थी। उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य यह भूले नहीं होंगे कि उन्हीं के दल के माननीय स्वशासन मंत्री ने कहा कि हम गांव सभाओं द्वारा जो टैक्स लगाना चाहते हैं उसको टैक्स भी नहीं मानते, वह तो एक प्रकार वालन्ट्री कन्ट्रीब्यूशन है। यह शब्द माननीय मंत्री जी के ही हैं और इसमें कोई इन्कार नहीं कर सकता। मैंने जो संशोधन आधे गांव सभा के मेम्बरों के लिये रक्खा है उससे मैं यही चाहता था कि उनकी मंशा पूरी हो। स्वयं लोग अपने कार्य के लिये बन्द जिससे कि गांव की समस्या हल हो सके। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह देख कर कि माननीय सदस्यों ने गांव सभाओं की असेम्बली की तुलना की। वह यह भूल गये कि यह सरकार का प्रश्न नहीं है बल्कि गांव सभाओं का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी लोकलसेल्फ गवर्नमेंट में एक विशेष स्थान रखते हैं। अगर वह चाहते हैं टैक्स लगाना तो लगावें और अगर नहीं चाहते हैं तो तो विधान सभा को इतना व्यग्र नहीं होना चाहिये। अगर गांव सभाओं में इस किस्म के नादान सदस्य बने हुए हैं जो नहीं चाहते कि निर्माण का कोई कार्य किया जाय तो हमारे विधान सभा के सदस्य किस तरह से उनको मजबूर कर सकते हैं।

(इस समय ४ बजकर ४५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गांव सभाओं में अभी संख्या तो नियत नहीं है लेकिन ११ से लेकर ३० तक गांव पंच होंगे। पहले वह प्रोपोजल बनायेंगे टैक्सेसन के लिये और फिर वह गांव सभा के सामने रखा जायगा। मैंने जो प्राविजन रखा है वह गांव सभा की पापुलैरिटी और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए एक उचित तरीका है। इसकी मुझे दुख है कि माननीय सदस्यों ने ठीक नहीं समझा। मैं यह चाहता था कि अगर २५ आदमी किसी गांव सभा में हों तो उनकी राय से टैक्सेशन हो। माननीय स्वशासन मंत्री के शब्दों में वालन्ट्री कन्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सही मानों में अगर वह ऐसी भी नहीं कर सकते कि गांव सभा के आधे आदमी इकट्ठा हो सकें तो वह गांव सभाओं के बहुमत के विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं। मैं घोषणा कर देना चाहता हूं कि यह इस सदन की मंशा के खिलाफ है ।क उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी बात उन पर लादी जाय। इससे सही माने में इस विधेयक की योजना को मातहत यह एक गलत बात होगी।

श्री नवाब ऐजाज रसूल जी को खतरा पैदा हो गया और उन्होंने कहा कि मेरा मतलब यह है कि हम शहरों की जनता से टैक्स वसूलकरके देहात को ले जाना चाहते हैं। नवाब ऐजाज रसूल साहब इस विधान सभा के बहुत पुराने मेम्बर हैं और मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी से भी उनको वाकफियत होगी। वह जानते हैं कि हम शहरों और गांवों में कोई विभेद नहीं करते। हम तो गरीबों और अमीरों में विभेद कर सकते हैं। वह इस प्रदेश के एक बड़े धनवान आदमी हैं और वह जानते हैं कि हमारे शासन में कम से कम महफूज नहीं होंगे और न उनको खुश करने के लिए हम किसी किस्म की बात करेंगे। हमने तो हमेशा यह कहा कि गांव पंचायतों का निर्माण जो सरकार करना चाहती है वह बिलकुल एक नाम मात्र की फर्ज अदायगी है। हमारी पार्टी ने जो उसकी तारीफ की और जनता ने तारीफ की इसलिये वह किसी न किसी तरह से उसको ढोये चले जा रहेहैं और इसके सबूत में मैं माननीय हरगोविन्द सिंह जी ने जो भाषण इलाहाबाद में दिया उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि मंत्रिमंडल के एक माननीय सदस्य जाकर इलाहाबाद में यह कहें कि हमारी सरकार तो विचार कर रही है कि गांव पंचायतों को तोड़ दिया जाय और दूसरी तरफ माननीय स्वशासन मंत्री जी इस बात का दावा करें कि

हमारी न्याय पंचायतें प्रसिद्धि प्राप्त कर रही हैं, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं माननीय स्वशासन मंत्री के साथ हूं। दूसरी तरफ मुझे यह भी शिकायत है कि माल विभाग इन पंचायतों को डिग्रेड करने की कोशिश करता रहता है। माननीय चरण सिंह जो कैबिनेट के एक जिम्मेदार सदस्य हैं, जब कभी हमने गांव पंचायतों द्वारा लगान वसूल करने का प्रश्न उठाया तो उन्होंने हमेशा गांव पंचायतों को निकम्मा साबित करने की कोशिश की। मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव पंचायतें और गांव सभायें निकम्मी नहीं है बल्कि सरकार और कुछ हमारे माननीय मंत्री उनको निकम्मी बनाना चाहते हैं। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि अगर पंचायतों को लैंड रेवेन्यू वसूल करने के वही अधिकार दिये जाते हैं जो अमीनों को दिये गये हैं तो एक भी पंचायत ऐसी नहीं निकलेगी जोकि लैंड रेवेन्यू न वसूल कर सके। सरकार की कोई निश्चित राय नहीं है। सरकार एक प्रथा चला चुकी है और मैंने बार-बार कहा है कि माननीय स्वशासन मंत्री जी उसके लिए लड़ते हैं लेकिन सरकार एक न एक प्रतिबन्ध पंचायतों पर लगाती जा रही है और वह एक तरीके से पश्चाताप कर रही है कि उसने क्यों ऐसी एक शक्ति पैदा कर दी। आज चार-पांच साल के बाद इस विधेयक पर बात करने का मौका मिला है।

सोवियट रूस का उदाहरण दे दिया जाता है, लेकिन इस तरह से एक-एक पैसा और दो-दो पैसा टैक्स लगा कर के गांवों का निर्माण नहीं हो सकता है। हम तो यह चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को हर प्रकार की रेवेन्यू में से कम से कम २५ फीसदी गांव पंचायतों को देना चाहिये। इससे माननीय ऐजाज रसूल साहब की शंका खत्म हो जानी चाहिये कि हम हर प्रकार की रेवन्यू का २५ फीसदी पंचायतों को देना चाहते हैं। इसके साथ-साथ हम यह नहीं चाहते हैं कि पंचायतें फर्जी काम करें।

बनारस के एक प्रोफेसर ने यह कहा कि श्रमदान में जो एक करोड़ रुपये का काम हो सकता था वह नहीं हुआ। आज ऐसी स्थिति हो गयी है कि गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा भी काम करती है तो भी उसको लोग गलत समझते हैं। इसी लिये आज लोग पंचायतों की भी मुखालिफत करने लगे हैं। श्रमदान का महत्व अपनी जगह पर है लेकिन श्रमदान तो दान ही है और वह स्वेच्छा से किया जाना चाहिये। जब गांवों में सड़कें बनाने का प्रश्न आये तो यह आवश्यक है कि हम उनको यह न महसूस होने दें कि वह छोटे-छोटे टैक्स लगा करके उनको बनायें। अगर सरकार उनको अपनी रेवेन्यू का २५ फीसदी देदे तो वहां केवल सड़कें ही नहीं ठीक की जायंगी बल्कि घरों को गिरा करके एक नये सिरे से दुनियां बनायी जायगी, वहां बच्चों के लिये खेल के मैदान होंगे, बीच में पार्क होगा। पार्क में वहां बिजली होगी और भी न जाने क्या-क्या चीजें होंगी। हम आज उस दिन की कल्पना को ले करके चल रहे हैं और यह नहीं है कि ऐक्ट में मामूली संशोधन करके और कुछ टैक्स बढा करके यह कह दिया कि हम गांव सभाओं को बड़े अधिकार देना चाहते हैं। आज गांव पंचायतों के सामने कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वह छोटे-छोटे टैक्स लगाये इस संबंध में हमारी यह राय है कि जो वह टैक्स लगायेंगी वह टैक्स नहीं होगा अगर आधे भी आदमी उसके समर्थन में नहीं होंगे। जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, उन्होंने बहुत उचित कहा कि अगर गांव पंचायतें, सेक्रेट्री और प्रधान कोशिश करके आधे भी लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो टैक्स की वसूली में सख्ती नहीं करनी पड़ेगी और उससे सरकार अनपापुलर भी नहीं होगी।

जहां तक विधान सभा के कोरम की बात है मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है और अगर हमारी पाटी कभी भी सदन में बहुमत में आयी तो हम यह बात जरूर रखेंगे कि बजट प्रोपोजल्स के समय आधे से ज्यादा कोरम होना चाहिये। ८१ करोड़ का बजट पास कर लिया जाता है और उसके लिये ४३ आदमी काफी होते हैं यह बहुत ही आपत्तिजनक व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि सदन का इस तरफ ध्यान नहीं गया है। आइन्दा जब नियमों में संशोधन हो तो मैं आशा करता हूं कि उसमें इस महत्वपूर्ण संशोधन को स्थान देना चाहिये।

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

एक अजीब सी बात है। हमारे यहां प्रदेश में जो गांव सभायें हैं उनमें ढाई सौ से लेकर हजारों की तादाद में सदस्य हैं। अब अगर मान लिया जाय कि किसी गाव सभा में दस हजार सदस्य हैं और उन दस हजार में से दो हजार सदस्य इकट्ठा हो करके शेष आठ हजार की राय के विरुद्ध कोई टैक्स पास कर देते हैं, तो वह कैसे उचित समझा जा सकता है। इसके साथ साथ लुत्फ यह है कि आप यह कहते हैं कि अगर टैक्सेशन प्रोपोजल्स लिये जायं और कोरम न पूरा हो तो दूसरी मीटिंग के लिये कोरम की जरूरत नहीं होगी। पहली मीटिंग में दस हजार में दो हजार की जरूरत थी लेकिन दूसरी मीटिंग में सौ आदमी काफी होंगे और टैक्सेशन चालू कर दिया जायगा, यह मैं समझता हूं कि नितान्त अनुचित बात है और यह प्रश्न ऐसा नहीं है यह गांव पंचायतों का प्रश्न है सरकार का प्रश्न नहीं है, मिनिस्ट्री के फेल होने का सवाल नहीं है। आप भी उनको एक खम्भा मानते हैं जैसे कि हम चौखम्भा राज्य का एक खम्भा मानते हैं। वह अपना इंतजाम करेंगी, वालंटियरी तरीके से या श्रमदान से और वह उचित होगा। मैंने सदन में स्वीकार किया है और मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी को धन्यबाद देता हूं कि इस विधान की धारा ३७-ए को निकाल दिया गया जिसमें अनिवार्य रूप में काम करने के लिये एक प्रावीजन रखा गया था। उसके संबंध में कहा गया था कि इसलिये मैं इसको निकाल रहा हूं कि इसके आशय को समझने में, मैं समझता हूं कि गलतफहमी हो जायगी कि सरकार चाहती है कि जबरदस्ती काम लिया जाय। इसके पश्चात् उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोग समझते हैं कि गांव उनका नये ढंग का हो जाय और गांव की तरक्की हो तो वह स्वयं श्रमदान करेंगे जैसा कि कार्य चला आ रहा है।

मैं नहीं समझ सकता हूं कि ऐसी हालत में आपको शंका क्यों हो जाती है। हमने यह बात रखी है। इस पर बड़े मनोरंजक भाषण हुए। हमारे माननीय व्रजभूषण मिश्र जी तो गालियों पर उत्तर आये। उन्होंने मुझे प्रभावित करने का ऐसा ही ढंग निकाला कि बुरा भला कहा जाय और मैं घबराकर अपना प्रस्ताव वापस ले लूं। वह तो इस तरह की गालियों के स्पेशेलिस्ट हैं, मैं दावा नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि यह कोई दलील नहीं है कि किसी को बुरा भला कहें या गालियाँ देना शुरू कर दिया जाय। इसका तो माननीय नेता विरोधी दल को भी बहुत बड़ा तजुर्बा हो चुका है। मुझे इससे घोर आपत्ति है। खैर मैं इसको उनके गुड सेंस पर छोड़ता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वह ऐसी बातों को दुहराया न करें।

दूसरी बात स्त्री सुधार के संबंध में है और जो मनोरंजक विचार सदन के सामने माननीय सदस्यों ने रखा वह किसी से छिपा नहीं है अगर इस संशोधन से परदा प्रथा दूर हो जाती है और लोग मजबूर हो जाते हैं जैसी कि हमारी वैदिक परम्परा है। मैं तो माननीय व्रजविहारी मिश्र जी की परप्परा का समर्थक हूं और मैं भी उनकी परम्परा का पालन करता हूं। ऐसी सूरत में स्त्रियों का सुधार हो जाय, जो पंच हैं वही अगर इस पर तुल जायं और वह अपनी तथा अपने मित्रों की बीबियों को इकट्ठा करें और वह कुछ पढ लिख लें और कम से कम इसमें हमारे नवाब ऐजाज रसूल को तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती है और वह हमारा समर्थन करेंगे क्योंकि काफी मुश्किलात उनको उठानी पड़ रही है उनकी बेगम साहिबा द्वारा एक सुधारात्मक काम करने के लिये। अगर इतना महान काम इस मामूली से संशोधन से हो जाता है कि देश की ५१ प्रतिशत स्त्रियों के लिये लोग मजबूर हो जाते हैं और परदा प्रथा टूट जाती है तो उनको नियमों की भी जानकारी हो सकती है और उनकी शिक्षा और दीक्षा दोनों कार्य इस साधारण संशोधन से हो जाते हैं जो मतलब कि हमारा स्पष्ट रूप से नहीं था। लेकिन अगर यह कार्य हो जाता है तब तो मुझे और बल मिलता है कि मैं अपने संशोधन पर और जोर दूं। इस संबन्ध में माननीय सदस्यों के जो भाषण हुए हैं मैं समझता हूं कि वह बहुत लाभदायक चीज होगी अगर इसको स्वीकार कर लिया जाय।

इतना बड़ा सुधार जिसके लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील है, हम लोग प्रयत्नशील हैं और स्त्रियों में भी आज आवाज उठती है और उन्होंने साबित कर दिया है कि पुरानी परम्परा के अनुसार वह आज भी किसी से किसी चीज में पीछे नहीं हैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि स्त्रियों के लिये सिविल सर्विस में कोई बार नहीं होना चाहिये और उन्होंने श्रीमती चन्द्रवती जी से इसके लिये आन्दोलन करने के लिये कहा है और इसके लिये कोचिंग इंस्टीट्यूशन्स होने चाहिये। यदि आदरणीय सदन इतने बड़े संशोधन को भी नजरन्दाज कर दें तो एक बड़ी अजीब चीज होगी। माननीय मिश्र जी को तो इससे बढकर और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है कि जो परम्परा सरकार कायम कर रही है अगर वह हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में हो जाय तो इससे उत्तम बात और कोई नहीं हो सकती है।

श्री शिवनाथ काटजू जी की बात सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि उनके पिता जी की बात मुझे मालूम है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि गांव सभाओं द्वारा डायरेक्ट पंचायतों पर विश्वास हो सकता है वनिस्बत प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के। यह बात उनके पिता माननीय कैलाश नाथ जी काटजू कहते हैं और माननीय शिवनाथ जी का इतना मतभेद है कि उनको गांव वालों का विश्वास नहीं है जब कि उनके पिताजी को तो यहां तक विश्वास है कि वह न्यायी अदालतों का भी काम कर सकते हैं। यह तो टैक्सेशन का सवाल है। वह कहते हैं कि एक लाख या डेढ़ लाख की एक फौज न्याय पंचायतों के पंचों की इकट्ठा हो जायगी वह भी तरीका पंचायत से चुनने का होना चाहिये, जिसकी व्यवस्था इस बिल में है।

तो इतना ही कह कर, मैं समझता हूं कि माननीय शिवनाथ जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया कि गांव सभा के उन लोगों पर अविश्वास प्रकट किया जिन पर उनके पिता जी को काफी भरोसा है और वह समझते है कि गलती करने के बावजूद भी अप्वाइंटिंग अथारिटीज ज्यादा अच्छी होंगी और काम करेंगी।

कुछ सदस्यों ने यह कहा कि मेरी यह मंशा है कि कभी टैक्स ही नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं लग सकता। यह बिलकुल गलत बात है। अगर माननीय मंत्री आंकड़े इकट्ठे करने की बात करें तो मैं सिद्ध कर सकता हूं कि जहां सही रूप में टैक्स लग गये हैं वहां आधे आदमी इकट्ठे थे।

महाराज कुमार बालेन्दुशाह--अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अभी काफी समय लेंगे। यदि आप उचित समझें तो सभा विसर्जित की जाय।

अधिष्ठाता--क्या आप और समय लेंगे?

श्री राम नारायण त्रिपाठी--जी हां।

अधिष्ठाता--तो हम अब उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२९ अप्रैल, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ....२३६पर)

Statement showing the number of American Missionary Centres in each district of Uttar Pradesh.

1.	Dehra Dun	2
2.	Saharanpur	6
3.	Muzaffarnagar	17
4.	Meerut	2
5.	Bulandshahr	4
6.	Aligarh	1
7.	Mathura	1
8.	Agra	2
9.	Mainpuri	1
10.	Etah	4
11.	Bareilly	10
12.	Bijnor	1
13.	Badaun	1
14.	Moradabad	1
15.	Shahjahanpur	3
16.	Farrukhabad	1
17.	Etwah	1
18.	Kanpur	4
19.	Fatehpur	2
20.	Allahabad	6
21.	Hamirpur	4
22.	Jhansi	3
23.	Jalaun	1
24.	Banaras	1
25.	Ballia	1

26.	Gorakhpur	2
27.	Deoria	1
28.	Basti	7
29.	Naini Tal	1
30.	Almora	4
31.	Garhwal	2
32.	Lucknow	3
33.	Rae Bareili	1
34.	Sitapur	1
35.	Hardoi	1
36.	Kheri	1
37.	Faizabad	1
38.	Gonda	5
39.	Bahraich	3
40.	Sultanpur	4
41.	Bara Banki	1
42.	Pilibhit	..
43.	Banda	..
44.	Rampur	..
45.	Mirzapur	..
46.	Jaunpur	..
47.	Ghazipur	..
48.	Azamgarh	..
49.	Tehri Garhwal	..
50.	Unnao	..
51,	Pratapgarh	..
	Total ..	118

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३६ पर)

तालिका "क"

मार्च, १६४८ से अब तक यू० पी० सिविल सर्विस (अधिशासकीय शाखा) में नियुक्ति के लिये हुई परीक्षाओं में महिलाओं के बैठने, उत्तीर्ण होने आदि की संख्या का विवरण

परीक्षा का वर्ष	उन महिला उम्मीदवारों की संख्या जो कि परीक्षा में बैठीं	उन महिला उम्मीदवारों की संख्या जिनको कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने नियुक्ति के लिये उपयुक्त करार दिया	विशेष कथन
१	२	३	४
१–दिसम्बर, १६४८ (परीक्षा जनवरी-फरवरी, १६४६ में हुई थी।)	८	१	नियुक्ति कर दी गयी।
२–दिसम्बर, जनवरी, १६४६-१६५०	५	१	इस महिला ने ५५ वां स्थान प्राप्त किया था कुल २३ वें स्थान तक के उम्मीदवार लिये गये अतः यह महिला सर्विस में न ली जा सकीं।
३–दिसम्बर, जनवरी १६५०–१६५१	४	१	इस महिला ने १८ वां स्थान प्राप्त किया। कुल १५ वें स्थान तक के उम्मीदवार लिये गये अतः यह महिला सर्विस में न ली जा सकी।
४—दिसम्बर, जनवरी, १६५१–१६५२	१२	कोई नहीं	
५–अगस्त, सितम्बर, १६५२	६	कोई नहीं	
६—दिसम्बर, १६५३	६	..	इस परीक्षा का फल अभी नहीं निकला।

तालिका "ख"

मार्च, १६४६ से अब तक यू० पी० सिविल सर्विस (न्यायिक शाखा) में नियुक्ति के लिये हुई परीक्षाओं में महिलाओं के बैठने, उत्तीर्ण होने आदि की संख्या का विवरण।

परीक्षा का वर्ष	उनमहिला उम्मीदवारों की संख्या जो कि परीक्षा में बैठीं।	उन महिला उम्मीदवारों की संख्या जिनको कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने नियुक्ति के लिये उपर्युक्त करार दिया।	विशेष कथन
१—मार्च, १६४६	१	कोई नहीं।	कोई नहीं।
२—जनवरी, १६५०	१	कोई नहीं।	कोई नहीं।
३—अगस्त, १६५१	४	कोई नहीं।	कोई नहीं।
४—नवम्बर, १६५२	कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।
५—नवम्बर, १६५३	कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४४ पर)

तालिका

क्रम संख्या	नाम	ऋण	अनुदान	उद्योग
		१९४८–४९	रु०	
१	श्री कैलाशचन्द्र श्रीवास्तव वेलेन्ड-गंज, जौनपुर।		१०००	तेल पेरने के लिये
		१९५०–५१		
२	श्री केशरी प्रसाद पांडे वेलेन्डगंज, जौनपुर।	३०००	५००	तेल और साबुन के लिये
३	श्री गिरजा शंकर तिवारी, ग्राम व पो० नीमापुर, जिला जौनपुर।	१०००	५००	ऊनी दरियां बनाने के लिये
४	श्री राम नाथ मौर्य, जफराबाद जौनपुर।	..	७५०	तेल पेरने के लिये
५	श्री वामदेव उपाध्याय, राष्ट्रीय ग्राम उद्योग भंडार, बेलेन्डगंज जौनपुर।	..	७५०	तेल पेरने के लिये
		१९५१–५२		
६	श्री नागेश्वर द्विवेदी प्रेम का पुरवा सुगनगंज, बादशाहपुर, जौनपुर।	..	५००	कताई और बुनाई के लिये
		१९५२–५३		
७	श्री रामशंकर लाल, वेलेन्डगंज, जिला जौनपुर,	२०००	..	तेल और साबुन के लिये
		१९५३–५४		
८	श्री राम शंकर लाल, वेलेन्डगंज, जिला जौनपुर	..	५००	साबुन के लिये

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३५ एल० ए०–१९५४—८५०।